वर्ष - 28 अंक 111 अप्रैल-जून, 2010

वर्ष - 28 अंक 111 अप्रैल-जून, 2010

पुलिस विज्ञान

(त्रैमासिक पत्रिका)

अप्रैल-जून, 2010

सलाहकार समिति

प्रसून मुखर्जी

महानिदेशक

डा. शेषपाल वैद

निदेशक (एस.पी.)

संपादक : **दिवाकर शर्मा**

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

ब्लाक-11, 3 एवं 4 मंजिल

सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, लोदी रोड

नई दिल्ली-110003

संपादकीय

पुलिस विज्ञान त्रैमासिक पत्रिका का अप्रैल-जून, 2010 का अंक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि संपादक मंडल का यह प्रयास रहता है कि पत्रिका में पुलिस, न्यायालयिक विज्ञान व अन्य संबंधित विषयों की प्रामाणिक व प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जाए। अतः अपराधों को सुलझाने में पुलिसकर्मियों द्वारा किस प्रकार की कार्य प्रणाली अपनाई जाए, अपराधों से निपटने तथा अपराध होने की संभावनाओं से संबंधित कुछ ओजस्वी विचार तथा प्रैस की भूमिका पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तथा समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो आम पुलिस-कर्मी के साथ सभी वर्ग के लिए उपयोगी होते हैं।

इस अंक में इस बार आप सभी के लिए **पुलिस के अधिकार एवं जिम्मेदारियां, मानव वध के अभियोगों की विवेचना, पुलिस कार्यों में जनसाधारण की भागीदारी, साइबर दुनिया के सफेदपोष अपराधी, महिलाएं, अपराध तथा पुलिस, समाज में अपराध नियंत्रण और जन सहयोग, धार्मिक प्रथाओं द्वारा महिला शोषण, नारी-विमर्श और पुलिस का दायित्व** से संबंधित लेख भी हैं। पत्रिका के सुधी पाठक पत्रिका को और अधिक सूचनाप्रद व उपयोगी बनाने में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा है कि पत्रिका में सम्मिलित सभी लेख पाठकों को उपयोगी लगेंगे और वे अपने विचारों से संपादक मंडल को अवगत कराते रहेंगे। आपके विचारों का सहर्ष स्वागत है।

दिवाकर शर्मा

संपादक

वर्ष - 28 अंक 111 अप्रैल-जून, 2010

अनुक्रम

पुलिस के अधिकार एवं जिम्मेदारियां
• *संजय मल्होत्रा* 7

मानव वध के अभियोगों की विवेचना
• *डा. हाकिम राय* 18

पुलिस कार्यों में जनसाधारण की भागीदारी
• *रेखा कपूर* 27

साइबर दुनिया के सफेदपोष अपराधी
• *तेज सिंह केशवाल एवं प्रीतिबाला मिश्रा* 36

महिलाएं, अपराध तथा पुलिस
• *डा. ओमराज सिंह* 41

समाज में अपराध नियंत्रण और जन सहयोग
• *डा. एस. अखिलेश* 46

धार्मिक प्रथाओं द्वारा महिला शोषण 51
• *डा. जयश्री एस.भट्ट*

नारी विमर्श और पुलिस का दायित्व 60
• *प्रो. मृत्युंजय उपाध्याय*

समीक्षा समिति के सदस्य

प्रो. एम. ज़ैड. खान, नई दिल्ली
प्रो. एस.पी.श्रीवास्तव, लखनऊ
श्री एस.वी.एम त्रिपाठी, लखनऊ
प्रो. बलराज चौहान, भोपाल
प्रो. अरुणा भारद्वाज, नई दिल्ली
प्रो. जे.डी. शर्मा, सागर, (म.प्र.)
प्रो. स्नेहलता टंडन, नई दिल्ली
डा. दीप्ति श्रीवास्तव, भोपाल
प्रो. वी.के. कपूर, जम्मू
डा. शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी, मेरठ
डा. अरविंद तिवारी, मुंबई
डा. उपनीत लल्ली, चंडीगढ़
श्री एस.पी. सिंह पुंडीर, लखनऊ
श्री पी. डी. वर्मा, छत्तीसगढ़
श्री वी.वी.सरदाना, फरीदाबाद
श्री सुनील कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की सहमति आवश्यक नहीं।

कवर डिजायन : राहुल कुमार

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : रचना इंटरप्राइजिज, वी-8, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032

पुलिस के अधिकार एवं जिम्मेदारियां

संजय मल्होत्रा

सी-12/452, यमुना विहार
दिल्ली-110053

भारत में पुलिस को अपराधों की रोकथाम एवं अन्वेषण का कठिन कार्य सौंपा गया है। उन पर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा करने तथा राज्य की सुरक्षा के लिए एक अहम् भूमिका निभाने की जिम्मेदारी है। इन संवेदनशील और कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए पुलिस को बहुत से कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में, व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, उनकी स्वयं की और उनकी सम्पत्ति की तलाशी लेने, उन्हें अन्वेषण हेतु पुलिस थाने में बुलाने तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु जो आवश्यक हो, ऐसी अन्य कानूनी कार्रवाई करना शामिल है। पुलिस अपने अधिकारों का सही रूप में उपयोग करे, इसलिए कानून ने पुलिस की सीमाएं निर्धारित की हैं तथा उन पर अनेक प्रतिबंध लगाए हैं।

पुलिस को उनकी मर्यादाओं की याद दिलाने तथा लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से इस अध्याय में पुलिस के द्वारा प्रायः उपयोग किए जाने वाले अधिकारों तथा उन पर लगे कानूनी बंधनों की चर्चा करने का प्रयास किया गया है। विभिन्न कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के कुछ महत्वपूर्ण मार्गदर्शनों तथा निर्देशों का संदर्भ भी दिया गया है और उन्हें उद्धरित किया गया है।

गिरफ्तारी तथा हिरासत में रखना

अपराधों की रोकथाम करना एवं अन्वेषण करना पुलिस के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। किसी अपराध के अन्वेषण के दौरान पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जिन पर अपराध करने का आरोप है, या जिन पर संदेह होने का उचित आधार है। पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कहा जा सकता है, जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया हो। विशिष्ट परिस्थितियों में पुलिस को एक संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके हिरासत में रखना पड़ सकता है। पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, उस व्यक्ति को कई तरह से प्रभावित करती है। इसलिए पुलिस द्वारा लोगों को गिरफ्तार करने के अधिकार को पुलिस के हाथों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण हथियार के रूप में देखा जाता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 5 में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने तथा उसके उपरांत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में उल्लेखित किया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस धारा में दिए गए प्रावधानों के तहत उन व्यक्तियों, जिन्हें कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, में ये शामिल हैं :

(क) जो किसी संज्ञेय अपराध से संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबद्ध रह चुका है, अथवा

(ख) जो अपने कब्जे में विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना, जिस प्रतिहेतु को साबित करने का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, गृह-भेदन का कोई उपकरण रखता है, अथवा

(ग) जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका है, अथवा

(घ) जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज पाई जाती है

जिसके चुराई हुई सम्पत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, अथवा

(ड़) जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या तो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है, अथवा

(च) जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से भगौड़ा होने का उचित संदेह है, अथवा

(छ) जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से, जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने का भागी है, संबद्ध रह चुका है या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इत्तिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे सम्बद्ध रह चुका है, अथवा

(ज) जो छोड़ा गया सिद्धदोष होते हुए धारा 356 की उपधारा (5) के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, अथवा

(झ) जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब जब कि अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का, जिसे गिरफ्तार किया जाना है, और उस अपराध का या अन्य कारण का, जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, विनिर्देश है और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता था।

गिरफ्तारी करते समय बल का प्रयोग

गिरफ्तारी कैसे की जाए यह धारा 46 में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी वस्तुतः गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को छुएगा या उस व्यक्ति के शरीर को अपने कब्जे में लेगा यदि उसने शब्दों या इशारों से अपने आप को हिरासत के लिए समर्पित नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह धारा पुलिस के अधिकार को दर्शाती है, परंतु वर्तमान समय में जब मानव अधिकारों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, धारा 46 के प्रावधानों को पुलिस पर बंधन के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका यह अर्थ निकाला जाना चाहिए कि जब तक गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति प्रतिरोध नहीं करता तब तक उसे गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा छुआ नहीं जाएगा। धारा 46 के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी उसकी गिरफ्तारी के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकता है। हालांकि, धारा 46 की उप धारा (3) किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसके विरुद्ध बल प्रयोग करने के पुलिस के अधिकार को सीमाबद्ध करती है। इसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति, जो मृत्यु या आजीवन कारावास के दण्डयोग्य अपराध का अपराधी नहीं है, उसे गिरफ्तार करते हुए जान से मारने का अधिकार पुलिस को नहीं है।

शारीरिक अवरोध तथा हथकड़ी

गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को संभालने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 49 पुलिस के अधिकारों पर एक अन्य प्रतिबंध लगाती है। इसके अनुसार, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा जितना उसे भागने से रोकने के लिए आवश्यक है उससे अधिक अवरोध करने की अनुमति नहीं है। पुलिस अपने स्वेच्छाधिकार का उपयोग करते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत से भागने से रोकने के लिए उसे हथकड़ी लगाया करती थी। परंतु मानवअधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ, अब हथकड़ी लगाए जाने का विरोध किया जाता

है जब तक कि ऐसा करना पूर्णतः न्यायोचित न हो।

गिरफ्तारी का कारण बताना तथा जमानत का अधिकार

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 की उपधारा (1) के अनुसार किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, उस व्यक्ति को उस अपराध का, जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है, पूर्ण विवरण तथा ऐसी गिरफ्तारी का कारण, तुरंत सूचित करेगा। धारा 50 की उपधारा (2) के अनुसार जहां कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति, गैरजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अलावा, को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है तो वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह जमानत पर छूटने का हकदार है। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसे जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, उसे जमानत पर छूटने का हक है। पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी, जिसने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पर धारा 436 के प्रावधान बंधन लगाते हैं कि अगर वो व्यक्ति जमानत देने को तैयार है तो वह उसे जमानत पर छोड़ दे।

जमानत रद्द करना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि जमानत पर रिहा व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं डाले, उच्चतम न्यायालय ने जमानत रद्द करने के विषय पर विचार किया है। शीर्ष न्यायालय ने यह कहा है कि यद्यपि जमानती अपराध के अभियुक्त का उसके प्रकरण की विचाराधीन कालावधि में जमानत पर छूटने का अधिकार है, फिर भी रिहा होने के उपरांत उसका आचरण यदि निष्पक्ष सुनवाई के लिए हानिप्रद है, तो वह जमानत पर रहने का अपना अधिकार खो देगा तथा ऐसा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अनुसार उच्च न्यायालय में निहित अधिकारों का उपयोग करके किया जा सकता है। इसलिए तत्पश्चात की कार्रवाई के किसी भी स्तर पर, यदि ऐसा पाया जाता है कि जमानती अपराध का एक अभियुक्त अभियोग पक्ष के गवाहों को डरा रहा है, रिश्वत दे रहा है या उन्हें प्रभावित कर रहा है या वह भगोड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो उसे गिरफ्तार करवाने तथा ऐसे समय के लिए, जैसा कि उचित समझा जाए, हिरासत में भेजने का उच्च न्यायालय को निहित अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग केवल अपवादात्मक परिस्थिति में किया जा सकता है, जब उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि यदि अभियुक्त को हिरासत में नहीं भेजा गया तो उचित न्याय नहीं होगा।

गिरफ्तार व्यक्ति को दोषमुक्त करना

धारा 59 में ऐसा प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार किया है, उसको बंधपत्र निष्पादन करने या जमानत देने या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश होने के अलावा दोष-मुक्त नहीं किया जाएगा। इस प्रावधान के द्वारा विधायिका ने रोक एवं संतुलन के सिद्धांत को लागू करते हुए पुलिस की बजाय मजिस्ट्रेट को गिरफ्तार व्यक्तियों को दोष-मुक्त करने संबंधी विशेष आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत किया है।

हिरासत में रखना

किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके तत्काल जमानत पर छोड़ देने के बजाय अगर उसे हिरासत में रखा जाता है तो यह उसके लिए अधिक कष्टकारक एवं अपमानजनक होता है। हिरासत में रखना एक व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता पर सीधा एवं प्रभावकारी प्रतिरोध होता है, इसलिए कानून एक व्यक्ति को उचित तथा अनिवार्य आधार पर ही हिरासत में रखने की अनुमति देता है, और वो भी कम से कम अपेक्षित समय के लिए। विधायिका ने इस संबंध में पुलिस को ज्यादा स्वेच्छाधिकार नहीं दिए हैं तथा गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट किए हैं। कुछ वैधानिक प्रावधानों का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है :

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 56 यह निर्देश देती

है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी बिना अनावश्यक विलंब के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस प्रकरण में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा।

(2) धारा 57 के प्रावधानों के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखेगा जितना उस प्रकरण की सभी परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी।

(3) धारा 167 में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जब अन्वेषण 24 घण्टों में पूरा नहीं किया जा सकता। इस धारा के तहत ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस हिरासत या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है और यह प्रतीत होता है कि 24 घण्टों में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता तथा ऐसा विश्वास करने के आधार हों कि आरोप या सूचना पक्की है तो, पुलिस थाने का प्रभारी या अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मजिस्ट्रेट उस अभियुक्त को अधिक से अधिक 15 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दे सकता है।

(4) धारा 167(2) के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को 15 दिन से अधिक न्यायिक हिरासत में भेज सकता है, परंतु यदि अपराध ऐसा है जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष के कारावास की सजा हो सकती है तो ऐसी न्यायिक हिरासत की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं हो सकती तथा अन्य प्रकरणों में 60 दिनों से अधिक नहीं।

(5) यदि किसी प्रकरण में एक व्यक्ति कारागार में न्यायिक हिरासत में है तो प्रकरण का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को 90 या 60 दिन की निर्धारित अवधि, जो भी लागू हो, में अन्वेषण पूर्ण करके दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2)(i) के अनुसार पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उस अभियुक्त को, यदि वह जमानत पर छुटने के लिए तैयार है तथा उसने जमानत के लिए आवेदन दिया है, जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि, अगर पुलिस निर्धारित अवधि में अपना अन्वेषण पूर्ण करके दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अनुसार आवश्यक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत में रखे गए उस अभियुक्त की हिरासत अवधि और आगे बढ़ाई जा सकती है।

पुलिस के गिरफ्तार करने के अधिकारों का राष्ट्रीय पुलिस आयोग, 1979 ने भी गहराई से अध्ययन किया। आयोग ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में यह राय दी कि अधिकतर गिरफ्तारियां बहुत ही छोटे अभियोगों से संबंधित की गई थीं, इसलिए अपराध की रोकथाम के दृष्टिकोण से उन्हें बहुत जरूरी नहीं माना जा सकता। आयोग ने सुझाव दिया कि संज्ञेय मामलों के अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी निम्नलिखित परिस्थितियों में से एक या अन्य में ही न्यायोचित मानी जा सकती है :

(1) अगर मामला संगीन अपराध जैसे हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार आदि का है, तथा ऐसे अभियुक्त को आतंकग्रस्त पीड़ितों में विश्वास जगाने के लिए गिरफ्तार करना तथा उसकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक है।

(2) आरोपी के भगोड़ा होने तथा उसके द्वारा कानूनी प्रक्रिया को टालने की संभावना हो।

(3) अगर अभियुक्त हिंसक व्यवहार करता है तथा उसके द्वारा और अधिक अपराध करने की संभावना है जब तक कि उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया जाए।

(4) अभियुक्त एक आदती अपराधी है तथा जब तक उसे हिरासत में नहीं रखा जाएगा तो संभवतः उससे वैसे ही अपराध पुनः होने की संभावना हो।

गिरफ्तार व्यक्ति के संबंधी को सूचित करने का अधिकार

कानून यह निर्देश देता है कि गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों तथा उसके जमानत पर रिहा होने के अधिकार की जानकारी दी जाए। चूंकि गिरफ्तार व्यक्ति शायद अपनी जमानत की व्यवस्था न कर सके इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति को, जो गिरफ्तार व्यक्ति की मदद करेगा, उसकी गिरफ्तारी की सूचना भिजवानी चाहिए।

हिरासती हिंसा तथा पुलिस प्रताड़ना

डी.के. बासु के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर लंबी चर्चाओं के बाद गिरफ्तारी या हिरासत में रखने के सभी मामलों में, तब तक पालन करने के लिए जब तक कि इस संबंध में प्रतिबंधक उपायों के रूप में कानूनी प्रावधान नहीं बनाए जाते, निम्नलिखित आवश्यकताएं जारी की हैं :

(1) पुलिस कर्मियों को, जो गिरफ्तारी करते हैं तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, सही दिखाई देने वाली तथा स्पष्ट पहचान एवं पदनाम के साथ नाम की पट्टी लगानी चाहिए। ऐसे सभी पुलिस कर्मियों के, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से पूछताछ करते हैं, विवरण एक रजिस्टर में प्रविष्ट किए जाने चाहिए।

(2) गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का एक पत्रक (मेमो) बनाए तथा ऐसा पत्रक एक गवाह द्वारा, जो या तो उसके परिवार का सदस्य हो या उस क्षेत्र का हो जहां से गिरफ्तारी की जा रही है या अन्य कोई सम्मानित व्यक्ति हो, सत्यापित करवाया जाए। इसे गिरफ्तार हुए व्यक्ति से भी प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए तथा उस पर गिरफ्तारी करने का समय व तिथि भी लिखी जाए।

(3) उस व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में रखा गया है और उसे पुलिस स्टेशन या पूछताछ केंद्र या लॉक-अप में रखा गया है, अपने मित्र या रिश्तेदार या अन्य कोई व्यक्ति जिसे वह जानता है या उसके कोई अन्य शुभचिंतक को, जितनी जल्दी हो सके यह सूचित करवाने, कि उसे गिरफ्तार किया गया है तथा उसे अमुक स्थान पर रखा गया है, का अधिकार होगा यदि गिरफ्तारी पत्रक का गवाह स्वयं गिरफ्तार किए व्यक्ति का ऐसा मित्र या रिश्तेदार न हो।

(4) जब गिरफ्तार किए व्यक्ति का मित्र या रिश्तेदार उस जिले के बाहर रहता हो तो पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने का समय, स्थान तथा हिरासत के स्थान के बारे में उस जिले के कानूनी सलाह संगठन के मार्फत तथा संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने के मार्फत गिरफ्तारी के 8 से 12 घण्टे के अंदर तार से सूचित किया जाएगा।

(5) गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद जल्द से जल्द अवश्य अवगत करवाना चाहिए कि उसकी गिरफ्तारी के बारे में या हिरासत में रखे जाने के बारे में उसे किसी को सूचित करवाने का अधिकार प्राप्त है।

(6) गिरफ्तारी के स्थान पर रखी डायरी में गिरफ्तारी के बारे में अनिवार्यतः प्रविष्टि करनी चाहिए, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के मित्र, जिसे गिरफ्तारी की जानकारी दी है, का नाम तथा उस पुलिस अधिकारियों के विवरण जिनके हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति है, दर्शाया जाए।

(7) गिरफ्तार व्यक्ति के निवेदन पर, गिरफ्तारी के समय पर उसकी शारीरिक जांच करनी चाहिए तथा अगर उसके शरीर पर मोटी (गंभीर) या छोटी चोटें हो तो उसी समय उन्हें अभिलिखित करना चाहिए। ऐसे परीक्षण पत्रक पर गिरफ्तार व्यक्ति तथा गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों के अनिवार्यतः हस्ताक्षर करवाए जाएं तथा इसकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को भी दी जाए।

(8) गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के हिरासत में रहते हुए उसकी चिकित्सा जांच प्रत्येक 48 घण्टों में किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा करवाई जाए जो कि संबंधित राज्य या संघ शासित प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा अनुमोदित सूची में हो। स्वास्थ्य सेवा निदेशक द्वारा ऐसे चिकित्सकों की सूची सभी तहसीलों तथा जिलों के लिए तैयार करके रखनी चाहिए।

(9) गिरफ्तारी पत्रक सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, जिनके बारे में ऊपर बताया गया है, मजिस्ट्रेट के रिकार्ड हेतु भेजी जानी चाहिए।

(10) गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जाए यद्यपि ऐसी अनुमति पूछताछ की पूरी अवधि के लिए नहीं होगी।

(11) राज्य मुख्यालय एवं प्रत्येक जिला मुख्यालय में पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी तथा गिरफ्तार व्यक्ति को जहां रखा गया है इससे संबंधित सूचना, गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी गिरफ्तारी के 12 घण्टों के अंदर भेजेगा तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष में उक्त सूचना स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्थान पर लगाए एक नोटिस बोर्ड पर दर्शायी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में स्पष्ट रूप से कहा है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारी विभागीय कार्रवाई के अलावा न्यायालय के आदेशों की अवमानना के लिए भी सजा का पात्र होगा तथा न्यायालय के आदेशों की अवमानना के संबंध में मुकद्मा उच्च न्यायालय में चलाया जा सकेगा जिसके क्षेत्र अधिकार में ऐसा मामला आता है।

गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच कराने संबंधी अधिकार

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 एक अन्य मुख्य प्रावधान है जिसके अनुसार पुलिस को प्रभावी अन्वेषण हेतु अधिकार दिए गए हैं। धारा 53(1) के अनुसार जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो ऐसी प्रकृति का है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाने का आरोप है कि जिनसे यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उसकी शारीरिक जांच ऐसा अपराध किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करेगी, तो ऐसे पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, के निवेदन पर पंजीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के लिए और उसकी सहायतार्थ सद्भावपूर्ण कार्य करने वाले तथा उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के लिए गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का ऐसा शारीरिक चिकित्सा परीक्षण करना जो उन तथ्यों को, जो ऐसा साक्ष्य प्रदान कर सके, अभिनिश्चित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है तथा उतना बल प्रयोग करना जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है, विधिपूर्ण होगा।

गिरफ्तार व्यक्ति के शरीर के परीक्षण का अधिकार

गिरफ्तार व्यक्ति की शारीरिक जांच करवाने का पुलिस को अधिकार देते समय विधायिका ने गिरफ्तार व्यक्ति को भी वैसा ही अधिकार देना उचित समझा और इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 54 को सम्मिलित किया। सरसरी तौर पर देखने से धारा 53 तथा धारा 54 की भाषा एक समान लगती है, किंतु ऐसा नहीं है। धारा 53 में 'शारीरिक परीक्षण' इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि धारा 54 में 'अपने शरीर का परीक्षण' शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से धारा 53 पुलिस को गिरफ्तार किए व्यक्ति के 'शारीरिक परीक्षण' की शक्तियां प्रदान करती है, जबकि धारा 54 गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 'अपने शरीर का परीक्षण' करवाने का अधिकार देती है।

व्यक्तियों तथा स्थानों की तलाशी

व्यक्तियों तथा स्थानों की तलाशी लेने का अधिकार एक अन्य प्रभावशाली साधन है, जिसका उपयोग पुलिस द्वारा किया जाता है। प्रकरण के अन्वेषण के दौरान कोई सुराग ढूंढ़ने और प्रकरण का पता लगाने तथा आरोपी

पर अभियोग चलाने के लिए साक्ष्य इकट्ठा करने हेतु पुलिस को विभिन्न व्यक्तियों और स्थानों की तलाशी लेनी पड़ती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 47(1), गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को किसी स्थान में प्रविष्ट होने तथा तलाशी लेने के लिए अधिकृत करती है तथा ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का प्रभारी व्यक्ति पुलिस अधिकारी को तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं मुहैया करवाएगा। धारा 47 की उप धारा (2) में यह प्रावधान है कि यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा (1) के अनुसार नहीं हो सकता तो पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले, और ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए किसी मकान या स्थान की किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले, चाहे वह मकान उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी स्थान की तलाशी लेने हेतु कानूनन ऐसे स्थान में प्रवेश हुआ है तथा वहां बन्द हो गया है और उसे अवरोधित कर दिया गया है तो वह अपने आपको मुक्त करने के लिए किसी मकान का बहारी या अंदर का द्वार या खिड़की तोड़कर खोल सकता है।

जब्ती का अधिकार

किसी प्रकरण के अन्वेषण के दौरान पुलिस को विभिन्न वस्तुओं एवं सामग्री को जब्त करना होता है जो उन्हें प्रकरण का पता लगाने में तथा बाद में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग चलाने में काम आ सकती हैं। ऐसी वस्तुओं एवं अन्य सामग्री में लाइसेंसी हथियार, वाहन, मशीनों के कलपुर्जे, कम्प्यूटर जैसी कीमती चीजों के साथ कुछ ऐसी वस्तुएं या ऐसी सामग्री भी हो सकती है जिसका बाजार में कोई मूल्य नहीं है जैसे कि धूल के कण, खून, वीर्य एवं लार के धब्बे इत्यादि। कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों जैसे दुर्घटना और लावारिस मिली संपत्तियों के मामले में भी पुलिस ऐसी संपत्तियों को अपनी अभिरक्षा में ले सकती है या जब्त कर सकती है और उनके निपटारे के लिए अगले कदम उठाने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

अन्वेषण का अधिकार

पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय अपराध का अन्वेषण करने का अधिकार है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(1) के अनुसार पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय प्रकरण में अन्वेषण कर सकता है जिसकी उस थाने की सीमाओं के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाला न्यायालय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 13 के प्रावधानों के तहत जांच या सुनवाई कर सकता है। कोई मजिस्ट्रेट जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अनुसार प्रकरण का संज्ञान लेने का अधिकार है, किसी संज्ञेय प्रकरण को अन्वेषण हेतु पुलिस के पास भेज सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की अनुसूची—एक में निर्दिष्ट किया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता और अन्य कानूनों के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों में कौन से अपराध संज्ञेय है।

अन्वेषण मना करने का अधिकार

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 की उपधारा (1) के उपबंध (बी) के अनुसार पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को, एक संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्ति के बाद, यह तय करने के लिए अवसर देता है कि वह अन्वेषण करे या अन्वेषण करने से मना करे। इसके अनुसार पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि अन्वेषण शुरू करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह प्रकरण का अन्वेषण नहीं करेगा। फिर भी, उप धारा (2) के अनुसार पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी प्रकरण का अन्वेषण करने से मना करने के कारणों का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में दर्ज करेगा और वह तत्काल ही, राज्य सरकार द्वारा विहित की गई

रीति से, सूचना देने वाले को, यदि कोई हो, तत्काल सूचित करेगा कि वह उस प्रकरण में न तो अन्वेषण करेगा और न ही कराएगा।

लोगों का पुलिस थाने में बुलाने का अधिकार

अपराधों के अन्वेषण के संबंध में लोगों को पुलिस थाने में बुलाने का प्राधिकार एक अन्य क्षेत्र है जहां पुलिस का स्वेच्छाधिकार है। पुलिस को अन्वेषण के अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XII से प्राप्त होते हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 के तहत पुलिस को संज्ञेय प्रकरण में मजिस्ट्रेट की बिना आज्ञा के अन्वेषण करने का अधिकार है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची यह स्पष्ट करती है कि भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य कानूनों के तहत कौन सा अपराध संज्ञेय है। कोई मजिस्ट्रेट, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 के अनुसार प्रकरण का संज्ञान लेने का अधिकार है, प्रकरण पुलिस के पास अन्वेषण के लिए भेज सकता है।

आपराधिक प्रकरणों में जहां दस्तावेजी साक्ष्य अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है वहां पुलिस, सत्य को ढूंढने के लिए मौखिक साक्ष्य एकत्रित करती है। अपराध का अन्वेषण कर रहे पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह गवाहों से पूछताछ करने के लिए घटना-स्थल तथा अन्य स्थानों का दौरा करे। अन्वेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए कानून ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत ऐसे पुलिस अधिकारी को अधिकार दिया है कि वह 15 वर्ष से कम आयु के पुरुष या किसी महिला को छोड़कर अन्य किसी व्यक्ति को अपने समक्ष हाजिर रहने के लिए आदेश दे सकता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII के अंतर्गत अन्वेषण कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है, जिसके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि वह परिस्थितियों से परिचित है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के तहत किसी व्यक्ति को, महिलाएं तथा 15 वर्ष से कम आयु के पुरुषों को छोड़कर, हाजिर होने का लिखित आदेश दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो पुलिस द्वारा जारी इन आदेशों की अनुपालना नहीं करता, उस पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174 के तहत आदेश की अवज्ञा के लिए अभियोग चलाया जा सकता है।

गवाहों का परीक्षण

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के प्रावधानों के अनुसार, कोई पुलिस अधिकारी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII के तहत एक संज्ञेय अपराध का अन्वेषण कर रहा है वह प्रकरण की परिस्थितियों और तथ्यों से परिचित समझे जाने वाले किसी व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है। यद्यपि ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किए गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए ऐसा व्यक्ति बाध्य होगा, फिर भी धारा 161 की उप धारा (2) के प्रावधान वर्णित करते हैं कि ऐसा व्यक्ति उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होगा जिनकी प्रवृत्ति उसे एक आपराधिक दोष, या सजा या जब्ती की आपत्ति में डालने की हो।

धारा 161 के तहत अपराधी से पूछताछ करने हेतु पुलिस की आधिकारिता पर सवाल उठाए गए हैं क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 20(3) में यह वर्णित है कि किसी अपराध के अभियुक्त को उसके स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने नंदिनी सतपथी के प्रकरण में इस मामले का परीक्षण किया तथा न्यायालय ने कहा है कि धारा 161 के तहत पुलिस को अन्वेषण के दौरान अपराधी से पूछताछ करने का अधिकार प्राप्त है। परंतु शीर्ष न्यायालय ने पुलिस को धारा 161 के तहत अपराधी से पूछताछ करने के दौरान किसी प्रकार का दबाव या बलप्रयोग न करने की चेतावनी दी है। न्यायालय यह कहता है कि

एक पुलिस अधिकारी स्पष्ट रूप से एक प्राधिकारी है तथा उत्तर देने के लिए आग्रह करना दबाव का ही एक प्रकार है, विशेषकर एक पुलिस थाने के वातावरण में, जब एक दबाव को हटाने के निश्चित उपाय नहीं किए जाते। इस प्रकरण में न्यायालय ने निम्न रूप से कहा :

"हम आगे यह कहते हैं कि एक अभियुक्त को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए केवल इसलिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि उस विशेष प्रकरण के संबंध में तथा पृथक रूप से देखने पर उन प्रश्नों के उत्तर उसे फंसाने वाले नहीं है। वह व्यक्ति अपना मुंह बंद रखने का हकदार है यदि अपेक्षित उत्तर उसे किसी अन्य आरोप, वर्तमान या निकट में होने वाले, के लिए आपत्ति में डालने के लिए तर्कसंगत दृष्टि से समर्थ है, भले ही चालू अन्वेषण उस संदर्भ में न किया जा रहा हो। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि एक उत्तर में दोषी ठहराए जाने के लक्षण हैं या नहीं, इसका निर्णय लेते समय एक अभियुक्त को आरोपण, परिस्थितियों की समष्टि, समीकरण, व्यक्तिगत तथा सामाजिक, जो एक उत्तर को वस्तुतः निर्दोष परंतु अर्थ में व प्रभाव में दोषी बनाने का असर रखते हैं, का विचार करने का हक है तथा न्यायालय निर्णय करते समय इनकी ओर ध्यान देगा। हालांकि, काल्पनिक अधिकार, तर्कहीन भय तथा अनिश्चित संभावनाएं एक अभियुक्त के लिए छुपने के क्षेत्र नहीं हो सकते। जहां उसे फंसाने की स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं है वहां उत्तर देने के लिए वह बाध्य है।

गवाह के बयान पर हस्ताक्षर लेने की मनाही

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 अन्वेषण कर रहे पुलिस अधिकारी पर किसी भी गवाह से संहिता के अध्याय XII के तहत लिए गए बयान पर हस्ताक्षर करवाने से मना करती है। इस अध्याय के अंतर्गत इन शब्दों का प्रयोग स्पष्ट करता है कि अध्याय XII के तहत अन्वेषण के दौरान लिए गए सभी बयानों के लिए यह प्रतिबंध लागू है। अन्वेषक द्वारा मृत्यु समीक्षा के दौरान धारा 174 के तहत किसी गवाह का लिया हुआ बयान भी धारा 162 के तहत लगाई गई रोक की परिनिधि में आता है। परंतु धारा 154 के अंतर्गत अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी अन्वेषण के दौरान लिया गया बयान नहीं होता और इसलिए इस पर हस्ताक्षर लेने पर पाबंदी नहीं है। धारा 162 के प्रावधान किसी गवाह के मृत्युकालिक कथन, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 के उपबंध (1) के प्रावधानों के तहत लिए जाते हैं, पर लागू नहीं होते। इसी प्रकार, यह प्रतिबंध भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को प्रभावित नहीं करता, जिसके तहत किसी अपराधी द्वारा पुलिस हिरासत में होते हुए पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान (अपराध की कुबूली या अन्यथा) उस हद तक स्वीकार्य है जहां तक वह किसी तथ्य को उजागर करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 का उल्लंघन करके बयानों पर हस्ताक्षर लेने के दूरगामी परिणामों के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है, "अगर एक अन्वेषक अधिकारी अपने द्वारा लिए गए एक गवाह के बयान पर हस्ताक्षर लेता है, तो उससे गवाह का साक्ष्य अमान्य नहीं हो जाता, यह सिर्फ न्यायालय को सावधान करता है और उसके लिए ऐसी साक्ष्य की गहराई से छानबीन करने की आवश्यकता पैदा कर सकता है।" एक अन्य प्रकरण में, शीर्ष न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि कानूनी प्रावधानों से अनजान, अगर कोई अन्वेषण अधिकारी, संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर लेता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायालय के समक्ष उस गवाह का साक्ष्य संदूषित या नष्ट हो गया है। न्यायालय केवल गवाह को फिर से विश्वास दिलाएगा कि वह ऐसे बयान के बंधन में नहीं है भले ही उसके हस्ताक्षर उस पर है।

ऐसा प्रतीत होता है कि कानून निर्माताओं ने गवाहों के लिए ऐसी सुरक्षा का प्रावधान इस उद्देश्य से किया है कि वे न्यायालय के समक्ष गवाही देने के दौरान,

इसका ध्यान रखे बिना कि उन्होंने अन्वेषण के दौरान पुलिस के समक्ष क्या बयान दिया है, स्वतंत्र रह सकें। कानून में एक ऐसे प्रावधान का रहना यह दर्शाता है कि विधायिका अभी भी पुलिस की विश्वसनीयता पर शंका करती है। पुलिस द्वारा इस प्रतिबंध का उल्लंघन न सिर्फ गवाह को साक्ष्य की विश्वस्ता को कम कर सकता है परंतु इससे पूरे अन्वेषण की सत्यता पर भी गंभीर संदेह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस प्रतिबंध की अनुपालना करना न सिर्फ पुलिस का कर्तव्य है बल्कि यह जनता के सदस्यों का भी कर्तव्य है कि वे पुलिस द्वारा लिए गए ऐसे बयान पर हस्ताक्षर करने की मांग का विरोध करें।

कबूली बयान लेना

धारा 164 में यह प्रावधान है कि सुनवाई शुरू होने से पहले दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII के अंतर्गत या किसी अन्य कानून के अंतर्गत अन्वेषण की प्रक्रिया के दौरान कोई भी महानगर दंडाधिकारी या न्यायिक दंडाधिकारी किसी अपराध की कबूली या उसके समक्ष दिए गए कथन को अभिलिखित कर सकता है। परंतु यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रलोभन देकर, धमकी देकर या अन्य किसी प्रकार का दबाव डालकर अपराध कबूल करवाने के लिए पुलिस द्वारा इस प्रावधान का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए कानून में अनेक सावधानियों को सम्मिलित किया गया है और किसी व्यक्ति का कबूली बयान अभिलिखित करने से पहले एक विस्तृत प्रक्रिया का अनुपालन करना निर्धारित किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित प्रासंगिक बिंदु हैं, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में वर्णित है, जिनको संबंधित प्राधिकारियों जैसे पुलिस और मजिस्ट्रेट, तथा कबूल देने के इच्छुक व्यक्ति, दोनों को ध्यान में रखना चाहिए।

(1) एक पुलिस अधिकारी, जिसे दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, किसी अपराध का कबूली बयान नहीं ले सकता। परंतु किसी विशेष कानून, जैसे द महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑरगेनाइज्ड क्राइम एक्ट, 1999 के तहत पुलिस अधिकारियों को अपराध का कबूली बयान लेने के अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं।

(2) किसी अपराध का कबूली बयान लेने से पहले, दंडाधिकारी संबंधित व्यक्ति को यह भलीभांति बताएगा कि वह अपराध की कबूली देने के लिए बाध्य नहीं है।

(3) कबूली बयान देने से पहले किसी भी समय यदि दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित व्यक्ति द्वारा यह कहा जाता है कि वह अपराध की कबूली देने का इच्छुक नहीं है, तो दंडाधिकारी ऐसे व्यक्ति को पुलिस की हिरासत में रखने का आदेश नहीं देगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा यह दर्शाती है कि कानून ने पुलिस को बहुतायत अधिकार प्रदान किए हैं तथा साथ में विस्तृत प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिनके तहत इन अधिकारों का प्रयोग किया जाना है। दिसम्बर, 1948 में मानवअधिकारों की घोषणा ने राष्ट्रों को मानवता की वेदना के प्रति सचेत किया है। भारत के नेताओं ने इस घोषणा के मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में सम्मिलित किया। संविधान लोगों को जीने एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है।

उच्चतम न्यायालय, जो न केवल कानून का सबसे बड़ा न्यायालय है अपितु संविधान का संरक्षक भी है, ने विभिन्न मामलों को निपटाते समय मौलिक अधिकारों के दायरे को बढ़ाया है और पुलिस पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। पुलिस को इन प्रतिबंधों और आवश्यकताओं को जो शक्ति और प्रभाव में कानून के बराबर है, को अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना होता है। शीर्ष न्यायालय ने अनेक मामलों में न केवल ऐसे व्यक्तियों को, जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया, प्रतिपूर्ति देने को कहा है अपितु पुलिस अधिकारियों को भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए पात्र ठहराया है।

यह सत्य है कि लोग, विशेषकर अपराधों के शिकार लोग, पुलिस से यह आशा करते हैं कि वह हिंसा करने वालों तथा जघन्य अपराध कर मानवता को शर्मसार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। परंतु पुलिस को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना होता है। वह अपने आप को भावनाओं के नियंत्रण में नहीं कर सकती। जब संविधान, विधायिका, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय कहते हैं कि लोगों के अधिकारों, जिसमें अभियुक्त के अधिकार भी शामिल हैं, की सुरक्षा करनी चाहिए तो पुलिस का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह ऐसे कानूनी निर्देशों का पालन करे।

पुलिस आपराधिक न्याय प्रशासन, जो कि राज्य की एक शाखा है, का हिस्सा है। कानून ने इसे निश्चित कार्य सौंपे हैं और प्रक्रियाओं को निर्धारित किया है, जिनका अनुपालन उन कार्यों के निष्पादन के लिए करना होता है। कानून लागू करने वाला एक संगठन होने के नाते, पुलिस को न केवल स्वयं कानून का पालन करके अपितु दूसरों से भी कानून का पालन करवाकर 'कानून का शासन' लागू करना होता है। यदि कोई प्रचलित कानून अप्रभावी पाया गया है या अधिक कठोर कानून की आवश्यकता हो तो पुलिस के पास विद्यमान कानून में संशोधन करवाने के लिए या नया कानून बनवाने के लिए सरकार से संपर्क करने का विकल्प है। स्वाभाविक तौर पर, इसके पास कानून को तोड़ने या उसकी अनदेखी करने का कोई विकल्प है।

इसलिए, पुलिस को अपनी व्यावसायिक कुशलता को बढ़ाना चाहिए और लोगों का विश्वास जीतने के लिए कानून लागू करने वाली एक कुशल एवं प्रभावी संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए। पुलिस जब तक लोगों के अधिकारों की कद्र नहीं करती है और एक मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाती है, तब तक वह लोगों के विश्वास को जीतने में सफल नहीं होगी। लोगों को भी उन मर्यादाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए जिनके दायरे में पुलिस को कार्य करना होता है, ताकि वे पुलिस से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की अपेक्षा न करें। पुलिस यदि कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करती है, पूर्ण रूप से निर्धारित प्रक्रियाओं का सही मायने में अनुपालन करती है और लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, तो विधायिका और न्यायालय पुलिस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की बजाय इसे और अधिक अधिकार प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं।

❑

मानव वध के अभियोगों की विवेचना

श्री हाकिम राय

पुलिस उपाधीक्षक (से.नि.)

9-डी, एच.आई.जी., आवंतिका कालोनी,

एम.डी.ए. मुरादाबाद (उ.प्र.)

पुलिस का प्रमुख कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है परंतु अनुभव के अनुसार यह कहा जा सकता है कि तत्काल और अच्छी विवेचना से भी अपराध की रोकथाम हो सकती है। अच्छी विवेचना के द्वारा अभियोजन पक्ष के अधिकारी न्यायालय को विवेचना में एकत्रित किए गए साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के जमानत के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत कराने एवं अभियुक्त को दण्डित कराने में सफल हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि त्रुटिपूर्ण विवेचना के कारण अभियुक्त दण्डित होने से बच जाते हैं और उसका अपराध करने का हौसला बढ़ जाता है। यद्यपि अपराध रहित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि अपराध होने के कारण जैसे—गरीबी, बेकारी, अशिक्षा और सामाजिक बुराईयां (दहेज की मांग, साम्प्रदायिकता का भाव, जातिगत विद्वेष और धन का लालच आदि) आदि समाज में विद्यमान हैं। इसलिए विवेचक को विधि के ज्ञान के साथ साथ उसको अपने आचरण में सच्चाई, निष्पक्षता और तत्परता को बनाए रखना चाहिए जिससे विवेचना को सही रूप से संपादित करके उसका निष्कर्ष निकाल सके।

विवेचना की परिभाषा

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-2 (एच) के अनुसार साक्ष्य को एकत्रित करने के संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाईयां विवेचना की श्रेणी में आती हैं। इससे स्पष्ट है कि विवेचना के द्वारा विवेचक पंजीकृत अपराध के अभियोग में सत्यता का पता लगाने का प्रयास करता है। सत्यता का पता लगाना एक आवश्यक व कठिन कार्य है। इसके लिए विवेचक को प्रारंभ से ही बहुत सर्तक व तत्पर रहने की आवश्यकता है उसको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ निर्धारित सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है।

विवेचना के सिद्धांत

विवेचना के संबंध में कुछ सिद्धांत परम्परागत रूप से बने हुए हैं जिनके पालन करने से विवेचना क्रमबद्ध रूप से की जा सकती है और उसमें त्रुटि होने का अवसर भी नहीं रहता है जिनका विवरण निम्न है।

1. प्रारंभ में ही विवेचना के संबंध में एक रूप रेखा तैयार कर लेनी चाहिए

जैसे :

क. किस किस व्यक्ति के कथन लिखने हैं

ख. किस किस संदिग्ध से पूछताछ करनी है

ग. किस किस के घर की तलाशी लेनी है

घ. किस किस अभिलेख को कब्जे में लेना है

ड़. किस गवाह से क्या पूछना है

च. किस विशेषज्ञ का अभिमत प्राप्त करना है

छ. किस अधिकारी की स्वीकृति अभियोग चलाने के लिए प्राप्त करनी है

2. विवेचना के किसी स्तर पर विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए जैसे :

क. वादी और गवाहों के कथन लिखने में

ख. घटनास्थल का निरीक्षण करने में

ग. अभियुक्तों की तलाश में

घ. विशेषज्ञ का अभिमत प्राप्त करने में

ड़. अभियोग में आरोप पत्र देने में

3. घटनास्थल का निरीक्षण शीघ्रातिशीघ्र किया जाय क्योंकि इससे निम्न कार्य हो सकते हैं :

क. घटनास्थल को सुरक्षित किया जा सकता है

ख. घटनास्थल पर मौजूद घायल को उपचार हेतु भेजा जा सकता है

ग. लोगों से अभियुक्तों का हुलिया ज्ञात किया जा सकता है और उसके आधार पर उनको तलाश किया जा सकता है।

घ. घटनास्थल से अभियुक्त द्वारा छोड़े गए भौतिक साक्ष्य एकत्र किए जा सकते हैं जैसे चले हुए कारतूस के खोखे, फिंगर प्रिंटस, फुट प्रिंटस, शस्त्र का कोई भाग रक्त रंजित वस्तुएं आदि

ड़. घटनास्थल पर मिले मृत शव को मृत्युपरांत शव विच्छेदन के लिए सील करने के उपरांत रवाना किया जाना चाहिए।

4. विवेचना गहराई से व पूर्णरूपेण की जानी चाहिए जैसे :

विवेचना को गहराई से करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

क. वादी और गवाहों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार की जानी चाहिए

ख. घटनास्थल का निरीक्षण कई बार किया जा सकता है।

ग. सभी गवाहों से पूछताछ की जानी चाहिए।

घ. पूछताछ करने में घटना के प्रत्येक बिंदु पर पूछताछ होनी चाहिए।

5. अभियुक्त का कथन अवश्य लिखा जाना चाहिए

यद्यपि धारा 25 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पुलिस के समक्ष की गई अपराध की संस्वीकृति न्यायालय में मान्य नहीं है, परंतु विवेचक को अभियुक्त से पूछताछ करने के लिए विधि में कही प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है। अभियुक्त से पूछताछ करके निम्न बातों की जानकारी की जा सकती है :

क. उसके साथियों के नाम

ख. चोरी गई/लूटी गई सम्पत्ति के बारे में

ग. चोरी का माल क्रय करने वालों के बारे में

घ. उनके अवैधानिक शस्त्रों के बारे में

ड़. उनकी सहायता करने वालों के बारे में

च. धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उनके बयान के आधार पर अपराध संबंधी वस्तु की खोज की जा सकती है।

6. विशेषज्ञों का अभिमत प्राप्त किया जाना चाहिए

विवेचना के दौरान निम्न पदार्थों के संबंध में विवेचक को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त विशेषज्ञों का अभिमत अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए क्योंकि विवेचक इन पदार्थों का विशेषज्ञ स्वयं नहीं होता है और विशेषज्ञों का अभिमत न्यायालय में मान्य होता है।

क. रक्त के संबंध में

ख. फिंगर प्रिंट के संबंध में

ग. वीर्य के संबंध में

घ. कपड़े और रेशों के संबंध में

ड़. मादक पदार्थो आदि के संबंध में

7. विवेचना में निष्पक्षता बरती जानी चाहिए

विवेचना में विवेचक को गिरफ्तारी और तलाशी लेते समय निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए जिससे सत्यता सामने आ सके इन कार्यों में जाति धर्म, प्रदेश, भाषा आदि का ध्यान नहीं रखना चाहिए। प्रारम्भ में वादी के पक्ष में या विपक्ष में कोई मत नहीं बनाना चाहिए क्योंकि कभी-कभी वादी झूठा पाया जाता है और अभियुक्त निर्दोष पाया जाता है। विवेचक को अपना मत साक्ष्य प्राप्त करने के बाद ही बनाना चाहिए।

8. विवेचना का संपूर्ण कार्य केस डायरी के माध्यम से किया जाना चाहिए

विवेचक को अपनी विवेचना की दिन प्रतिदिन की कार्रवाईयों को केस डायरी में लेखबद्ध करना चाहिए क्योंकि उसकी डायरी के आधार पर वह विवेचना का निष्कर्ष निकालता है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी केस डायरी के माध्यम से उसके कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। न्यायालय भी केस डायरी देखकर अपनी शंकाओं

का समाधान कर सकता है।

क. गवाहों के बयान केस डायरी में लिखे जाएं

ख. तलाशी और गिरफ्तारी का विवरण केस डायरी में आना चाहिए।

ग. अभियुक्त से पूछताछ का विवरण केस डायरी में आना चाहिए।

घ. घटनास्थल का निरीक्षण का वर्णन केस डायरी में आना चाहिए।

ड़. मानचित्र बनाने का उल्लेख भी केस डायरी में आना चाहिए।

च. कार्रवाई शिनाख्त अभियुक्त व संपत्ति का विवरण भी केस डायरी में आना चाहिए

छ. अपराध संबंधी किसी पदार्थ का परीक्षण विधि विधान प्रयोगशाला से कराने का विवरण केस डायरी में आना चाहिए आदि।

9. विवेचना का परिणाम यथा-शीघ्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना चाहिए

विवेचना का कार्य चाहे अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त किया जाए या आरोप पत्र द्वारा समाप्त किया जाए दोनों ही दशाओं में परिणाम को न्यायालय में प्रेषित किया जाता है क्योंकि की गई विवेचना पर अंतिम निर्णय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार न्यायालय में ही होता है। यदि अभियुक्त जेल में है और विवेचक विवेचना को रिमांड की अधिकतम निश्चित अवधि (60 दिन या 90 दिन) के अन्दर विवेचना को पूर्ण करके न्यायालय को सूचित नहीं करता है तो अभियुक्त का अग्रिम रिमांड प्राप्त नहीं होता है व अभियुक्त जमानत पाने का अधिकारी हो जाता है। अतः विवेचक को विवेचना को समय सीमा के अन्दर पूर्ण करके परिणाम से न्यायालय को अवगत कराना चाहिए।

मानव वध से संबंधित अभियोग

किसी व्यक्ति को मारना मानव वध कहलता है। यह मानव वध वैधानिक और अवैधानिक हो सकता है। वैधानिक मानव वध में सामान्य अपवादों में आने वाले भारतीय दण्ड संहिता के कई प्रकरण सम्मिलित हैं। अवैधानिक मानव वध के मामले निम्नवत अंकित हैं :

1. सदोष मानव वध जो हत्या की श्रेणी में आते हैं (धारा 302 भा.दं.सं.)
2. सदोष मानव वध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आते हैं (धारा 304 भा.दं.सं.)
3. उतावलेपन या अपेक्षापूर्ण कार्य से कारित मानव वध (धारा 304-ए भा.दं.सं.)
4. दहेज मृत्यु (धारा 304-बी भा.दं.सं.)
5. आत्म हत्या (धारा 305 व 306 भा.दं.सं.)

मानव वध के अपराधों में प्राप्त होने वाले साक्ष्य के प्रकार

सदोष मानव वध के अपराधों में विवेचना करते समय विवेचक अपराध के अनुसार निम्न प्रकार का साक्ष्य एकत्र कर सकता है :

1. मौखिक साक्ष्य : यह साक्ष्य वादी व गवाहों के बयान से एकत्र की जा सकती है। विवेचक को प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखे गए तथ्यों तक ही सीमित रहकर विवेचना नहीं करनी चाहिए, अपितु प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो तथ्य नहीं आए हैं उनके संबंध में वादी और गवाहों से पूछताछ करनी चाहिए। इसके लिए विवेचक को पहले से उन लोगों की सूची बना लेनी चाहिए जिनसे पूछताछ की जानी है। इसके साथ ही साथ उन प्रश्नों की प्रश्नावली तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो सके और विवेचना का कार्य शीघ्र पूरा हो सके।

2. अभिलेखीय साक्ष्य : मानव वध के अपराधों में निम्न प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य विवेचक द्वारा एकत्रित किया जा सकता है :

क. वादी या अभियुक्त घटना से पूर्व लिखाई असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट।

ख. वादी या अभियुक्त द्वारा घटना से पूर्व लिखाई गई अन्य कोई संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट।

ग. वादी और अभियुक्त के बीच पहले की कई धारा 107/116 दं.प्र.सं. की कार्रवाई की रिपोर्ट।
घ. वादी द्वारा या मृतक घटना से पूर्व अभियुक्त के विरुद्ध दिया गया कोई प्रार्थना पत्र
ड. मृतक द्वारा छोड़ा गया सुसाइड नोट (विशेषकर धारा 304-बी भा.दं.सं. के अपराध में)

3. घटना स्थल पर मिलने वाले भौतिक साक्ष्य

पंचायतनामा तैयार करने के लिए घटनास्थल पर जाने पर निम्न साक्ष्य विवेचक द्वारा ध्यानपूर्वक घटनास्थल का निरीक्षण करके एकत्र किया जा सकता है—
क. रक्तरंजित वस्तुएं।
ख. अभियुक्त के फिंगर प्रिन्टस
ग. फुट प्रिन्टस
घ. कारतूस के चले हुए खोखे
ड़. अभियुक्त के बाल
च. अभियुक्त के वस्त्रों का कोई भाग या रेशे आदि

4. मृत्युकालिक कथन : यदि कोई व्यक्ति घायलावस्था में पहुंचाई गई चोटों के संबंध में थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाता है, किसी जनता के व्यक्ति के समक्ष मौखिक कथन करता है, या मजिस्ट्रेट या डाक्टर द्वारा उसका बयान लिखा जाता है और कालान्तर में उन्हीं चोटों से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका वह मृत्युकालिक कथन धारा 32(1) साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में मान्य है। इस प्रकार की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दण्डित किया जा सकता है।

5. अभियुक्त के कथन से प्राप्त साक्ष्य : यद्यपि धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अभियुक्त की संस्वीकृति पुलिस के समक्ष मान्य नहीं है परन्तु अभियुक्त से पूछताछ करने के लिए पुलिस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया गया है। प्रत्येक विवेचक को पकड़े गए अभियुक्त से पूछताछ करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे पूछताछ करके उसकी निशानदेही पर अपराध से संबंधित कोई वस्तु खोजी जा सकती है व अभियुक्त का उतना बयान न्यायालय में मान्य है जितने बयान के आधार पर कोई तथ्य खोज लिया गया हो। इसके अतिरिक्त अभियुक्त के बयान में बताई गई बातों का सत्यापन भी किया जाना चाहिए जिससे सत्यता का पता चल सके। अभियुक्त का बयान लेने से यदि वह इच्छुक हो तो उसे वायदा माफ गवाह भी बनाया जा सकता है।

6. परिस्थितिजन्य साक्ष्य : विवेचना में विवेचक को केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य की तलाश ही नहीं करनी चाहिए वरन उसको ऐसे साक्ष्य को भी लेखबद्ध करना चाहिए जो किसी घटना की परिस्थितियों से संबंधित हो। प्रत्येक साक्षी किसी घटना का प्रत्यक्ष साक्षी होना आवश्यक नहीं है क्योंकि कोई साक्षी घटना के समय आता है तो कोई साक्षी घटना के कुछ देर बाद में आता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने किसी अभियुक्त को हत्या की घटना के बाद घटनास्थल से भागते देखा है तो वह साक्षी भी महत्वपूर्ण है।

7. अभियुक्त के घटना के पूर्व व बाद के आचरण का साक्ष्य : मानव वध के अपराधों में विवेचक को घटना से पूर्व व घटना के बाद के उसके आचरण का साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास आवश्यक करना चाहिए क्योंकि वह साक्ष्य धारा 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार न्यायालय में मान्य है। उदाहरण के लिए यदि हत्या की घटना से पूर्व गड़ासा तेज करता हुआ देखा गया हो और बाद में गड़ासे से हत्या करके भाग गया हो, तो उसका गड़ासे की धार तेज करने और घटना के बाद घर से भागने का साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है।

8. न्यायेत्तर संस्वीकृति (Extra Judicial Confession) : यद्यपि धारा 25 साक्ष्य अधि. के अनुसार पुलिस के समक्ष अपराधियों द्वारा की गई अपराध की संस्वीकृति न्यायालय में मान्य नहीं है परंतु किसी अभियुक्त द्वारा किसी जनता के व्यक्ति के समक्ष की गई अपराध की संस्वीकृति न्यायालय में मान्य है। उदाहरण के लिए यदि किसी हत्या का अभियुक्त अपने मोहल्ले के प्रभावशाली

व्यक्ति के समक्ष अपने अपराध की संस्वीकृति करके उनसे अपनी बचत के लिए मदद मांगता है तो जिस व्यक्ति के समक्ष अपराध की संस्वीकृति की गई है उसका कथन न्यायालय में मान्य है।

9. वायदामाफ गवाह (Approver) का साक्ष्य : धारा 133 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी सहअभियुक्त के कथन के आधार पर न्यायालय अन्य अभियुक्तों को दण्डित कर सकता है। धारा 306 दं.प्र.सं. में वायदामाफ गवाह (Approver) बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। यदि सेशन न्यायालय में या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारण योग्य किसी अभियोग के अपराध में एक से अधिक अभियुक्त है, तो कोई एक अभियुक्त अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए न्यायालय द्वारा उसके प्रार्थना पत्र देने पर बनाया जा सकता है। वायदा माफ गवाह बनने वाले अभियुक्त को न्यायालय में बयान देना होता है जिसमें वह अपराध में अपने व अन्य अपराधियों के सम्मिलित होने की बात को स्वीकार करता है और अभियुक्तों के विरुद्ध गवाही देने की बात कहता है। उसके बाद न्यायालय उसको वायदामाफ गवाह बनाता है।

10. घटना के उद्देश्य (motive) का साक्ष्य : धारा 8 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार घटना के उद्देश्य का साक्ष्य न्यायालय में मान्य है। विवेचक को मानव वध के अभियोगों में घटना के उद्देश्य के साक्ष्य को एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि किसी हत्या के मामले में वादी व अभियुक्त के बीच कोई विवाद जमीन या किसी महिला के कारण चल रहा हो तो इस विषय का साक्ष्य एकत्र किया जाना चाहिए।

11. अभियुक्त की कार्रवाई शिनाख्त का साक्ष्य : मानव वध के कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जिनमें अभियुक्त नामजद नहीं होते हैं। ऐसे अभियोगों में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद उनका मुंह ढ़क दिया जाता है व उनकी कार्रवाई शिनाख्त जेल में मजिस्ट्रेट के समक्ष कराई जाती है। यदि गवाह अभियुक्तों को सही पहचान लेते हैं तो उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा सकता है। इससे यह स्पष्ट है कि कार्रवाई शिनाख्त से भी साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

12. पोस्टमार्टम एक्जामिनेशन का साक्ष्य : मानव वध के अपराधों की विवेचना में पोस्टमार्टम एक्जामिनेशन रिपोर्ट को ध्यान पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि उससे निम्न प्रकार का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है :

क. मृत्यु का संभावित समय
ख. शव पर पाई गई मृत्यु से पूर्व की चोटें
ग. शव पर पाई गई मृत्यु के बाद की चोटें
घ. मृत्यु का कारण

13. विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञ का साक्ष्य : विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रक्त के संबंध में, बाल के संबंध में, वीर्य के संबंध में, कारतूस के किसी आग्नेयास्त्र से चलने के संबंध में, हस्तलेख एवं विष आदि के बारे में विशेषज्ञ का अभिमत प्राप्त किया जा सकता है। धारा 45 साक्ष्य अधि. के अनुसार न्यायालय में मान्य है।

14. अपराध से संबंधित बरामद वस्तुओं की कार्रवाई शिनाख्त का साक्ष्य : कभी-कभी मानव वध के मामलों में मृतक की कुछ वस्तुएं अभियुक्तों के पास से मिल जाती हैं ऐसी वस्तु की कार्रवाई शिनाख्त मृतक के परिजनों से कराकर अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करके उसे न्यायालय में सिद्ध किया जा सकता है।

15. न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्य : अभियुक्त की संस्वीकृति पुलिस के समक्ष मान्य नही है यदि कोई अभियुक्त पुलिस के समक्ष अपने अपराध की संस्वीकृति करता है, तो उस अभियुक्त को रिमांड हेतु न्यायालय में पेश करते समय विवेचक को उसका बयान धारा 164 दं.प्र.सं. में लेखबद्ध कराने के लिए रिपोर्ट देनी चाहिए। यदि अभियुक्त अपना अपराध न्यायालय के समक्ष स्वीकार करता है तो वह संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा।

पंचायतनामा तैयार करने का उद्देश्य

धारा 174 दं.प्र.सं. के अनुसार पंचायतनामा तैयार करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या मृत्यु प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है। यह प्रश्न कि मृतक पर हमला कैसे किया गया और हमला किसने किया इस धारा के क्षेत्र से बाहर का विषय है। पंचायतनामा के माध्यम से पुलिस अधिकारी मृत्यु के स्वभाव को सुनिश्चित कर सकता है और यदि मृत्यु अप्राकृतिक या संदिग्ध पाई जाती है, तो उसको मृतक के शव को मृत्यपरांत शव परीक्षण हेतु भेज देना चाहिए जिससे मृत्यु कारण ज्ञात हो सके व अग्रिम कार्रवाई हो सके।

पंचायतनामा जिनमें प्रकरण तैयार किया जाता है

धारा 174 दं.प्र.सं. एवं उ.प्र. पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर 129 के अनुसार पंचायतनामा निम्न प्रकार कि अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में पुलिस द्वारा तैयार किया जाता है :

(1) आत्महत्या के मामले में
(2) मानव वध के मामले में
(3) संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में
(4) किसी पशु द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु किया जाना
(5) दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर
(6) किसी मशीन से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना

अप्राकृतिक मृत्यु पर पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई

(1) थाना प्रभारी या उप निरीक्षक पुलिस को तत्काल उस स्थान पर जाना चाहिए जहां पर शव पड़ा हो।

(2) पुलिस अधिकारी को दो या दो अधिक संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिनकी उपस्थिति में शव का निरीक्षण किया जा सके।

(3) पुलिस अधिकारी को शव व उसके आस-पास के स्थान का भली भांति निरीक्षण करना चाहिए व उसको वहां उपलब्ध सभी भौतिक साक्ष्यों को अपने कब्जे में लेना चाहिए।

(4) पुलिस अधिकारी विवेचना के दौरान मृत्यु के दृश्यमान कारणों की आख्या तैयार करेगा जिसमें वह निम्न बिंदुओं को दर्शाएगा :

क. शव पर मिलने वाले घाव
ख. शव मिलने वाले अस्थि भंग
ग. शव पर मिलने वाली अन्य चोटों के निशान
घ. चोटे पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाए गए शस्त्रों के प्रकार

(5) पंचायतनामें पर गवाहों के हस्ताक्षर कराए जाएंगे

(6) पुलिस अधिकारी मृत्यु के कारण के बारे में और मृत्युपरांत शव परीक्षण के बारे में अपना अभिमत लिखेंगे।

(7) यदि पुलिस अधिकारी शव का मृत्युपरांत परीक्षण कराना चाहता है, तो उस शव को एक कपड़े में सिलवाकर या शव भेजने के लिए बनाए गए लकड़ी के बक्से में रखकर सील करके मृत्युपरांत परीक्षण हेतु सीएमओ के पास संबंधित प्रपत्रों के साथ रवाना करना चाहिए।

(8) पुलिस अधिकारी को पंचायतनामे में उन बिंदुओं का उल्लेख करना चाहिए जिन बिंदुओं पर वह डाक्टर से अभिमत प्राप्त करना चाहता है।

(9) यदि मृतक का शव नाम पता अज्ञात है तो पंचायतनामा भरने से पूर्व पुलिस अधिकारी को शव की पहचान कराने के लिए निम्न कार्रवाई करानी चाहिए:

क. आस पास रहने वाले लोगों को बुलाकर शव की पहचान कराने का प्रयास किया जाना चाहिए।
ख. यदि शव की पहचान न हो पाए तो मृतक के शव के फोटो लिए जाने चाहिए जिससे उसके फोटो अखबार में प्रकाशित कराए जा सकें।
ग. मृतक के फिंगर प्रिंटस भी लिए जाने चाहिए जिससे उन्हें फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजकर यह पता लगाया जा सके कि मृतक पूर्व दण्डित अपराधी है या नहीं

पंचायतनामा तैयार करने के दौरानों का अनुमान

1. हत्या के अपराध क्या आशय है?

यह अनुमान शरीर पर पाई गई चोटों से लगाया जा सकता है। यदि चोटें 10 से 15 तक हैं तो यह स्पष्ट

संकेत देता है कि मृतक की मृत्यु जानबूझकर की गई है और यह अचानक किसी झगड़े में नही हुई है क्योंकि चोटों के अधिक होने से हमलावर की नीयत का पता चलता है कि अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से इतनी अधिक चोटें पहुंचाई हैं।

2. हत्या के उद्देश्य का अनुमान

यदि कही पर हत्या के बाद मृतक की लाश मिलती है, और उसके शरीर पर घड़ी पर्स सोने की अंगूठी आदि मौजूद है तो यह अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि हत्या दुश्मनी के कारण हुई है न कि लूट के कारण क्यों कि यदि लूट के कारण यह हत्या की जाती तो यह सामान सामान्य रूप से मृतक के शरीर पर नहीं मिल पाते।

3. अभियुक्तों की संख्या का अनुमान

पंचायतनामा भरते समय मृतक के शव पर पाई गई विभिन्न प्रकार की चोटों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त की संख्या एक से अधिक है। उदाहरण के लिए यदि किसी शव पर एक गोली की चोट व दो चोटें घुपी हुई व एक चोट कुंद हथियार की पाई जाती है तो विवेचक यह अनुमान लगा सकता है कि अभियुक्त कम से कम तीन हैं।

4. प्रयोग में लाए गए शस्त्रों के प्रकार का अनुमान

पंचायतनामा भरने के दौरान विवेचक शव की चोटों के निरीक्षण के पश्चात प्रयोग किए गए शस्त्रों के बारे में निश्चय कर सकता है और अभियुक्तों के पास से उस प्रकार के शस्त्र बरामद करने के प्रयास विवेचक द्वारा किया जा सकता है।

5. घटनास्थल के सही होने का अनुमान

पंचायतनामा तैयार करने के दौरान विवेचक यह भी अनुमान लगा सकता है कि घटनास्थल सही है या उसको बदल दिया गया है। यदि हत्या के अपराध में घटनास्थल पर काफी मात्रा में रक्त मिलता है तो घटनास्थल सही माना जाएगा परन्तु यदि हत्या के मामले में घटनास्थल पर रक्त नहीं मिलता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि घटनास्थल को बदल दिया गया है।

6. अपराधियों के बारे में संकेत मिल सकते हैं।

यदि किसी हत्या के अपराध में पंचायतनामा तैयार करते समय यदि विवेचक को घटनास्थल पर कमरे में कुछ गिलास, प्लेटें व कुछ खाने का सामान मिलता है तो यह अनुमान विवेचक द्वारा लगाया जा सकता है कि अभियुक्त मृतक व्यक्ति का परिचित है क्योंकि कोई व्यक्ति किसी परिचित के साथ कमरे में बैठकर खाना खाता है व बातचीत करता है। यह सब वस्तुएं लोगों के परिचित होने के संकेत देती हैं।

शव के मृत्योपरांत परीक्षण के विवरण

पुलिस विभाग में निम्नलिखित प्रकार के मामलों में मृतक के शव को मृत्यु उपरान्त परीक्षण हेतु भेजा जाता है।

(1) जब किसी व्यक्ति की हत्या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई हो।

(2) जब किसी विवाहित महिला ने अपने विवाह के बाद सात वर्ष के भीतर आत्महत्या कर ली हो।

(3) विवाह के सात वर्ष के भीतर किसी महिला की मृत्यु होने पर यह उचित संदेह हो कि किसी अन्य व्यक्ति ने उस महिला के साथ अपराध किया है।

(4) किसी महिला की विवाह के पश्चात सात वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर उसके किसी संबंधी ने मृत्यु उपरांत परीक्षण कराने के लिए अनुरोध किया हो।

(5) यदि कोई अन्य संदेह मृत्यु के कारण के बारे में हो।

(6) यदि पुलिस अधिकारी किसी अन्य कारण से मृत्यु उपरांत परीक्षण कराना आवश्यक समझता हो।

मृत्युपरांत शव परीक्षण की रिपोर्ट से क्या साक्ष्य प्राप्त हो सकता है?

विवेचक को शव के मृत्युपरांत परीक्षण के रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन करना चाहिए क्योंकि उस रिपोर्ट से निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं :

1. मृत्यु का कारण : यह ज्ञात हो सकता है कि मृत्यु स्वाभाविक है, अप्राकृतिक है या कारण अज्ञात है। इसकी जानकारी के उपरांत विवेचक अग्रिम कार्रवाई करने की योजना बना सकता है।

2. मृत्यु का संभावित समय : इससे भी विवेचक को गवाहों के बयान में बताए गए घटना के समय और डाक्टर द्वारा लिखे गए मृत्यु के समय को मिलाना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या दोनों में कोई विरोधाभास तो नहीं है और यदि कोई विरोधाभास पाया जाता है तो गवाहों व डाक्टर से उस विरोधाभास को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

3. मृतक की आयु का पता चलता है

4. मृतक के शव पर पाई गई चोटों के बारे में निम्न जानकारी प्राप्त होती है—

क. क्या चोटें मृत्यु से पूर्व की हैं?

ख. क्या चोटे मृत्यु के बाद की हैं?

ग. क्या चोटे मृत्यु के लिए उत्तरदाई हैं?

घ. चोटे किस प्रकार की हैं? अर्थात चाकू की हैं, गोली की हैं या लाठी की हैं आदि।

ड़. चोटें कितनी दूर से पहुंचाई गई हैं?

5. घटना आत्महत्या की है या हत्या की : इस बात का निश्चय विवेचक को मृत्यु उपरांत शव परीक्षण की रिर्पोट के आधार पर ही करना चाहिए क्योंकि यह बात डाक्टर द्वारा अपनी आख्या में स्पष्ट कर दी जाती है और इसी आधार पर परिणाम निकालना चाहिए।

मृत्यु उपरांत शव परीक्षण की आख्या के आधार पर विवेचक अपनी विवेचना का केंद्र बिंदु तय कर सकता है : मानव वध के मामले में प्रत्येक विवेचक को ध्यानपूर्वक मृत्यु उपरांत शव परीक्षण आख्या को पढ़ना चाहिए और उसको इस आख्या से अपनी आगे की विवेचना का मार्ग तय करना चाहिए। विवेचक को निम्न प्रयास करने चाहिए :

(1) यदि मामला स्पष्ट रूप से मानव वध का है और मृतक का नाम पता अज्ञात है तो उसका यह प्रथम कार्य होना चाहिए वह निम्नलिखित बातों का पता लगाने का प्रयास करें :

क. मृतक की पहचान सुनिश्चित कराएं।

ख. हत्या का उद्देश्य का पता लगाएं।

ग. हत्या के लिए कौन उत्तरदाई।

(2) यदि मृतक की पहचान हो जाती है तो विवेचक को मृतक के परिवार के लोगों के कथन अंकित करके उनसे हत्या करने वालों के संबंध में जानकारी करनी चाहिए।

(3) यदि परिवार के लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति पर संदेह व्यक्त किया जाता है तो विवेचक को उस व्यक्ति से तत्काल संपर्क करके उससे पूछताछ करनी चाहिए उसके घर की तलाशी लेनी चाहिए और हत्या के संबंध में सूत्रों की तलाश करनी चाहिए।

(4) विवेचक को इस बात का पता लगाना चाहिए कि मृतक के साथ घटना से पूर्व अन्तिम बार कौन व्यक्ति देखा गया है और यदि किसी व्यक्ति का नाम ज्ञात होता है तो तत्काल उससे पूछताछ करके यह पता लगाना चाहिए कि वह मृतक के साथ कब तक रहा व क्यों उसके साथ घटना के पूर्व था। अन्तिम बार मृतक के साथ देखे जाने वाले व्यक्ति अपराध में लिप्त हो सकते हैं।

(5) विवेचक को इस बात का हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वह संदिग्ध लोगों से गहराई से पूछताछ करके निम्नलिखित वस्तुओं को खोज निकाले क्योंकि इस प्रकार खोजी गई वस्तुएं धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय में साक्ष्य में मान्य है।

क. मृतक की वस्तुएं जो घटना के बाद अभियुक्त ले गए हों।

ख. मृतक की हत्या में प्रयुक्त शस्त्र।

(6) यदि हत्या में प्रयुक्त शस्त्र किसी संदिग्ध के पास से मिल जाता है और उस पर रक्त लगे होने का संदेह हो तो उस शस्त्र पर लगे रक्त का मिलान मृतक के घटना-स्थल पर मिले व मृतक के कपड़ों पर लगे रक्त से

कराकर यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या सभी वस्तुओं पर लगा हुआ रक्त एक ही ग्रुप का है और यदि सभी वस्तुओं पर लगा रक्त एक ही ग्रुप का पाया जाए तो शस्त्र जिस व्यक्ति से मिला है वह हत्या का अभियुक्त हो सकता है। इसी प्रकार घटना-स्थल से मिले फिन्गर प्रिंटस का मिलान भी संदिग्ध व्यक्ति के फिंगर प्रिंटस से कराकर उस संदिग्ध के अपराध में सम्मिलित होने की बात को निश्चित किया जा सकता है।

विवेचक द्वारा किया जाने वाला कार्य जब मृत्यु का कारण डाक्टर द्वारा निश्चित न हो पाए : यदि किसी मानव वध के अपराध में मृत्यु का कारण डाक्टर द्वारा मृत्युपरांत परीक्षण में निश्चित नहीं किया जा सका हो और मृतक का विसरा सुरक्षित रखा गया हो तो विसरा को कैमीकल परीक्षण हेतु कैमिकल एक्जामिनर के पास विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाना चाहिए और यह ज्ञात करने हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए कि क्या मृतक के विसरा में कोई विष मौजूद है या नहीं। यदि विष पाया जाता है तो उस विष को देने वालों की तलाश की जा सकती है क्योंकि विष ऐसे लोगों द्वारा दिया जाता है जिनसे मृतक निकट के संबंध रखता है।

वर्ष 2008 में जनपद जे.पी. नगर, उत्तर प्रदेश में थाना हसनपुर के क्षेत्र के एक गांव में एक ही घर के सात लोगों की रात्रि में सोते हुए हत्या कर दी गई। सातों व्यक्ति चारपाई पर सोते हुए मारे गए थे। इस घटना की रिर्पोट घर की एक अविवाहित जिंदा बची लड़की ने शोर मचाया कि बदमाश घर में आकर घर के लोगों को जान से मार गए और अपने बारे में बताया कि वह छत पर सो रही थी। वह घटनास्थल देखकर पुलिस के अधिकारियों को घटना की सच्चाई पर संदेह हुआ क्योंकि सातों आदमी चारपाई पर सोते हुए मारे जाएं और कोई भी संघर्ष या विरोध होने का साक्ष्य नहीं था। जब उस जिंदा बची लड़की से विस्तार से पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि वह लड़की एक लड़के से प्रेम करती थी जिसका घर के लोग विरोध करते थे। विरोध के पश्चात भी उस लड़की का प्रेम उस लड़के से जारी रहा व उन दोनों ने अपने प्रेम के लिए लड़की के घर वालों को जान से मारने की योजना बना ली। उस लड़की का प्रेमी लड़का नींद की गोलियां लाया व लड़की ने वह गोलियां अपने घरवालों को चाय में मिला कर पिला दी। रात में नींद की गोलियों के कारण घर के लोग गहरी नींद में सो गए और उन दोनों ने मिलकर घर के सात लोगों की कुल्हाड़ी से सोते समय हत्या कर दीं और उसके बाद उस लड़की ने शोर मचा दिया कि बदमाश घर के लोगों को मार गए हैं जिस पर एक पड़ोसी ने यही रिपोर्ट थाने पर लिखा दी। उस लड़की के मोबाइल फोन की काल्स डिटेल्स से भी ज्ञात हुआ कि उस घटना की रात्रि में उस लड़की ने घटना के समय कई बार उस अपने प्रेमी लड़के से बात की थी। इस आधार पर सभी मृतकों का विसरा सुरक्षित कराया गया व उसे केमिकल एक्जामिनर के पास परीक्षण हेतु भेजा गया तो यह ज्ञात हुआ कि उन सबके बिसरा में नशीली दवा का होना पाया गया। विवेचना में यह साक्ष्य मिला कि उस लड़की के उस प्रेमी लड़के ने एक दवा विक्रेता की दुकान से वह नींद की गोलियां खरीदीं थी। विवेचक द्वारा उन दोनों के विरुद्ध एकत्र साक्ष्य के आधार पर आरोपपत्र दिया व वह दोनों अभियुक्त अब जेल में हैं व अभियोग न्यायालय में विचारण में लम्बित है। इस प्रकार विसरा के परीक्षण से भी केस वर्कआउट हो सकता है।

उक्त विवरण से मानव वध के मामलों में साक्ष्य एकत्र करने के विभिन्न स्रोतों पर प्रकाश डालते हुए पंचायतनामा व मृत्युपरांत शव परीक्षण की आख्या के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर यदि विवेचक विवेचन करते हैं तो केस को वर्कआउट करने में सफलता मिल सकती है।

❑

पुलिस कार्यों में जनसाधारण की भागीदारी

रेखा कपूर

डब्लू जैड बी-37, कृष्णा पार्क एक्सटेंशन,
पी.ओ.-तिलक नगर गली नं.-10, नई दिल्ली-18

'पुलिस कार्यों में लोगों की भागीदारी' के सिद्धांत को, जिसे रॉबर्ट पील के प्रायः कथित शब्दों 'पुलिस की जनता है और जनता की पुलिस है' में अभिव्यक्त किया जाता है, पूरी दुनिया भर में स्वीकार किया जा चुका है। यह सिद्धांत, जिसे 'सामुदायिक पुलिस व्यवस्था' के रूप में भी जाना जाता है, इस बात पर बल देती है कि समाज में अपराध की रोकथाम व खोज तथा व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस एवं आम नागरिक सकारात्मक रूप में मिलकर काम करें। दूसरे शब्दों में, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था की संकल्पना आम नागरिकों से आह्वान करती है कि वे न केवल कानून का पालन करने वाले नागरिक बनें बल्कि कानून लागू करने वाले नागरिक भी बनें।

'सामुदायिक पुलिस व्यवस्था' की योजना के अंतर्गत आम नागरिक स्वेच्छा से आगे आकर पुलिस की कुछ जिम्मेदारियां, जैसे आस-पड़ोस पर निगरानी रखना, इलाके की गश्त करना, गली-मुहल्लों की सुरक्षा एवं संकटग्रस्त लोगों की मदद करना, संभालते हैं। इससे पुलिस का समय बचता है क्योंकि उन्हें ऐसे कार्यों को नहीं करना पड़ता जिनकी जिम्मेदारी समुदाय ले लेता है। इस प्रकार बचाए गए समय एवं ताकत को पुलिस अन्य अधिक महत्वपूर्ण कार्यों एवं अनिवार्य क्षेत्रों के लिए उपयोग कर अपनी कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता में सुधार कर सकती है।

सामुदायिक पुलिस व्यवस्था ज्यादा भिन्न न होकर एक सामान्य पुलिस व्यवस्था ही है, जिसमें आम लोगों की सहमति, सहयोग एवं भागीदारी होती है। इसका सार यह है कि पुलिस एवं नागरिकों के बीच की दूरी को इस सीमा तक कम कर दिया जाए कि पुलिसकर्मी उस समाज का अभिन्न अंग बन जाएं जहां वे सेवारत होते हैं। ऐसा करके वे समाज की स्वीकृति व विश्वास पा सकते हैं तथा तदुपरांत उन्हें अपराध की रोकथाम करने एवं स्थानीय क्षेत्र की सुरक्षा करने में जनता का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त होगा।

आपराधिक न्याय प्रशासन, पुलिस जिसका एक अभिन्न अंग है, में आम लोगों को शामिल करने का विचार भारत के लिए नया नहीं है। प्राचीन भारत में लोग 'सभा' एवं 'समिति' नामक प्रचलित निकायों के माध्यम से प्रशासन में भाग लेते थे। उत्तर वैदिक काल में 'सभा' न्यायिक अदालत के रूप में कार्य करती थी। सभी में बुजुर्ग अथवा परिवार के मुखियाओं का समावेश होता था जो न्याय करने हेतु एकत्रित होते थे। इस प्रकार की सभाएं कालांतर में पंचायत एवं ग्राम सभा के रूप में जारी रहीं तथा उन्हें न्याय करने एवं अपराधियों को सजा देने की शक्ति प्राप्त थी। ग्राम पंचायत द्वारा शारीरिक रूप से सुदृढ़ ग्रामवासियों को गांव के नागरिकों की एवं उनकी संपत्ति की सुरक्षा करने हेतु रात्रि-गश्त की जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था भारत के कई हिस्सों में अभी भी प्रचलित है।

पुलिस के कार्य की प्रकृति को देखते हुए ज्यादातर कार्यों को पूरा करने के लिए उसे लोगों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होती है। पुलिस आपराधिक एवं शरारती तत्वों पर निगरानी रखने के लिए सर्वत्र उपस्थित नहीं रह सकती। पुलिस अपेक्षा करती है कि लोग उसके आंख एवं कान बने। लोगों को चाहिए कि ये आपराधिक योजनाओं एवं षड्यंत्रों के बारे में सूचना पुलिस को दें ताकि समय पर प्रतिबंधक कदम उठाए जा

सकें। संज्ञेय अपराध के मामले में, इससे पहले कि महत्वपूर्ण सूत्र एवं सबूत मिट जाएं या नष्ट कर दिए जाएं, पुलिस को तत्काल सूचित करना चाहिए। अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी यह अपेक्षा करता है कि जो लोग घटना के गवाह हैं या अन्य प्रकार से मामले के तथ्यों से परिचित हैं, वे सच्चाई बयान करें जिससे कि मामले को तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाया जा सके। मौखिक गवाही पर ही पूर्णतः निर्भर मामलों में गवाहों से यह अपेक्षा होती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष सच्चाई बयान पर अभियोजन पक्ष का समर्थन करें। इसी प्रकार सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए पुलिस को जनता के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।

निश्चित परिस्थितियों में पुलिस को सहायता एवं सहयोग करने हेतु कानून ने लोगों पर निश्चित कर्तव्य अधिरोपित किए हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है। लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं है कि लोगों को पुलिस की मदद करने के लिए विवश किया जाए। अधिकांशतः, यह निर्णय लेना व्यक्ति की अंतर्रात्मा एवं चरित्र पर निर्भर करता है कि वह कितनी उत्सुकता व बारीकी से अपने आस-पास के माहौल पर नजर रखेगा और पुलिस को आपराधिक योजनाओं एवं संदेहास्पद गतिविधियों के विषय में सूचित करेगा। इसलिए पुलिस को हर संभव प्रयास करना चाहिए कि वह लोगों को विवश कर उनका आधा-अधूरा सहयोग प्राप्त करने के बजाय उन्हें विश्वास में लेकर उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करे। इसके लिए पुलिस को लोगों का विश्वास व भरोसा प्राप्त करने की जरूरत है।

जनता का विश्वास मुफ्त उपहार नहीं है, पुलिस द्वारा लगातार प्रयास एवं धैर्य से इसे अर्जित करना होता है। जनता का विश्वास एवं निष्ठा जीतने के लिए सर्वप्रथम शर्त यह है कि पुलिस अपनी कथनी और करनी दोनों के द्वारा स्वयं को 'लोकमित्र संस्था' साबित करे। एक बार लोगों को यह विश्वास हो जाए कि पुलिसकर्मी उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं और निष्पक्ष तरीके से कानून को लागू करते हैं, तो वे निश्चित रूप से पुलिस से दोस्ती करेंगे एवं उसे हर संभव सहयोग देंगे।

लोगों का पुलिस में विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि पुलिसकर्मी नियमित तौर पर लोगों से मिलें और उनसे वार्तालाप करें। ऐसे अवसरों पर पुलिस नागरिकों को अपनी सीमाओं और कठिनाईयों से अवगत करा कर उनके संदेह व पुलिस के प्रति भ्रांति को दूर कर सकती है। लोग भी ऐसे अवसरों का उपयोग पुलिस को उपयुक्त सूचना देने के लिए कर सकते हैं। पुलिस व लोगों के बीच नियमित मेलजोल की व्यवस्था के अभाव में बहुत से लोग, जो पुलिस को सूचनाएं देने की इच्छा रखते हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं। यह मिथ्या भ्रांति कि 'पुलिस एक बल है जिससे डरना चाहिए न कि ऐसी एजेंसी है जिससे प्रेम किया जाए', आम आदमी को पुलिस के साथ संबंध बनाने के लिए पहल करने में रुकावट है। इस मिथ्या धारणा को जनता के साथ अच्छे संबंध बनाकर मिटाने की जरूरत है। इसका आसान उपाय यह है कि लोगों को विभिन्न स्वैच्छिक योजनाओं के माध्यम से पुलिस कार्यों में शामिल किया जाए।

पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाने में लोगों के स्वैच्छिक सहयोग के महत्व को महसूस करते हुए 'सामुदायिक पुलिस व्यवस्था' के सिद्धांत को विश्व भर में अपनाया गया है। बहुत से देशों में अनेक स्वैच्छिक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं जिनके माध्यम से नागरिक स्वयं को सक्रिय रूप से पुलिस कार्यों में लगा सकते हैं। भारत में भी पुलिस संगठनों ने इस संबंध में प्रयास किए हैं। इस अध्याय में भारत के विभिन्न हिस्सों में तथा अन्य देशों में शुरू की गई विभिन्न स्वैच्छिक योजनाओं के विषय में चर्चा की गई है। पुलिस व्यवस्था में लोगों की भागीदारी के महत्व को प्रकाशमय करने हेतु कुछ योजनाओं, जिनमें लोगों ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में व

गंभीर अपराधों को हल करने में पुलिस की सहायता करके एक अहम भूमिका निभाई।

भारत में स्वैच्छिक योजनाएं

पुलिस को 'लोकमित्र संस्था' बनाने तथा अपराध से लड़ने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं सामाजिक सामंजस्य निर्माण करने में नागरिकों का सक्रिय सहयोग लेने हेतु भारत के लगभग सभी राज्यों के पुलिस संगठनों ने लोगों के लिए विभिन्न स्वैच्छिक योजनाएं प्रारंभ की हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

शांति समितियां

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के विभिन्न हिस्सों में गंभीर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन दंगों ने बहुत से मासूम लोगों की जानें ली, निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को भारी क्षति पहुंचाई एवं चारों तरफ अराजकता का माहौल बना दिया। स्थिति को संभालने के लिए सरकार को भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात करना पड़ा, निषेधात्मक आदेश जारी करने पड़े एवं प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों की इन घटनाओं ने लोगों के मस्तिष्क पर डरावनी यादें रख छोड़ी।

शांति समिति में ऐसे सम्माननीय नागरिक होते हैं जो अपने क्षेत्र अथवा वर्ग के लोगों को, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभावित कर सकें। स्थानीय सांसदों एवं विधायकों के अतिरिक्त, व्यापारी समुदाय के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधिगण शान्ति समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या संबंधित क्षेत्र के आकार एवं संवेदनशीलता पर निर्भर करती है।

'मदन कमीशन', जिसने भिवंडी दंगों की छानबीन की थी, ने पाया, 'भिवंडी में शांति समिति के गठन के बाद वरिष्ठ नेताओं एवं दोनों समुदायों के बुजुर्गों ने धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में भाग लिया।

मोहल्ला समितियां

महाराष्ट्र में मोहल्ला समिति की शुरुआत सर्वप्रथम मुंबई के निकट एक औद्योगिक शहर, भिवंडी, में हुई थी जहां 1984 में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पुलिस ने प्रत्येक पुलिस बीट में मोहल्ला समितियों का गठन किया था जिनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों एवं धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। इन समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाती थीं तथा छोटी समस्याओं और गलतफहमियों को बड़ी घटना में परिवर्तित होने से पहले ही तुरंत सुलझा लिया जाता था। पुलिस और लोगों के इस प्रयास का अच्छा परिणाम दिसम्बर, 1992 में सामने आया जब अयोध्या में विवादित ढांचे को ध्वस्त किए जाने की घटना के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में गंभीर सांप्रदायिक दंगे हुए परन्तु भिवंडी शांतिपूर्ण रहा। सांप्रदायिक रूप से अति-संवेदनशील होने के बावजूद भिवंडी में सन् 1992-93 में कोई सांप्रदायिक उपद्रव नहीं हुआ जबकि बहुत से अन्य शहर, जिनमें मुंबई का नजदीकी शहर भी शामिल था, सांप्रदायिक दंगों से गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे।

सन् 2003 में मुंबई में हुए बम धमाकों के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने मोहल्ला समितियों का मुंबई में सार्वजनिक व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सामंजस्य सुनिश्चित करने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'उनके प्रयासों के बिना शांति बहाल करना संभव नहीं था।

मुंबई में मोहल्ला समितियों की सफलता को देखते हुए, तमिलनाडु सरकार ने भी कोयम्बतूर एवं रामनाथपुरम के संवदेनशील जिलों में महाराष्ट्र में प्रचलित मोहल्ला समितियों की तर्ज पर शांति समितियां बनाने का निर्णय लिया है।

सामुदायिक संपर्क समूह

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत में संगठन एवं कानून प्रवर्तन कार्यप्रणाली के प्रबंधन में

सुधार हेतु समाज के साथ औपचारिक संपर्क बढ़ाने के लिए एक मॉडल का विकास किया गया। इस मॉडल को, जिसमें बीट, पुलिस थाना एवं जिला स्तर पर सामुदायिक संपर्क समूह के गठन का प्रावधान निहित है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए तीनों राज्यों, राजस्थान, असम एवं तमिलनाडु में क्रियान्वित किया गया है। तत्पश्चात्, केंद्र सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत पायलट पुलिस स्टेशन पद्धति पर जनता का सहयोग एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने स्तर पर सामुदायिक संपर्क समूहों का गठन करने का निर्णय लिया।

सामुदायिक संपर्क समूह दिए हुए क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक—आर्थिक स्तर के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो जनता और पुलिस के बीच के संबंधों को अच्छा बनाने के सांझा विशेष उद्देश्य के साथ एकत्रित होते हैं। जनता और पुलिस के बीच सहयोग, सूचना के आदान-प्रदान, आपसी मेल-जोल एवं सहमति के द्वारा समाज में शांति एवं सामंजस्य को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सामुदायिक संपर्क समूह के गठन का निर्देश दिया है। ऐसे राज्यों में जहां नागरिक समितियां जैसे कि मोहल्ला समिति (महाराष्ट्र), मैत्री समिति (आंध्र प्रदेश), नगर एवं ग्राम रक्षा समितियां (मध्य प्रदेश) पहले से ही कार्य कर रही हैं, वहां उन संगठनों में बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु, यदि आवश्यक हो तो सामुदायिक संपर्क समूह की कुछ विशेषताओं को विद्यमान व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है।

सतर्क नागरिक कार्यक्रम

अनेक मामलों में, आपराधिक घटनाओं के संबंध में सूचना देने के लिए गवाह इच्छुक नहीं होते क्योंकि उन्हें अपराधियों द्वारा बदला लेने का डर होता है। कई बार नागरिक, अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों एवं विस्फोटकों जैसे गंभीर अपराधों के बारे में बिना अपनी पहचान जाहिर किए सूचना देना चाहते हैं। परन्तु, नागरिकों को पुलिस से तुरंत एवं विश्वसनीय रूप से संपर्क करने की सुविधा के अभाव में पुलिस लोगों से ऐसी अत्यंत उपयोगी सूचनाएं एवं महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त करने से वंचित रह जाती है।

संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कई अन्य देशों में सफलतापूर्वक चल रहे अपराध नियंत्रण कार्यक्रम 'क्राईम स्टॉपर्स' की कार्यप्रणाली को व्यक्तिगत रूप से देखने के पश्चात्, मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त, श्री आर.एच, मेंडोन्सा, ने मुंबई में इस प्रकार की योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् इस योजना को सतर्क नागरिक कार्यक्रम नाम दिया गया और इसे मई, 1998 में प्रारम्भ किया गया।

सतर्क नागरिक कार्यक्रम का उद्देश्य अपराध करने की योजनाओं एवं षड्यंत्रों, किए जा चुके अपराध के सूत्रों, अपराधियों के ठिकानों तथा चोरी का माल या निषेधित वस्तुओं जैसे हथियार, विस्फोटक, नशीली दवाइयां एवं तस्करी का माल छिपाने के स्थानों के बारे में सूचना प्राप्त करना है।

विपदाग्रस्त महिला परामर्श केंद्र

महिलाओं के उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा की दिन-प्रतिदिन बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में ऐसी विपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता हेतु 'विपदाग्रस्त महिला परामर्श केंद्र' शुरू किए गए हैं। ऐसा प्रथम परामर्श केंद्र जुलाई, 1984 में पुलिस आयुक्त मुम्बई के कार्यालय में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान तथा मुंबई पुलिस ने संयुक्त रूप से प्रयोग के तौर पर प्रारम्भ किया था ताकि ऐसी महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं तथा जिनकी जानकारी पुलिस को मिलती है उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पहल की जा सके। अप्रैल, 1988 में दूसरा 'परामर्श केंद्र' दादर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया।

घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के मामलों में

महिलाओं की शिकायतें, जिन पर तत्काल पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती हैं, इन परामर्श केंद्रों को भेजी जाती है। शुरुआत में, परामर्श केंद्रों में ऐसे मामलों को सलाहकारों द्वारा दोनों पक्षों को साथ में लाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की जाती है ताकि शिकायतकर्ता महिला का परिवार न टूटे। यदि सलाहकारों द्वारा दोनों पक्षों को साथ लाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से मामला सुलझाने के प्रयत्न सफल नहीं होते तथा विरोधी पक्ष लगातार शिकायतकर्ता को परेशान करते हैं, तो मामला आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु पुलिस थाने भेज दिया जाता है।

पड़ोस निगरानी योजना

1989 में दिल्ली पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गई पड़ोस निगरानी योजना का उद्देश्य अपराधों में कमी करना, सुरक्षा की भावना जागृत करना, पुलिस कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना तथा पुलिस-जनता के संबंधों में सुधार लाना है। बड़े स्तर पर प्रतिबंधक उपायों को लागू करना इस योजना में शामिल है। इनमें सेंधमारी के पीड़ितों तथा उनके एकदम पास वाले पड़ोसियों को केन्द्रित करके 'स्वयं सहायता लघु पड़ोस निगरानी योजना' का गठन करना, स्थानीय प्राधिकारियों की सीधी कार्रवाई के द्वारा सेंधमारी के पीड़ितों के घरों की सुरक्षा में सुधार करना, तथा स्थानीय पीड़ित-समर्थन संगठनों तथा सामुदायिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से, पीड़ितों एवं पड़ोसियों को अपराध की रोकथाम संबंधी सलाह देना शामिल है।

इस परियोजना को चलाने हेतु दिन-प्रतिदिन के आधार पर पूर्णकालिक समन्वयक हैं तथा इसकी प्रगति को देखने हेतु एक संचालन समिति है। समन्वयक को स्थानीय समस्याओं को पहचानने, उचित प्रतिबंधक उपाय खोजने और योजना की कार्यदक्षता पर ध्यान देने तथा उसमें उचित संशोधन करने हेतु सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संचालन समिति सामान्यतः योजना पर देख-रेख करती है। इसमें पुलिस के प्रतिनिधि, स्थानीय निकाय, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय व्यवसायी वर्ग और स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह अपेक्षा की जाती है कि संचालन समिति नियमित तौर पर मिले तथा प्रगति की समीक्षा करे। पुलिस अधिकारी बैठकों में भाग लेते हैं, अपराध निवारण प्रस्तुति देते हैं, लोगों को सुरक्षा संबंधी सलाह देने के लिए उनके घरों का दौरा करते हैं और समन्वयक को मार्गदर्शन करते हैं।

झुग्गीझोपड़ी पुलिस पंचायत

मुंबई शहर में कुल जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत जनता झुग्गीझोपड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। झुग्गीझोपड़ी क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था से संबंधित अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, जिसमें अपराध, सार्वजनिक व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित पहलू शामिल हैं। चूंकि मुम्बई में झुग्गीझोपड़ी क्षेत्र गैर योजनाबद्ध ढंग से बढ़े हैं तथा उनमें ऊबड़-खाबड़ एवं पतली गलियां हैं, इसलिए इन इलाकों में पुलिस वाहनों द्वारा गश्त लगाना संभव नहीं है। इन क्षेत्रों में घरों की कोई अंकित सीमा नहीं होने के कारण तथा झुग्गीझोपड़ियों में भोजन का अभाव तथा अन्य जीवन आवश्यक साधनों की कमी के कारण आपराधिक घटनाएं तथा घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं प्रायः उत्पन्न होती रहती हैं। कई बार ये आपराधिक घटनाएं तथा इनका अशांत पारिवारिक वातावरण बड़ी समस्याओं में तब्दील होकर सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था को खतरा पैदा करते हैं।

झुग्गीझोपड़ी क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुंबई के पुलिस आयुक्त, श्री ए.एन.रॉय ने निर्णय लिया कि झुग्गीझोपड़ी निवासियों को उनके अपने इलाके में पुलिस-कार्य में शामिल किया जाए। इस नवीन विचार का कार्यान्वयन करने के लिए, 11 जून, 2004 को 'झुग्गीझोपड़ी पुलिस पंचायत' नामक योजना की मुंबई में शुरूआत की गई। इस नवीन योजना को लागू

करने के तत्काल बाद मुंबई पुलिस द्वारा विभिन्न झोपड़ीपट्टी क्षेत्रों में काफी संख्या में 'झुग्गीझोपड़ी पुलिस पंचायतों' का गठन किया गया। ये पंचायतें, स्थानीय स्तर पर विवादों के समाधान के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। झुग्गीझोपड़ी निवासियों के प्रतिनिधियों को 'झुग्गीझोपड़ी पुलिस सहायक' कहा जाता है, जो अपने-अपने इलाकों में निगरानी रखने में पुलिस की सहायता करते हैं। राष्ट्रीय झुग्गीझोपड़ी निवासी संघ तथा 'महिला मिलन' जैसे गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी से यह योजना चलाई जाती है।

ग्राम सुरक्षा दल

कर्नाटक राज्य में कर्नाटक विपेज डिफेन्स पार्टीज एक्ट, 1964 के अंतर्गत ग्राम दलपती के नेतृत्व में ग्राम सुरक्षा दल योजना को वैधानिक तौर पर आरंभ किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक गांव या गांवों के समूह के लिए, जैसी आवश्यकता हो, ग्राम सुरक्षा दल बनाए जाते हैं तथा प्रत्येक दल में अधिक से अधिक 48 ग्राम सदस्य होते हैं।

ग्राम सुरक्षा दलों के सामान्य कर्तव्य में, अपराध की रोकथाम के उद्देश्य से गांव में गश्त लगाना, ग्रामवासियों के जान व माल की सुरक्षा करना, सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना तथा राज्य सरकार या पुलिस अधीक्षक द्वारा समय-समय पर दिए गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना शामिल है।

ग्राम सुरक्षा समिति

मध्य प्रदेश में ग्राम सुरक्षा समिति एक महत्वपूर्ण सामुदायिक पुलिस व्यवस्था कार्यक्रम है। ग्राम सुरक्षा समिति का इतिहास 1950 के दशक से शुरू होता है जब राज्य, खेतीहारी क्षेत्रों में डाकुओं की समस्या से जूझ रहा था। ग्रामीण पुलिस थाने का कार्यक्षेत्र बहुत विशाल होने के कारण पूरे क्षेत्र में पुलिस प्रभावी ढंग से ध्यान नहीं दे पाती थी, अतः पुलिस को डाकुओं से निपटने की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लोगों को इस बात का अहसास था और वे पुलिस को सहयोग देने के इच्छुक थे। डाकुओं के आवागमन और छुपने के ठिकानों तथा गांव के संदिग्ध तत्वों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने हेतु पुलिस एवं जनता ने एक-दूसरे को सहयोग देने की परम आवश्यकता को महसूस किया, और इसलिए तत्कालीन राज्य शासन ने ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करने का निर्णय लिया। राज्य शासन ने 1956 में, ग्वालियर, चम्बल, सागर एवं रीवा संभागों के डकैती प्रभावित जिलों में क्रमबद्ध तरीके से ग्राम सुरक्षा समितियां बनाने के लिए नए आदेश जारी किए।

ग्राम सुरक्षा समिति की गतिविधियों एवं कार्यों का संचालन मुख्य व्यवस्थापक या पुलिस उप-अधीक्षक द्वारा किया जाता है। अन्य कार्मिकों के अतिरिक्त, मुख्य व्यवस्थापक के अधीन तहसील व्यवस्थापक कार्यरत होते हैं। ग्रामीण स्तर पर ग्राम सुरक्षा समिति को संगठित करने में तहसील व्यवस्थापक की अहम् भूमिका होती है। एक तहसील व्यवस्थापक के अधीन कई ग्रामीण होते हैं। 18 से 45 वर्ष के ऐसे युवाओं, जो किसी राजनैतिक पार्टी से संबंधित न हों तथा अच्छे चरित्र के हों, को सदस्य बनाने के लिए तहसील व्यवस्थापक गांवों का दौरा करता है। ग्राम पंचायत तथा पुलिस विभाग के सहयोग से वह ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करता है।

पुलिस एवं जनता सहयोग समिति

हरियाणा राज्य के सिरसा जिले में, कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जिला पुलिस प्रशासन के सहयोग से, 'सेतु' नामक एक गैर-सरकारी समिति बनाई, जो पुलिस और जनता के बीच पुल का काम करती है। पुलिस और जनता की यह समिति, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। जिले का पुलिस अधीक्षक 'सेतु' का पदेन अध्यक्ष होता है, जबकि एक सामाजिक कार्यकर्ता महासचिव होता है। सेतु के लक्ष्यों और उद्देश्यों में, उप मण्डल, गांव और मोहल्ला स्तर पर वार्ता,

व्याख्यान, शिविर तथा पुलिस व जनता की संयुक्त बैठक आयोजित करना तथा पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समझ बनाना, पुलिस से संबंधित समस्याओं के निवारण हेतु जनता, विशेष तौर पर कमजोर वर्ग, की मदद करना, तथा अपराधों का अन्वेषण करने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में जनता का सहयोग प्राप्त करने में पुलिस की सहायता करना शामिल है।

सड़क सुरक्षा गश्त

महाराष्ट्र में 1951 में शुरू हुआ सड़क सुरक्षा गश्त कार्यक्रम, यातायात नियमों तथा यातायात प्रबंधन के कौशल स्कूलीय बच्चों को पढ़ाने तथा यातायात नियंत्रण करने में ट्रैफिक पुलिस की सहायतार्थ उनकी सेवाओं का उपयोग करने का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। छात्रों को सड़क सुरक्षा के उपाय पढ़ाकर उनके मन में सड़क अनुशासन बिठाया जाता है। बाद में ये छात्र अपने परिवार तथा अन्य साथी छात्रों को सड़क नियमों की जानकारी देते हैं और इस तरह यह योजना जनता में कानूनी जागरूकता व सुरक्षा भावना उत्पन्न करने का उद्देश्य पूर्ण करती है।

पुलिस कार्यों में लोगों की भागीदारी के लिए ऊपर वर्णित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के अतिरिक्त कई अन्य राज्यों में पुलिस नेतृत्व ने कई अन्य ऐसी गतिविधियां शुरू की हैं जिनमें से कुछ का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैं :

(1) केरल राज्य में अपराध संबंधी समस्याओं पर क्षेत्रवार चर्चा करने के लिए 1998 में पुलिस स्टेशन स्तर पर अपराध रोकथाम समितियां बनाई गईं। केरल पुलिस ने 'छात्र यातायात शिक्षा कार्यक्रम' भी आरंभ किया है।

(2) दिल्ली में जनता और पुलिस के बीच संवाद को बढ़ाने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने तथा जिले में थाना स्तर तथा जिला स्तर की समितियां बनाई गई हैं। थाना स्तर की समितियों का प्रतिनिधित्व उस क्षेत्र के विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है जबकि जिले स्तर की समितियों का प्रतिनिधित्व संसद सदस्य करते हैं। जनता के प्रतिनिधियों के साथ नियमित तौर पर मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(3) कर्नाटक राज्य में पुलिस और जनता के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बढ़ाने के लिए तथा पुलिस गतिविधियों में युवाओं को शामिल कर सम्पत्ति अपराध और बाल अपराध कम करने हेतु 'पड़ोस निगरानी योजना' प्रारम्भ की गई है।

(4) तमिलनाडु पुलिस ने अपराध रोकथाम के कार्य में नागरिकों को शामिल करने के प्रयास के रूप में 'पुलिस मित्र' कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के तहत पुलिस लोगों के साथ निकट संबंध स्थापित करने तथा उनमें अपराध नियंत्रण के मामले में अपेक्षित जवाबदारी की भावना उत्पन्न करने पर विशेष जोर दिया जाता है।

(5) गुजरात में 'ग्राम रक्षक दल' योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत, बॉम्बे पुलिस एक्ट, 1951 की धारा 63(बी) (जैसा कि यह अधिनियम गुजरात राज्य के लिए लागू है) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ग्राम रक्षक दल के सदस्यों की भर्ती निर्धारित आयु, शिक्षा तथा शारीरिक योग्यता के अनुसार की जाती है। ये गांव में अपराध रोकथाम से संबंधित कार्य करते हैं।

उपसंहार

उपरोक्त चर्चा से यह उजागर होता है कि अनेक देशों में पुलिस संगठनों द्वारा पुलिस कार्य में लोगों की भागीदारी के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं। सामुदायिक पुलिस कार्य एक सशक्त विचारधारा है जिससे दुनिया के अग्रणी पुलिस संगठनों में सकारात्मक बदलाव आया है। भारत में भी पुलिस नेतृत्व द्वारा लोगों का सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास किए गए हैं। तथापि, भारत में अपराधों की संख्या, कानून-व्यवस्था से संबंधित समस्याओं की बारंबारता तथा सांप्रदायिक अशान्ति की घटनाओं को देखते हुए लोगों का विश्वास और सहयोग प्राप्त करने के लिए अधिक उत्साह और क्रमबद्ध प्रयासों की आवश्यकता है।

परंतु, जब तक पुलिस अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाती तब तक लोगों का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने और उनका विश्वास जीतने के प्रयासों से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, राज्य की सभी इकाईयां अंततः लोगों के प्रति उत्तरदाई हैं। पुलिस को अनिवार्य रूप से इस वास्तविक तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए तथा लोगों के अधिकारों एवं कल्याण को सर्वोच्च महत्व देना चाहिए। लोगों के साथ पूर्ण शिष्टाचार से व्यवहार करना चाहिए। यदि किसी मामले में पुलिस, कानूनी प्रतिबंध तथा कार्यक्षेत्र के अभाव में, लोगों की सहायता करने में सक्षम नहीं है फिर भी ऐसी स्थिति में लोगों को सहानुभूति दिखानी चाहिए तथा उनको उचित मार्गदर्शन करना चाहिए।

बम विस्फोट, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हमला तथा अन्य ऐसी आतंकवादी घटनाओं की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि समाज को खतरे में डालने के लिए अपराध ने एक भयानक रूप ले लिया है। परन्तु ऐसे अपराध एकाएक घटित नहीं होते, यह कई स्तरों से गुजरते हैं, जैसे योजना, तैयारी तथा प्रयास। सांप्रदायिक समस्या भी उत्पन्न होने से पहले विभिन्न तरह से इशारा करके आने वाले संकट का आभास करा सकती है। अतः ऐसी घटनाओं को रोकने के हमेशा अवसर होते हैं। यदि नागरिक संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं तथा जब कभी वे अपने पड़ोस में या अन्य स्थानों पर कोई संदेहपूर्ण हलचल देखते हैं और तत्काल पुलिस को सूचित करते हैं तो बहुत से अपराधों को होने से पूर्व ही रोका जा सकता है तथा कानून-व्यवस्था की समस्याओं को टाला जा सकता है।

नागरिकों को यह याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता का सुख भोगने के लिए शान्ति और सुरक्षा का माहौल होना अति-आवश्यक है। अपराधग्रस्त समाज में आम आदमी निरंतर भयभीत रहता है तथा वह जीवन का आनन्द लेने के बारे में सोचने की बजाय हमेशा अपनी व अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहता है। इसलिए राज्य, पुलिस और लोगों को अपराध पर सर्वप्रथम ध्यान देने की आवश्यकता है तथा अपराध को रोकने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि पुलिस का निर्माण आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए हुआ है। लोगों के जान व माल की सुरक्षा करना तथा समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना पुलिस के अनिवार्य कर्तव्य हैं। परन्तु पुलिस सर्वत्र उपस्थित नहीं रह सकती तथा सर्वज्ञानी नहीं हो सकती, इसलिए उसे कठिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए लोगों की सहायता, समर्थन एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। स्पष्टतः, पुलिस और लोगों को सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करने की तथा राष्ट्र-विरोधी व समाज-विरोधी तत्वों की आपराधिक योजनाओं को ध्वस्त करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

अतः, पुलिस और लोगों को अपनी आपसी भूमिका और जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए तथा अपराध से लड़ने, सार्वजनिक शान्ति बनाए रखने तथा सामाजिक सामंजस्य निर्माण करने हेतु एकजुट होना चाहिए ताकि भारत एक न्यायप्रिय समाज की ओर बढ़े, जिसकी कल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने की थी।

व्यक्ति के सुखी जीवन व चहुंमुखी विकास के लिए सुरक्षा एवं शान्ति का वातावरण होना आवश्यक है। अपराधग्रस्त समाज व अव्यवस्था के माहौल में लोग जीवन का आनंद लेने की बजाय स्वयं की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते हैं। राष्ट्रीय और सामाजिक विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए भी सुरक्षा एवं सार्वजनिक व्यवस्था का होना अनिवार्य है।

शान्ति, सुरक्षा एवं सामाजिक सामंजस्य का माहौल निर्माण करने की सबसे अधिक जिम्मेदारी पुलिस पर है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुलिस को अपराध निवारण एवं अन्वेषण करना, अपराधियों पर अभियोग चलाना तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखना इत्यादि कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। चूंकि ये कार्य जन-सहयोग पर निर्भर करते हैं, इसलिए लोगों की मदद एवं समर्थन के बिना पुलिस इन कार्यों में वांछित परिणाम हासिल नहीं कर सकती। यद्यपि निश्चित परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना लोगों की कानूनी जिम्मेदारी है, परन्तु ऐसी जिम्मेदारी का पालन करवाने के लिए लोगों को बाध्य करना व्यावहारिक रूप में पूर्णतया संभव नहीं होता। वैसे भी, जबर्दस्ती लिया हुआ और अनिच्छा से दिया गया सहयोग पूर्णतया उपयोगी सिद्ध नहीं होता। इसलिए पुलिस को लोगों के स्वैच्छिक एवं तहेदिल से सहयोग की आवश्यकता है।

यद्यपि अपराध से लड़ने तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस एवं लोगों में मधुर संबंध और आपसी समझ होना अनिवार्य है, फिर भी कड़वी सच्चाई यह है कि अभी भी ये दोनों एक-दूसरे के प्रति गलतफहमियां रखते हैं। परिणामस्वरूप, लोगों के सामने दिन-दहाड़े किए गए कत्ल के प्रकरणों में अभियुक्त बरी हो जाते हैं, आए दिन कानून-व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं तथा राष्ट्र की सुरक्षा की हमेशा खतरा बना रहता है। इससे जाहिर होता है कि जरूर कहीं कोई गंभीर कमी है। हां, यह कमी है, पुलिस एवं लोगों में आपसी विश्वास की।

❑

साइबर दुनिया के सफेदपोश अपराधी

तेज सिंह केशवाल एवं प्रीतिबाला मिश्रा

डी-10, पटेल नगर, अधारताल, जबलपुर,
म.प्र.-482004

सारांश

पिछले पांच वर्षों से साइबर अपराध असाधारण गति से बढ़े हैं। साइबर अपराध के मायने हाईटेक क्राइम (HTC) से लिया गया है क्योंकि इन अपराधों में कम्प्यूटर टेक्नालॉजी के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी तकनीकों के अत्याधुनिक स्वरूपों (Gadgets) एवं उपकरणों का भी इस्तेमाल शामिल है। ऐसे अपराध, अपराधी वह परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं के साथ ही उनसे जुड़े कारको एवं विधाओं का अध्ययन यहां किया गया। तत्संबंधी पहलुओं के अध्ययन के लिये पारिवारिक के आर्थिक, सामाजिक आधारों को विषय वस्तु बनाया गया और संबंधित अवधारणाओं के मद्देनजर कल्पनाओं की रचना की गई। इस प्रक्रिया में मुख्यतया दो प्रश्न उभरकर सामने आए कि साइबर अपराध में अचानक आई बढ़ोत्तरी का कारण सामाजिक व्यवस्था में आई विसंगतियां हैं याकि संस्थागत शिथिलताओं के कारण व्यक्ति के विचार, भावनाओं और मनोवृत्तियों के कमजोर होने के कारण वह समूह अभिव्यक्ति के प्रयास में विचलन की स्थिति में आ गया और उसके व्यवहार में नियमहीनता की प्रवृति बनने लगी जैसा कि प्रसिद्ध समाज शास्त्री मेक्स बेबर ने सुझाया था।

विभिन्न पहलुओं के आधार पर आंकड़ों का स्टेटिस्टिकल विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि 132 मामलों में से 50 मामले उन अपराधों से संबंधित थे जहां कम्प्यूटर को माध्यम बनाकर एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था और 82 मामले कम्प्यूटर सिस्टम और इंटरनेट से जुड़ें थे। इन अपराधों को अंजाम देने के लिए 23 तरीके अपनाए गए थे। ऐसे अपराधों के कारिन्दों (एजेंसी) के अध्ययन से पता लगा कि चार श्रेणी के लोगों का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इन अपराधों से संबंध रहा। ख़ुद अपराध करने वाले (क्रिमिनल), अपराध की प्रक्रिया में संरक्षण उपलब्ध कराने वाले (गार्जियन), तीसरे वे लोग जिन पर इन अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी थी (प्रोटेक्टर) और चौथे वे लोग जिनकी गलती, चौकसी में कमी या अनभिज्ञता से इन अपराधों को प्रश्रय मिला (विक्टिम/पीड़ित)। अपराध क्रिया की परिणति का विश्लेषण करने पर पता लगा कि सफेदपोष वे लोग जिनका वंशानुक्रम व अन्य वजह अपराधों से कोई नाता या इतिहास नहीं रहा याकि अपराधी प्रवृत्ति के नहीं होने पर भी उनमें साइबर अपराध के प्रति मोटीवेशन से अपराध बोध पैदा हुआ। ऐसा चार कारणों से पाया गया—आर्थिक, आइडियोलाजिकल, इगो संबंधी व साइकोलाजिकल। दूसरा, अपराधों के साधनों की उपलब्धता जिसमें सहमतिपूर्ण बर्ताव के लिए कन्ट्रोल, दबाव, व्यक्तिगत व टेक्नोलाजिकल ललक जिसमें नये-नये साफ्टवेयर उपयोग करने का फैशन भी शामिल था। तीसरा, अपराध के अवसर जिनका संबंध इन्टरनेट सिस्टम कन्ट्रोल व उन पर आसान पहुंच, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी प्रबंधन संबंधी योग्यता या पकड़। चौथा, प्रौद्योगिकी या साफ्टवेयर से जुड़े उपयोग के तरीकों का योगदान रहा जिसमें अपराध की परिणति को झुठलाने, सबूतों को छिपाने और बच निकलने के तरीकों का उपलब्ध होना पाया गया। अध्ययन के दूसरे भाग में अपराधी के सामाजिक व आर्थिक परिवेश का संबंध अपराधबोध और तत्संबंधी मोटीवेशन से होने बावत आंकड़ों के विश्लेषण करने से इनमें सकारात्मक संबंध पाया गया जो यह दर्शाता है कि अपराधी में व्यक्तिपरख अपराधबोध पैदा हुआ जो कि व्यक्तिगत था। ऐसा अपराध बोध पैदा होने का कारण

सामाजिक भेद्यता पाया गया जो कि साफ्टवेयर टेक्नालॉजी और संचार प्रौद्योगिकी संबंधी सामाजिक मापदण्डों और मूल्यों में शिथिलता और लचीलेपन के कारण आंका गया। यह भी देखा गया कि तीव्र गति से बढ़े संचार माध्यमों से जुड़े साफ्टवेयर एवं उपकरणों को अपनाने की ललक के बढ़ते चलन का धनात्मक संबंध मोटीवेशन व अपराध बोध से आंका गया। व्यक्ति की उद्यमिता संबंधी कारकों का योगदान के संबंध में यह पाया गया कि ठगे गए/पीड़ित में जानकारी की कमी और सूचना सेवाओं के नियमों की अवहेलना या कमी का साइबर अपराध में महत्वपूर्ण योगदान था जिसमें सफेदपोश लोगों की संलग्नता सर्वोपरि थी। इस अन्वेषण का मेल मेक्सवेबर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से खाता है जिसमें यह कहा गया था कि सामाजिक व्यवस्था में विसंगतियों को उच्चवर्गीय (सफेदपोश) लोगों द्वारा अपने हित में बदलने की मनोवृत्ति अधिक प्रबल होती है। व्यक्तिगत कर्ता के विचार, मूल्यों/मर्यादाओं और मनोवृत्तियों पर संस्थागत नियंत्रण कमजोर होने से वह समूह अभिमति प्राप्त करता है जिससे विचलन की स्थिति निर्मित होती है और व्यक्ति पथभ्रष्ट स्वभाव के कारण नियमहीनता की प्रवृत्ति निर्मित कर लेता है और वह सामाजिक मूल्यों की अवहेलना के प्रति आकर्षित होकर अपराधबोध को प्राप्त करता है और अपराध करने लगता है।

प्रस्तावना

तेजी से बढ़ती जनसंख्या में लिपटी आधुनिकता कहीं सफेदपोश (ब्हाइट कालर) अपराधों की पोषिता बनकर भारतीय समाज का मुखौटा न बन जाए इसकी जिम्मेदारी वर्तमान में सुरक्षा एजेंसियों से हटकर समाज पर आ गई है। क्योंकि पुलिस हो या आसूचना जनसंख्या के पुलिस रिकार्ड के अनुपात में इन सभी के पास कर्मचारियों की संख्या अनुपातन आधी से भी कम कही जा सकती है जबकि सफेदपोश अपराधों के बढ़ने की संभावना चौगुनी रफ्तार पर हो चुकी हो। ऐसे में आधुनिक तकनीकों से लेस सफेदपोश अपराधियों को समाज के अलावा और किसका डर हो सकता है, शायद किसी का नहीं और इसीलिए साइबर अपराध पोर्नोग्राफी, पायरेसी हो जाली नोटों का कारोबार आदि अनेक अपराध नये-नये अपराधियों को निमंत्रण देते नजर आ रहे हैं पुलिस रिकार्ड, के अलावा भी मीडिया रिपोर्ट की संख्या पिछले पांच वर्षों में चौंकाने वाली रही है। हर हफ्ते नई-नई किस्म के अपराध देखने में आ रहे हैं जिनमें ऐसे लोग संलग्न हैं जिनका न ही अपराधी परिवार होता है न ही जाती, याकि अपराधी समूहों से रिश्ता। रिश्ता रहा है तो केवल आधुनिकता से जहां बच्चों से लेकर बूढ़े तक मोबाइल, इन्टरनेट या कि टी.वी. से चिपके रहते हैं। सब लोग रातों-रात मालामाल होने के सपने संजोते नजर आते हैं क्योंकि इन अपराधों में घटनास्थल पर उपस्थिति आवश्यक नहीं होती न ही चोरी-डकैती समान बदनामी का डर। भले ही करोड़ों रुपये की हेराफेरी हो वातानुकूलित कमरे में बैठकर कम्प्यूटर के एक बटन से किसी ने भी एक बड़ी धोखाधड़ी कर ली हो उसका व्यक्तिपरक कोई सबूत नहीं होता, अपराधी के खिलाफ न खुद की उपस्थिति और न अपराध के साजो सामान। और अपराधी तब तक शान-शौकत व रुतबे से रहता रहेगा जब तक पकड़ा नहीं जाता याकि मीडिया में अपराध की खबर नहीं पहुंचती तब तक तो अपराधी रईसों की पार्टी से लेकर पांच सितारा होटलों या कि सामाजिक मंचों पर पूरी इज्जत बटोरता रहता है, समाज से बचकर। क्या यह सब नकबजनी करके 100-200 रुपयों की चोरी करने वाले अपराधी को मुहैया होते हैं? समाज में। याकि पांच सितारा होटल का सपना ऐसा अपराधी कभी देख सकता है। तो कहां छोड़ दी सभ्य व प्रगतिशील कहे जाने वाले समाज ने अपराधों के प्रति अपनी संवेदनशीलता या कि कड़े मापदण्ड तय करने की जिम्मेदारी? क्या यही कवायत देश को 21वीं सदी का हीरो बनाने में मदद करेगी। याकि अपराधों की कमी से समाज की इज्जत में इजाफा करने में मदद। क्या ऐसी हरकतों के चलते भारत को सोने की चिड़िया समान तमगे की पहचान

से बेअसर रखा जा सकेगा। याकि हरीशचन्द्र के देश की संज्ञा से इज्जतदारी। सफेदपोष अपराधों की घटनाएं पिछले पांच सालों में कई गुना ज्यादा घटित हुई हैं बजाय उन अपराधों के जो अपराधियों द्वारा खुद शामिल होकर रोजी-रोटी के खातिर उन लोगों ने किए हैं जिनका पारिवारिक पेशा ही समाज ने अपराध घोषित कर रखा है। ये सब ऐसे सामाजिक पहलू हैं जिनका सीधा संबंध विकास के साधनों के संभावित दुरुपयोगों से जुड़ा है। इन्हीं पहलुओं पर आधारित यह अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है।

कार्यविधि

अध्ययन का मुख्य केंद्र जबलपुर (मध्यप्रदेश) को चुना गया क्योंकि यह क्षेत्र देश के मध्य में स्थापित होने के साथ ही यहां कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की दृष्टि से संवेदनशील रक्षा मंत्रालय की प्रमुख फैक्ट्रियों, सुरक्षा संस्थान, सिगनल कोर, इंजीनियरिंग व कम्प्यूटर कालेज और कई शिक्षण संस्थाएं स्थापित हैं। साइबर अपराध से जुड़े सफेदपोश अपराधी के व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक एवं उद्यमिता संबंधी गुणों के अध्ययन के लिए दो मुख्य कारकों को चुना गया वे थे 1. अपराध और 2. अपराधी। अपराध के पहलू को अपराधी की मनःस्थिति एवं अपराध बोध की संरचनात्मक कृति का चार कारकों के विश्लेषण द्वारा पता लगाया गया। ये थे :

(1) **मोटीवेशन :** नीचता के प्रतीक व घृणित श्रेणी के अपराधों की तुलना में साइबर अपराध में पढ़े लिखे, प्रतिष्ठित सफेदपोश लोगों की संलग्नता व आकर्षण को प्रेरित करने वाले कारकों का विश्लेषण आर्थिक, विचारात्मक प्रतिष्ठात्मक और अहम् संबंधी बातों पर एकत्रित आंकड़ों द्वारा किया गया।

(2) **साधन :** विभिन्न प्रतिष्ठानों में मुहैया साइबर साधन जो सफेदपोश व्यक्ति के मोटीवेशन पर प्रभाव डाल सकते हैं उनका अध्ययन निम्न कारकों द्वारा किया गया। पहला उपलब्ध प्रौद्योगिकी का खुद के स्वार्थ में उपयोग और दूसरा संस्था के आदर्शों की अवहेलना में संकोच नहीं करते हुए संस्थागत नियंत्रण के आदर्शों की अवहेलना से खुद के स्वार्थ में या गलत कार्यों से समझौता।

(3) **अपराध के अवसर :** साइबर स्पेस में निरंतर बढ़ोत्तरी और सूचना प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक साफ्टवेयर की उपलब्धता तथा सूचना सेवाओं के सफेदपोश उपभोक्ताओं में असीमित वृद्धि आदि कई ऐसे कारक थे जो साइबर अपराध के अनेक सुअवसर प्रदान करते थे। तत्संबंधी माहौल व्यक्तिगत जबावदेही, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर सुलभ पहुंच, व्यवस्थात्मक व नीतिगत शिथिलता और उपलब्ध संसाधनों पर आंकड़ों द्वारा अपराध के अवसर की जानकारी का विश्लेषण, अपराध के कारणों का पता लगाने के लिए किया गया।

(4) **अपराध की विधियां :** उक्त वर्णित वजहों से साइबर अपराधों को अंजाम देने के तरीकों में भी इजाफा होता रहा। वस्तुतः साइबर अपराधों में अपराधी का क्राइम सीन पर उपस्थित होना जरूरी नहीं होने से इनका अन्वेषण, डिटेक्शन व एविडेन्स पेश करना एक कठिन कार्य होने के कारण साइबर अपराध पकड़ से बाहर माने जा सकते थे। इसलिए कम्प्यूटर उपयोग से जुड़े तरीके, साफ्टवेयर इनपुट, उनकी क्रियाविधि और प्रोग्राम आउटपुट की जानकारी पर प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से अपराध के तरीकों का पता लगाया गया।

अपराधी के पहलू : साइबर अपराध के अपराधी कौन हैं? ये लोग अपराधी कैसे बनें, क्यों बने और इसका निदान क्या हो, आदि जानकारी प्राप्त करके अपराध के कारणों का अध्ययन करने के लिये चार श्रेणी के लोगों को अध्ययन में शामिल किया गया। ये थे-

(1) **पेशेवर अपराधी :** विभिन्न थानों में दर्ज साइबर अपराधों में नामित उन लोगों को लिया गया जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया या कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कम्प्यूटर उपयोगकर्ता, जन्मजात अपराधी आदि। इसके

साथ ही इन अपराधों से जुड़े अन्य व्यक्तियों को भी शामिल किया गया जैसे साफ्टवेयर डीलर व खरीददार, टेक्नीशियन, ऑपरेटर्स आदि।

(2) **अपराधपोषक लोग :** कम्प्यूटर व इलेक्ट्रानिक दुकानदार, साइबर कैफे के मालिक, सीडी शाप आपरेटर, कम्प्यूटर कालेजों से जुड़े लोग, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, बी.पी.ओ. कर्मचारी इत्यादि।

(3) **अपराध नियंत्रक :** पुलिस व कानून प्रोफेशनल, साइबर सिक्यूरिटी संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी सर्विस प्रौफेशनल आदि।

(4) **पीड़ित :** बैंक कर्मचारी, विद्यार्थी, साफ्टवेयर ग्राइफ, युवा, महिलाएं, प्रौद्योगिकी संस्थान, कम्प्यूटर के नये सीखने वाले आदि।

विभिन्न थानों में दर्ज साइबर अपराध मामलों से जुड़े ऐसे 200 लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रश्न तालिका का उपयोग किया गया। एकत्रित आंकड़ों को तालिका बद्ध करके स्टेटिस्टिकल विश्लेषण किया गया विभिन्न कारकों वे परिणामों का एक दूसरे से संबंध जानने के लिए मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशेयेन्ट की गणना की गई। ऐसी गणना के आधार पर आंकड़ों के परिणाम एवं निष्कर्ष निकाले गए जो यहां प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

परिणाम एवं निष्कर्ष

अध्ययन से सफेद पोश अपराधियों के उभरने और साइबर अपराध घटनाओं को बढ़ोत्तरी का संबंध बहुकोणीय सामाजिक मुद्दों से होना प्रतीत होता है। साइबर अपराध और अपराधी से संबंधित विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इसमें दो कारकों का मुख्य योगदान रहा। पहला था मानवात्मक कारक जिसमें आंकड़े दर्शाते हैं कि सन् 2004 से 2007 के बीच घटित साइबर अपराध में 96.6 प्रतिशत लोग 18-50 वर्ष आयु के थे। 86.6 प्रतिशत सवर्ण और 66.5 प्रतिशत कालेज शिक्षित पर बेरोजगार लोग संलग्न थे जो अपराध बोध व नियमहीनता (में क्यों पीछे रहूं) समान भावों से ग्रसित पाए गए। सवर्ण, जवान, उच्च शिक्षित (कालेजों) और बेरोजगार ये सभी कारक सफेदपोश व्यक्ति को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने की ओर आकर्षित करते हैं जिसके तहत वह प्रौद्योगिकी के साधनों को मौका परस्ती से उपयोग करके और अपने को समाज के बीच स्थापित रखकर भी आर्थिक प्रेरणा को संतुष्टी के तहत अपराध में शामिल होता है। यह स्थिति उसे अपराध के अनुकूलन और विचलन प्रक्रिया की ओर ले जाती है। तीन वर्ष की अवधि में साइबर अपराधों में वृद्धि इन तथ्यों से सिद्ध होती है।

दूसरा कारक था सामाजिक भेधता आंकड़े दर्शाते हैं कि 87.80 प्रतिशत रेस्पोन्डेन्ट क्षीण सामाजिक मर्यादाओं और खण्डित मूल्यों के शिकार थे और बेरोजगारी के कारण अपने आपको समाज की मुख्य धारा से अलग महसूस करते रहे। इस प्रक्रिया में समूह अभिमति के लिए सफेदपोश समूह में शामिल होकर मौका परस्ती व अनुकूलन के शिकार हुए। सामाजिक भेधता के अन्य अंग जैसे आर्थिक एजेन्सियों का वर्चस्व, सामाजिक नियंत्रण की विसंगतियां और पारिवारिक क्षीणता आदि कारकों ने आपराधिक प्रेरणा को अंजाम दिया।

विश्लेषण

सफेदपोश अपराधी के बारे में **सदरलेण्ड** ने बताया था कि प्रतिष्ठित वेशभूषा के चलन वाले ऐसे उच्चवर्ग के लोग जो शिक्षा, बुद्धि व धन के कारण शीघ्र आवेगपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर नियोजित ढंग से अपराध जैसे कार्यों के लिए प्रेरित हो जाते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री **राबर्ट मेर्टन** के अनुसार मानव संरचनात्मक प्रकार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक हित और लाभ को लक्ष्य बनाता है और परिस्थितियों के अनुसार आपराधिक प्रेरणा को तवज्जो देता है।

ऐसे सफेदपोश अपराधों के बढ़ने और सामाजिक

भेद्यता में संबंध निरूपित करते हुए **मेक्सबेवर** ने सुझाया कि असीमित इच्छा पूर्ति की चाहत से लोगों में विचलन की स्थिति निर्मित होती है जिससे व्यक्ति के सामाजिक संबंधों में तीव्र परिवर्तन होता है जो सामाजिक मूल्यों और नियंत्रण को कम कर देता है। इस स्थिति में सामान्यतया व्यक्ति में पारम्परिक विश्वास और मूल्यों में कमी तथा निराशा में बढ़ोत्तरी होने के कारण समाज में अपराध जैसी बुराईयां पनपती हैं। इसी तारतम्य में **पारसन्स** द्वारा सुझाए गए संस्थागत संरचना और मूल्यों के सिद्धांत की भी महत्ता सामने आती है जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि मानव व्यवहार के नियंत्रण एवं उसे व्यवस्थित करने के लिए विघटन उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों पर रोक तथा उद्वेगात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही अपराध के खिलाफ अभिमति भी आवश्यक हो जाती है जिसके अभाव में अपराधों के प्रति सामाजिक भेद्यता बढ़ जाती है।

हरबर्ट स्पेन्सर के सुझाए गए सिद्धांत, अस्तित्व के लिए संघर्ष की महत्ता भी सफेदपोश अपराधी के लिए साबित होती है जहां उन्होंने बताया था कि उपयुक्त योग्यता वाला व्यक्ति अपनी सफलता के लिए शीघ्र ही अनुकूलन या समझौता की स्थिति प्राप्त कर लेता है। इलियट और **मेरिल** तथा **सेठना** ने सुझाया कि सामाजिक नियंत्रण के अभाव में सफेदपोष लोग व्यक्तिवादी धारणाओं के कायल हो जाते हैं और अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने में सामाजिक मर्यादा और मूल्यों की अवहेलना कर बैठते हैं। वर्तमान अध्ययन में साइबर अपराध की बढ़ोत्तरी में सफेदपोश अपराधी के बारे में प्रस्तुत जानकारी उपरोक्त समाज शास्त्रियों की राय से मेल खाती है।

निष्कर्ष

साइबर अपराध की पोषक एजेन्सियां, नियंत्रक व पीड़ितों से जुड़े सामाजिक पहलुओं के अध्ययन से पता लगा कि इनसे संबंधित कारण अपराधियों को अपरोक्ष रूप से सिद्ध हुए हैं। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि साइबर अपराधों में उच्च वर्गीय (सफेदपोश) लोगों की लिप्तता उन सामाजिक, आर्थिक व व्यक्तिगत पहलुओं को इंगित करती है जो इन अपराधों के प्रति सामाजिक मापदण्ड, मूल्यों एवं मर्यादाओं के उल्लंघन में समाहित हैं। अपराध नियंत्रक एजेंसियों से कहीं ज्यादा सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी इससे सिद्ध होती है क्योंकि साइबर अपराध के सफेदपोश अपराधियों के लिए भी वैसे ही संज्ञान व मापदण्ड निर्धारित हों जैसा कि अन्य अपराधों में।

अध्ययन से यह भी पता लगता है कि साइबर अपराधों में घटनास्थल पर अपराधी की भौतिक उपस्थिति अवसर जरूरी नहीं होने और इसमें बेइज्जती अथवा अन्य शारीरिक कठिनाईयों के कम होने के कारण इनके प्रति मोटीवेशन बर्धन में मददगार कारकों का भी पता लगा। ये हैं—सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक साफ्टवेयर की सहज उपलब्धता व इनके अत्याधुनिक उपकरणों पर पहुंच, अवसरों की बहुलता व इनसे जुड़े अन्य पहलू भी सफेदपोश अपराधी के पक्ष में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुए हैं। साथ ही अपराध पोषक, नियंत्रक व पीड़ित पक्षों से जुड़े आयाम भी साइबर अपराधों के महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुए हैं। सामाजिक नियंत्रण में शिथिलता संबंधित संगठनों व एजेन्सियों से जुड़ी खामियां या कमिया तथा नौसिखिए उपभोक्ताओं से जुड़े कारक भी सफेदपोश अपराधी के पक्ष में योगदान करते पाए गए हैं। अध्ययन ऐसी जरूरत को प्रतिपादित करता है जिनमें आधुनिक समाज अपने दायित्वों के तहत साइबर अपराध को परिभाषित करे और सफेदपोश अपराधी के ऐसे कृत्यों को समाज के मापदण्डों व मूल्यों व मर्यादाओं के खिलाफ मानकर दण्ड प्रक्रिया निर्धारित करे।

❑

महिलाएं, अपराध तथा पुलिस

डा. ओमराज सिंह

निपसिड, हौजखास, नई दिल्ली-110016

समाज में अनैतिक तथा गैरकानूनी कुकृत्य घटित होते रहते हैं। इस कारण से सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासन भी प्रभावित होते ही रहते हैं। इसी कारण समय-समय पर विचार-विमर्श भी किए जाते रहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा सकते हैं। विकासशील भारत की विकास की प्रगति में महिलाओं की भागीदारी 40 प्रतिशत है--एक महिला के रूप में जो कि परिवार का पालन पोषण करती है, भोजन बनाने से लेकर गृहस्थी तथा परिवार के अन्य काम-काज में हमेशा लगे रहना, घर के विकास में उसकी भागीदारी का होना आदि। महिलाओं का दूसरा भी एक वर्ग है जो कि परिवार चलाने के लिए शारीरिक श्रम करता है जैसे कि—खेती का काम करना, आटा पीसना, पत्थर ढोना, किचन गार्डन में काम करना, सब्जी उगाना आदि। शिक्षित वर्ग स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, कंपनियों में काम करता है। कामकाजी महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है—सीधे श्रम बेचना तथा बुद्धिजीवी की भूमिका निभाना। आमतौर पर घर परिवार में उसकी भूमिका को नगण्य समझा जाता है अर्थात नजर अंदाज कर दिया जाता है जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। एक तरफ हम—यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तत्र देवता रमन्ते' की अवधारणा रखते हैं तथा दूसरी तरफ नारी के शोषण में कोई कमी उठाकर नहीं रखते। ऐसा लगता है कि नारी का जन्म ही शोषित होने के लिए हुआ है। नारी ही पुरुष को संयमित, मर्यादित बनाती है परन्तु पुरुष के ही द्वारा शोषित होती चली जाती है।

पुलिस किसी भी देश की प्रमुख संस्था होती है इसके ऊपर देश की आंतरिक व्यवस्था एवं जनता की सुरक्षा का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए पुलिस व्यवस्था को व्यावसायिक रूप से पूर्ण सक्षम, कुशल एवं सदा आधुनिक बने रहना निहायत ही जरूरी है, तभी वह अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम हो सकते हैं तथा भेदभाव समाज से दूर करने में सफलता हासिल कर सकते हैं। पुलिस के कार्यों में एक मुख्य कार्य यह भी है कि समाज में अपराधों की रोकथाम, उन पर नियंत्रण तथा अपराध एवं अपराधियों की खोज करना भी है तथा यह भी ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से निदोर्षों को यातना न झेलनी पड़े। इसके लिए हमेशा पुलिस को चौकन्ना रहना पड़ता है। बुनियादी तथा स्पष्टतौर पर किसी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य ही हिंसा है। हिंसा के लिए परिवार ही मुख्य जगह है। जन्म लेने से पहले ही लड़की संवेदनशील बन जाती है क्योंकि आजकल हो रहे लिंग-विश्लेषण अर्थात् निर्धारण परीक्षण से कन्या भ्रूण का गर्भपात कराया जाता है जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर महिला पुरुष के अनुपात में विभिन्नता कर रहा है। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम होता चला जा रहा है।

लिंग भेद (एक हजार पुरुषों पर)

वर्ष	लिंग भेद	वर्ष	लिंग भेद
1901	972	1961	941
1911	964	1971	930
1921	955	1981	934
1931	950	1991	927
1941	945	2001	933
1951	946		

लिंग भेद के कारण यह महसूस किया जा रहा है कि साक्षरता दर में वृद्धि के बावजूद महिलाओं की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है जो कि समाज के लिए सोच का विषय है। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में एक विकराल रूप ले लेगा तथा अपराधीकरण समाज में कैंसर की भाति फैल जाएगा

जिसका निराकरण पुलिस व्यवस्था मजबूत होने पर भी नहीं कर सकती। एक स्वतंत्र तथा प्रजातांत्रिक समाज में सामाजिक नियंत्रण के लिए राज्य तथा पुलिस दोनों को ही इस भेदभाव पर तथा अन्तर पर ध्यान देना जरूरी है। आज भारत में महिलाओं में साक्षरता दर में वृद्धि होने के साथ ही लिंग भेद भी प्रखर रूप लेता चला जा रहा है। आज स्कूलों में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है तथा साक्षरता दर भी बढ़ी परन्तु अपराधों में वृद्धि का होना विशेषकर महिलाओं के साथ एक चिंता का विषय समाज के लिए है जो कि समाज तथा पुलिस के सहयोग से ही दूर हो सकता है।

भारत में साक्षरता दर में लिंग भेद

वर्ष	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता	कुल साक्षरता	अन्तर
1951	27.16	8.86	18.33	18.30
1961	41.50	13.15	28.30	28.35
1971	47.69	19.36	34.45	28.33
1981	56.38	29.76	43.57	26.62
1991	64.13	39.29	52.21	24.84
2001	75.85	54.16	65.38	21.69

ऐसा माना जाता है कि भारतीय समाज में स्वतंत्रता के पश्चात् जिस अनुपात में शिक्षा, समृद्धि तथा विकास की गति बढ़ी है उसी अनुपात में हमारी लाचारियां तथा कायरता की दरें भी बढ़ी हैं। यह संक्रमण कालीन समाजों की स्वाभाविक स्थिति हो सकती है। गांवों से शहरों में आए परिवारों ने धनी, सम्प्रान्त तथा उच्च शिक्षित परिवारों के बीच स्थान बनाने के लिए सारे ऐसे अनैतिक रास्ते चुन लिए हैं कि जो मानवीय मूल्यों की घोर अवमानना करते हैं। आज स्थिति यह बन चुकी है कि शहरी समाज में खुले आम हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाता है भरी दुपहरी में डकैती पड़ जाती है या बच्चे का अपहरण हो जाता है। सन् 2002 से 2005 तक महिलाओं पर घटित ब्यौरा इस प्रकार से है।

महिलाओं के प्रति अपराध : महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए अनेक कानूनों की मौजूदगी के बावजूद, महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि हुई है। सन् 2005 के दौरान 1,55,553 अपराधों की तुलना में 2004 में महिलाओं के प्रति कुल 1,54,333 अपराध प्रकाश में आए। इस प्रकार 2005 के दौरान 0.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। महिलाओं के प्रति विभिन्न अपराधों की घटना सारणी में नीचे दी गई है–

सारणी (महिलाओं के प्रति अपराध, 2005)

क्र. सं.	अपराध का शीर्षक	महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या			2004 और 2005 के बीच अन्तर %	कुल अपराधों में महिलाओं के प्रति अपराध %
		2002	2004	2005		
1	बलात्कार	16373	18233	18359	0.7	11.8
2	अपहरण और भगाना (धारा 363 से 373 आईपीसी)	14506	15578	15750	1.1	10.1
3	दहेज मृत्यु(धारा302 /304 बीआईपीसी)	6822	7026	6787	-3.4	4.4
4	उत्पीड़न(धारा-498ए आई पी सी)	49237	58121	58319	0.3	37.5
5	छेड़छाड़ (धारा 354 आईपीसी)	33943	34567	34175	-1.1	22.0
6	यौन उत्पीड़न (धारा509आईपीसी)	10155	10001	9984	-0.2	6.4
7.	बालिकाओं का आयात (धारा 366 बीआईपीसी)	76	89	149	67.4	0.1
8.	सती निवारक अधि., 1987	0	0	1	100.0	0.0
9.	अनैतिक व्यापार निवारक अधि. 1956	6598	5748	5908	2.8	3.8
10.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध अधि. 1986)	2508	1378	2917	111.7	1.9
11.	दहेज प्रतिबंध अधि. 1961	2816	3592	3204	-10.8	2.1
	कुल	143034	154333	155553	0.8	100.0

स्रोत : भारत सरकार गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (2006)
भारत में अपराध 2005

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार की गई महिलाओं की राज्यवार स्थिति सारणी में नीचे दी गई है

भारतीय दंड संहिता के अर्न्तगत कुल संज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तार, 2005

क. सं.	भारत/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	भारतीय दंड संहिता के अर्न्तगत संज्ञेय अपराधों की संख्या			कुल में से महिलाओं की प्रतिशत
		पुरुष	महिलाएं	कुल	
	भारत	2470238	151309	2621547	5.8
1.	आंध्र प्रदेश	199728	16549	216277	7.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	2453	35	2488	1.4
3.	असम	66367	2307	68674	3.4
4.	बिहार	183519	2621	186140	1.4
5.	छत्तीसगढ़	53388	2612	56000	4.7
6.	दिल्ली	50881	2437	53318	4.6
7.	गोआ	2433	155	2588	6.0
8.	गुजरात	144385	12212	156597	7.8
9.	हरियाणा	56014	2926	58940	5.0
10.	हिमाचल प्रदेश	16387	2241	18628	12.0
11.	जम्मू व कश्मीर	25641	1975	27616	7.2
12.	झारखंड	44650	2264	46914	4.8
13.	कर्नाटक	129597	8991	138588	6.5
14.	केरल	140721	4888	145609	3.4
15.	मध्य प्रदेश	301294	13667	314961	4.3
16.	महाराष्ट्र	261065	26049	287114	9.1
17.	मणिपुर	1254	136	1390	9.8
18.	मेघालय	1575	19	1594	1.2
19.	मिजोरम	2257	459	2716	16.9
20.	नगालैंड	1203	23	1226	1.9
21.	उड़ीसा	74219	4081	78300	5.2
22.	पंजाब	37192	2345	39537	5.9
23.	राजस्थान	165979	14832	178811	7.2
24.	सिक्किम	427	28	455	6.2
25.	तमिलनाडू	180015	14830	194845	7.6
26.	त्रिपुरा	3692	560	4252	13.2
27.	उत्तर प्रदेश	206326	4949	211275	2.3
28.	उत्तराखंड	12466	958	13424	7.1
29.	पश्चिम बंगाल	94526	7635	102161	7.5
	संघ शासित क्षेत्र				
30.	अंडमान और	747	101	848	11.9
	निकोबार				
	द्वीपसमूह				
31.	चंडीगढ़	2896	93	2989	3.1
32.	दादर और नगर	693	21	714	2.9
	हवेली				
33.	दमन और दीव	272	18	290	6.2
34.	लक्षद्वीप	45	0	45	0.0
35.	पांडिचेरी	5931	292	6223	4.7

स्रोत : भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (2006), भारत में अपराध 2006 नई दिल्ली, पृष्ठ 431।

विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों के अंतर्गत अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए लिंगवार व्यक्तियों की संख्या सारणी में नीचे दी गई है

एस एल एल अपराधों (शीर्ष और लिंगवार अपराध) के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति 2005

कं सं.	**अपराध का शीर्षक**	**एस एल एल के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति**			**कुल में से प्रतिशत**	
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1.	आयुध अधि.	77402	255	77657	99.7	0.3
2.	स्वापक औषधिक और मनः प्रभावी पदार्थ अधि.	32019	1876	33895	94.5	5.5
3.	जुआ अधि.	388285	601	388886	99.8	0.2
4.	उत्पाद शुल्क अधि.	155056	10053	165109	93.9	6.1
5.	प्रतिशोध अधि.	267743	72694	340437	78.6	21.4
6.	विस्फोटक और विस्फोटक पदार्थ अधि.	5041	67	5108	98.7	1.3
7.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधि.	3547	9118	12665	28.0	72.0
8.	भारतीय रेलवे अधि.	342	1	343	99.7	0.3
9.	विदेशियों का पंजीकरण	2041	757	2798	72.9	27.1
10.	सिविल अधिकार संरक्षण अधि.	613	22	635	96.5	3.5
	क) अ.जा.के लिए	562	22	584	96.2	3.8
	पीसीआर ख) अ.ज.जा. के लिए पीसीआर	51	0	51	100.0	0.0
11.	भारतीय पासपोर्ट अधिनियम	1494	326	1820	82.1	17.9
12.	आवश्यक वस्तु अधिनियम	9953	93	10046	99.1	0.9
13.	आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधि.	170	8	178	95.5	4.5
14.	पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम	39	0	39	100.0	0.0

15.	दहेज प्रतिबंध अधिनिमय	5995	1202	7197	83.3	16.7
16.	बाल विवाह अवरोध अधि.	312	99	411	75.9	24.1
17.	महिला अशिष्ट रूपण (प्रतिबंध) अधि.	2408	568	2976	80.9	19.1
18.	प्रतिलिप्याधिकार अधि.	8739	21	8760	99.8	0.2
19.	सती निवारण अधि.	18	0	18	100.0	0.0
20.	अ.जा./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारक) अधि.	16518	556	17074	96.7	3.3
	1 अ.जा. के लिए अत्याचार	14718	466	15184	96.9	3.1
	2. अ.ज.जा. के लिए अत्याचार	1800	90	1890	95.2	4.8
21.	वन अधि.	7639	7	7646	99.9	0.1
22.	अन्य एस एल एल अपराध	2347884	56317	2404201	97.7	2.3
	एस एल के अंतर्गत कुल	3333258	154641	3487899	95.6	4.4
	संज्ञेय अपराध					

टिप्पणी : एस एल एल : स्पेशल एण्ड लोकल नियम

स्रोत : भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (2006), भारत में अपराध 2006, नई दिल्ली, पृष्ठ 433।

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि आई.पी.सी. अपराधों (कुल) में से महिलाओं के प्रति आई पी सी (भारतीय दंड संहिता) के अन्तर्गत कुल संज्ञेय अपराधों का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है जो कि वर्ष 2005 में 5.8 प्रतिशत हो गया है। यह एक चिंता का विषय है। अपराधों का रोकना पुलिस का कर्तव्य है तथा पुलिस एक जुट होकर अपराधों को रोकने में सफलता प्राप्त कर सकती है। हम लोग किसी भी दिन का अखबार पढें दूरदर्शन देखें, रेडियो पर समाचार सुनें हम हमेशा ही अधिकांश रूप में अपराध जगत की ही खबरें सुनते चले आ रहे हैं। इन खबरों को सुनते-सुनते सालों साल बीत गए हैं तथा इस प्रकार की खबरें आम ही बनकर रह गई हैं। उनके बारे में सोचें जिनके साथ घटना घटित हुई है तथा उनके परिवार का सदस्य हमेशा के लिए उनका साथ छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया है। सोचते ही शरीर में करंट लगता है कि लोगों की बुद्धि को क्या हो गया है इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। पुलिस व्यवस्था यदि सुदृढ़ हो तो अपराध कम घटित होंगे।

विगत एक दशक से अधिक समय से भारत में पुलिस की कार्यप्रणाली को लोकतांत्रिक बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनेक प्रयत्न किए हैं जोकि सराहनीय है किन्तु बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, नैतिक मूल्यों में गिरावट, राजनीतिज्ञों तथा अपराधियों के संयुक्तिकरण, आतंकवाद नशीली दवा व्यापार, व्यक्तिवाद, संचारक्रांति उद्देश्यहीन शिक्षा, भौतिकवाद, आर्थिक उदारीकरण, गरीबी, बेरोजगारी साम्प्रदायिकता, जातिवाद तथा आर्थिक असमानता ने पुलिस के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियां पैदा कर दी हैं। इस दिशा में अनेक प्रकार की सतर्कता तथा क्रियाशीलता की जरूरत है। **प्रथम** यदि शोषित महिला या उसका संबंधी, सहयोगी पुलिस थाने या सक्षम पुलिस अधिकारी के पास प्राथमिकी दर्ज कराने जाए तो उसके प्रति उनका रवैया सकारात्मक हो तथा ध्यानपूर्वक उनकी कही हुई बात को सुना जाए तथा तुरन्त ही तहकीकात भी शुरू कर देनी चाहिए। पुलिस रवैया ठीक न होने के कारण 65 प्रतिशत मामले प्राथमिकी दर्ज ही नहीं करा पाते तथा पुलिस की उदासीनता व बर्बरता के कारण उन्हें अपमान का जहर पीकर ही रह जाना पड़ता है। **द्वितीय** यदि छेड़छाड़, हंसी मज़ाक का मामला हो तब पुलिस को तत्काल बदमाश को डांट फटकार लगानी चाहिए, हिरासत में लेना चाहिए। हम सोचते हैं कि शायद पुलिस नहीं जानती कि शासन, कानून व्यवस्था का वही द्वार है, रक्षिका है। उसका सजग प्रहरी के समान होना तथा आक्रमक रुख आख्तियार कर लेना अनेक अनर्थ कार्यों को रोक सकता है। इस प्रकार पुलिस अपनी छवि समाज में तथा पुलिस प्रणाली में सुधारने में सक्षम हो सकेगी।

तृतीय हम भारत के लोग, भारत को एक सम्प्रभुता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने व इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, पंथ व पूजा की स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का अधिकार है, न्याय सबके लिए बराबर है परन्तु पुलिस भेदभाव करती है। एक महिला जोकि पीड़ित है तथा किसी के द्वारा प्रताड़ित की जा रही है, यदि पुलिस से गुहार करती है तब पुलिस का कर्तव्य है कि उस पर कार्रवाई करे तथा दोषी को दण्डित करे, न्याय में विलंब न करे तथा जितनी जल्दी हो प्रताड़ित को न्याय दिलाए तभी तो लोगों का पुलिस व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा तथा सम्मान होगा अन्यथा पुलिस व जनता का मधुर रिश्ता कायम न हो सकेगा। **चतुर्थ** ऐसा देखने एवं सुनने में आता है कि सूचना देने वाला पुलिस को सच्चा बयान दे देता है तथा चाहता है कि उसकी सूचना को गोपनीय रखा जाए तथा पीड़ित को न्यायालय से न्याय मिल सके। **पंचम** यह देखने में आया है कि समय-कुसमय रात, अंधेरे में तैनात प्रहरी आरक्षी ही महिला के प्रथम रक्षक है। उन्हें उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें तत्काल मदद करनी चाहिए ताकि महिला को ऐसा महसूस होने लगे कि पुलिस उसकी हमदम है, दोस्त है तथा रक्षक है। पुलिस के प्रति जो लोगों का अविश्वास, निष्क्रियता, भ्रष्टता, बर्बरता आदि को लेकर जो अवधारणाएं उसके मन में घर कर गई हैं उसको बदलना होगा। आधी दुनिया में विकास पर जो प्रश्नचिह्न लगाने वालों पर कोई नियंत्रण तथा अंकुश रखा जा सकता है तो वह पुलिस ही है, उसके उज्जवल पक्ष को विस्मृत नहीं किया जा सकता है।

पुलिस का प्रमुख कर्तव्य है कि समाज के नागरिकों के जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा करना है ताकि व्यक्ति अपने अधिकारों का हनन या किसी अन्य बाधा के बिना अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। इस कार्य के लिए वे स्वयं कानून को अपने हाथों में न ले। समाज के विभिन्न व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास कर सकें यह तभी संभव प्रतीत होगा जबकि व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसे कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचा सकता या उसकी संपत्ति नहीं लूट सकता। यह तभी संभव है जब पुलिस अपनी दक्षता तथा कुशलता से समाज में यह सुनिश्चित करे कि समाज में कानून व्यवस्था है तथा उसका मनमाने ढंग से उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए यह जरूरी है कि समाज में ऐसी सामाजिक परिस्थितियां बनाएं रखी जाएं, जिनके अंतर्गत समाज के सदस्यों को अपने जीवन तथा संपत्ति के प्रति किसी भी प्रकार का भय या हानि की संभावना इतनी कम हो कि उन्हें स्वयं अपनी आत्मसुरक्षा की व्यवस्था करने की जरूरत महसूस न हो।

❑

समाज में अपराध नियंत्रण और जन सहयोग

डा. एस. अखिलेश

समाज शास्त्र विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय रीवा म.प्र.

सारांश : भारत में कानून व्यवस्था कायम रखने में संविधान की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। संविधान सम्मत ढंग से भारत में विधि न्याय प्रशासन का विकास किया गया है। इनके प्रमुख अंग न्यायपालिका और पुलिस है, जो भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम, विविध अपराध अधिनियम, पुलिस एक्ट एवं इसी तरह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियों के अनुरूप कार्य करती है। समाज में व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का कार्य हैं। किन्तु प्रश्न है, पुलिस क्या है? पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने एवं नियंत्रित करने वाला संगठन है। यह संगठन राज्य की कार्य प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मानव समाज में हम यह कल्पना कर सकते हैं कि प्रारम्भ से ही ऐसा कोई न कोई संगठन रहा होगा जो उस प्राकृतिक अवस्था में भी मानव जीवन की रक्षा या उनकी चौकसी करता रहा होगा। यह एक कल्पना भी हो सकती है किन्तु, प्राकृतिक अवस्था को हम जंगल का राज नहीं मान सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रत्येक समाज में शांति व व्यवस्था की आवश्यकता रहती है। हां यह हो सकता है कि प्रारम्भिक समाज में संगठन सरल और सामान्य रहा हो, किन्तु सभ्यता के विस्तार के साथ-साथ पुलिस का भी अपना स्वरूप बदलता गया। भारत में पुलिस प्रशासन उतना ही पुरातन है जितना की भारतीय सभ्यता। प्राचीन युग का पुलिस संगठन इतना विकसित नहीं था, जितना आज है। वर्तमान पुलिस प्रशासन ब्रिटिश सरकार की विरासत है, जिसकी बुनियाद पुलिस अधिनियम 1861 है। आम नागरिकों को गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त हो सके और राष्ट्र जनतांत्रिक मूल्यों, मान्यताओं एवं आदर्शों की राह पर चलकर अपनी एक अलग पहचान बना सके, इस दिशा में पुलिस की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को समुदाय में रहने, साथ-साथ काम करने तथा सामुदायिक सहयोग की भावना विकसित करनी आवश्यक है।

पृष्ठभूमि : सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में न्याय प्रशासन की मुख्य एजेन्सी पुलिस की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। पुलिस एवं जनता के पारस्परिक संबंध मधुर हों, यह विषय सर्वत्र चिंतन का है। हमारा देश गणतंत्र है। जनता सर्व-शक्तिमान एवं प्रभुत्व सम्पन्न होने के कारण शक्ति का स्रोत है। बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ से लेकर छोटे से छोटे सरकारी एवं गैर-सरकारी कर्मचारी जन-सेवक की श्रेणी में आते हैं। इस पृष्ठभूमि में पुलिस जैसी अत्यन्त महत्वपूर्ण सरकारी एजेन्सी के जनता से पारस्परिक संबंध सुधारने की दिशा में शोध अन्वेषण और चिन्तन की परम् आवश्यकता है। पुलिस की जिम्मेदारियों में समाज में शान्ति-व्यवस्था बनाए रखना एवं जान-माल की रक्षा करना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य पुलिस के उत्तरदायित्व, जैसे—यातायात नियंत्रण, मेलों एवं हाटों को सुव्यवस्थित रखना, प्राकृतिक संकट के अवसर पर जनता की हर प्रकार से मदद करना, बाहर की आक्रामक कार्रवाईयों का डटकर मुकाबला करना, वी.वी.आई.पी. ड्यूटी इत्यादि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। विडम्बना का विषय है कि, समाज सेवा के इन महत्वपूर्ण कार्यों को करने के बावजूद भी जनता की भावनाएं पुलिस की ओर वैसी नहीं हैं, जैसी कि अपेक्षा की जाती है। हमारे समक्ष

यह एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। जितने मुंह उतनी बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। जनता के पक्ष में बोलने वालों की संख्या अगणित है। पुलिस के पक्ष में भी बोलने वालों की संख्या कम नहीं है। पारस्परिक दोषारोपण होता है और बात वहीं समाप्त हो जाती है। अपनी-अपनी जगह अपने को सब सही साबित करते हैं और समस्या ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस जटिल प्रश्न के समाधान के लिए समस्या की तह में जाकर उन कारणों का पता लगाया जाए जो जनता और पुलिस के बीच मधुर संबंध स्थापित करने में आड़े आ रहे हैं। यह शोध अध्ययन इसी दृष्टिकोण से म.प्र. के रीवा जिला में किया गया है।

शोध प्रविधि : इस अध्ययन की मुख्य इकाईयां रीवा जिला में पदस्थ पुलिस अधिकारी तथा जनता के विभिन्न वर्गों के लोग हैं। यह वे पुलिस अधिकारी हैं, जो रीवा जिला के विभिन्न थानों में पदस्थ हैं। पुलिस थाना प्रभारियों एवं पुलिस थाने में कार्यरत निरीक्षक, उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक ग्रामीण एवं शहरी अंचलों में जनता के सबसे अधिक नजदीक रहते हैं। दैनिक कार्यों में उनका सामना जनता से रोजाना होता है। इस अध्ययन में 150 पुलिस अधिकारियों से साक्षात्कार लिया गया है, जिनकी औसत आयु 25 से 60 वर्ष के बीच है। इन अधिकारियों में राजपत्रित पुलिस अधिकारी, पुलिस निरीक्षकों, उपनिरीक्षकों, सहायक उपनिरीक्षकों एवं प्रधान आरक्षकों का चयन किया गया है। वह अधिकारी वह मैदानी अधिकारी हैं, जिनका आमना-सामना जनता से अनेक दायित्वों के निर्वहन के समय होता है। समस्याओं की गंभीरता के अनुसार इन्हें घटनास्थल पर निर्णय लेना पड़ता है। इस अध्ययन में 25 से 60 वर्ष आयु समूह, नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों में कार्यरत तथा पुलिसजनों की शिक्षा (स्नातक से नीचे, स्नातक, स्नातकोत्तर), सेवाकाल का अनुभव (1 से 10 वर्ष, 11 से 20 वर्ष, 21 से 30 वर्ष तथा 31 से 40 वर्ष या अधिक) के आधार पर चयन किया गया है। पुलिसजनों में महिला पुलिस थानों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति थानों, परिवार परामर्श केंद्रों, सामुदायिक पुलिस गतिविधियों में संलग्न अधिकारियों आदि का भी साक्षात्कार लिया गया है।

अध्ययन की चयनित इकाइयां (पुलिस अधिकारी)

पद	**चयनित इकाईयां (निदर्श)**
राजपत्रित पुलिस अधिकारी	06
निरीक्षक	09
उपनिरीक्षक	21
सहायक उपनिरीक्षक	27
प्रधान आरक्षक	33
आरक्षक	54
योग	**150**

इस अध्ययन में चयनित इकाइयों का प्रतिशत इस प्रकार है :

पद	**चयनित इकाईयां**	**प्रतिशत**
राजपत्रित पुलिस	06	04
अधिकारी		
निरीक्षक	09	06
उपनिरीक्षक	21	14
सहायक उपनिरीक्षक	27	18
प्रधान आरक्षक	33	22
आरक्षक	54	36
योग	**150**	**100**

चयनित पुलिस अधिकारियों की आयु निम्नवत् पाई गई है।

पद	**आयु समूह (वर्ष)**		
	20–30	**35–45**	**45 वर्ष के ऊपर**
राजपत्रित पुलिस अधिकारी	02	03	01
निरीक्षक	-	04	05
उपनिरीक्षक	06	08	07

सहायक उपनिरीक्षक	-	07	20
प्रधान आरक्षक	02	14	17
आरक्षक	26	15	13
योग	**36**	**51**	**63**
प्रतिशत	**24**	**34**	**42**

तथ्यों का विश्लेषण : इस तरह इस शोध कार्य में जिन पुलिस अधिकारियों का साक्षात्कार लिया गया है, उनकी आयु का औसत 20 से 35 वर्ष का 24 प्रतिशत, 35 से 45 वर्ष का 34 प्रतिशत तथा 45 वर्ष से अधिक आयु का 42 प्रतिशत रहा है।

चयनित प्रदर्शों की शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् पाई गई है।

पद	**शिक्षा**		
	स्नातक से नीचे	**स्नातक**	**स्नातकोत्तर**
राजपत्रित पुलिस	-	-	06
अधिकारी			
निरीक्षक	-	01	08
उपनिरीक्षक	-	06	15
सहायक उपनिरीक्षक	03	15	09
प्रधान आरक्षक	09	14	10
आरक्षक	21	21	12
योग	**33**	**57**	**60**
प्रतिशत	**22**	**38**	**40**

इस अध्ययन में जिन 150 पुलिस अधिकारियों से साक्षात्कार लिया गया, उनमें 22 प्रतिशत स्नातक से नीचे, 38 प्रतिशत स्नातक तथा 40 प्रतिशत स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त पाए गए है।

उत्तरदाता पुलिस अधिकारियों के सेवाकाल की स्थिति निम्नवत् पाई गई है।

पद	**सेवाकाल (वर्ष में)**			
	1–10	**11–20**	**21–30**	**31–40**
राजपत्रित पुलिस				
अधिकारी	01	01	03	01
निरीक्षक	-	01	08	-
उपनिरीक्षक	05	10	06	-
सहायक उपनिरीक्षक	-	05	15	07
प्रधान आरक्षक	02	10	15	06
आरक्षक	25	21	04	04
योग	**33**	**48**	**51**	**18**
प्रतिशत	**22**	**32**	**34**	**12**

चयनित पुलिस अधिकारियों में 22 प्रतिशत का सेवाकाल 1 से 10 वर्ष, 32 प्रतिशत का सेवाकाल 11 से 20 वर्ष, 34 प्रतिशत का सेवाकाल 21 से 30 वर्ष तथा 12 प्रतिशत का सेवाकाल 31 वर्ष से अधिक पाया गया है।

अपराध नियंत्रण पुलिस का प्राथमिक दायित्व है। इस दायित्व का निर्वहन भारतीय पुलिस अपने प्रारंभिक काल से ही करती चली आ रही है। ब्रिटिश शासनकाल में कानून और व्यवस्था बनाए रखना सरकार का मुख्य कार्य माना जाता था। इसीलिए उस समय सरकार के प्रशासनिक और न्यायिक कार्य एक ही अधिकारी द्वारा किए जाते थे। इसलिए जो अधिकारी जिले की शान्ति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते थे, उन्हीं को झगड़ों के निपटारे का भी अधिकार दिया गया था। ब्रिटिशकाल में जिलाध्यक्ष को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों अधिकार प्राप्त थे। जिला पुलिस अधीक्षक प्रशासन के संबंध में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व तथा निर्देशन में कार्य करते थे। अपराध नियंत्रण तथा शान्ति व व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार सामंजस्य की व्यवस्था बनाई गई थी। आजाद भारत में भी यह व्यवस्था कायम रखी गई है।

विश्व के प्रत्येक देश में पुलिस संगठन उसी समाज के अंग हैं, जिनमें वह कार्य करते हैं। अतः पुलिस के प्रत्येक कार्य के लिए यह आवश्यक है कि वह समाज का सहयोग और विश्वास अर्जित करते हुए आगे बढ़े। प्रायः यह देखा गया है कि आज पुलिस को जनता का ऐसा सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि अनेक मामले, जो जनता के सामान्य सहयोग से सरलता से सुलझाए जा सकते हैं, जनसहयोग के कारण अनसुलझे रह जाते हैं। जनसहयोग प्राप्त न होने के उत्तरदायी कारणों को जानने का प्रयास पुलिस अधिकारियों से साक्षात्कार के दौरान किया गया। प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

जनसहयोग प्राप्त न होने के उत्तरदायी कारण :

क्र. सं.	उत्तरदाता पुलिस अधिकारियों का वर्ग	जनसहयोग प्राप्त न होने के उत्तरदायी कारण					
		जनता की पलायन-वादी प्रवृत्ति	अशिक्षा अज्ञानता	जीवन निर्वाह में व्यस्तता	दायित्वों के प्रति अज्ञानता	पुलिस के प्रति अविश्-वास	उत्तर-दाताओं की संख्या
1.	राजपत्रित पुलिस अधिकारी	01	01	01	02	01	06
2.	निरीक्षक	02	02	01	02	02	09
3.	उपनिरीक्षक	06	01	04	05	05	21
4.	सहायक उपनिरीक्षक	05	05	05	05	07	27
5.	प्रधान आरक्षक	07	06	06	06	08	33
6.	आरक्षक	09	09	10	07	19	54
	योग	**30**	**24**	**27**	**27**	**42**	**150**
	प्रतिशत	**20**	**16**	**18**	**18**	**28**	**100**

पुलिस के कार्यों में जनसहयोग की कमी पाई जाती है, इसका कारण 20 प्रतिशत पुलिस अधिकारी यह मानते हैं कि जनता की पलायनवादी प्रवृत्ति इसके लिए उत्तरदायी है, जबकि 16 प्रतिशत इसका कारण समाज में अशिक्षा एवं अज्ञानता की स्थिति को स्वीकार करते हैं। इसी तरह 18 प्रतिशत पुलिस अधिकारी यह मानते हैं कि सामान्यजन जीवन निर्वाह के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, अतः उनकी रुचि पुलिस के कार्यों में सहयोग की नहीं रहती है। 18 प्रतिशत दायित्वों के प्रति अज्ञानता की स्थिति और 28 प्रतिशत पुलिस अधिकारी यह मानते हैं कि अभी भी समाज में लोग पुलिस के प्रति अविश्वास की भावना रखते हैं।

पुलिस और जनता के बीच सहयोग और विश्वास की भावना को कैसे विकसित किया जाए? यह प्रश्न भी साक्षात्कार के दौरान पुलिस अधिकारियों से पूछा गया। तभी पुलिस अधिकारियों ने यह अभिमत प्रकट किया कि पुलिस के कार्यों में जनता की भागीदारी आवश्यक है। इसलिए नगरों में **नगर सुरक्षा समितियों** तथा **ग्रामों में ग्राम सुरक्षा समितियों** का गठन किया जाना चाहिए। पुनः प्रश्न किया गया कि **इन समितियों का उद्देश्य क्या होना चाहिए?** प्राप्त उत्तर को निम्न बिंदुओं में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(1) विभिन्न समुदायों के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव तथा शान्ति कायम रखना,

(2) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहयोग से अपराध की दरों में कमी लाना,

(3) कानून व व्यवस्था के कार्य में पुलिस को सहयोग देना,

(4) प्राकृतिक आपदा तथा किसी दुर्घटना के समय पुलिस प्रशासन को सहयोग करना,

(5) महिलाओं के उत्पीड़न तथा बच्चों के शोषण को प्रभावशाली तरीके से रोकने के लिए पुलिस का ध्यान आकृष्ट करना,

(6) बढ़ते हुए प्रदूषण तथा यातायात से उत्पन्न परेशानियों को दूर करने हेतु पुलिस को परामर्श तथा सहयोग प्रदान करना,

(7) शराब तथा मादक द्रव्यों के बढ़ते प्रचलन को रोकने का प्रयास करना,

(8) प्रौढ़ शिक्षा तथा समाज के पिछड़ी व गन्दी बस्ती में रहने वालों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करवाना,

(9) पर्यावरण की सुरक्षा व विकास के लिए प्रयास करना, तथा

(10) समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों में व्याप्त

सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास करना।

रीवा जिले में नगर सुरक्षा समिति तथा ग्राम रक्षा समिति का गठन प्रत्येक नगर एवं प्रत्येक ग्राम में किया गया है। इन समितियों के निर्माण की प्राथमिक इकाई 'बीट' है। प्रत्येक पुलिस थाने में इस प्रकार की कम से कम चार या पांच समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक बीट की समिति में पांच अनुभवी नागरिकों (संरक्षकों) तथा एक संयोजक व पच्चीस से पैंतीस सदस्य रखे गए हैं। स्थान व परिस्थितियों के अनुसार इन संख्याओं में परिवर्तन करते हुए प्रत्येक थाने परिक्षेत्र में वांछित जनसहयोग के लिए नगर सुरक्षा समितियों एवं ग्रामों में ग्राम रक्षा समितियों का निर्माण आज की आवश्यकता है। प्रत्येक पुलिस थाने के लिए एक थाना संयोजक, अनुविभागीय स्तर पर एक क्षेत्रीय संयोजक भी रखा जाना चाहिए। इस तरह नगर सुरक्षा समितियों एवं ग्राम रक्षा समितियों का संगठन त्रि-स्तरीय है। इन समितियों में दलगत राजनीति से दूर समाजसेवियों को रखा गया है, जिनका कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। यथासंभव सेवानिवृत्त न्यायधीशों, खिलाड़ियों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों, इंजीनियरों, व्यावसाइयों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा महिला कार्यकर्त्ताओं को इन समितियों की सदस्यता हेतु आमंत्रित किया गया है। मध्यप्रदेश में रीवा जिला के नगरीय क्षेत्रों में नगर सुरक्षा समितियों के गठन के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी ग्राम रक्षा समितियों का गठन हो चुका है। इन समितियों के अस्तित्व में आने के बाद अपराध की दर में गिरावट दर्ज की गई है। इन्हें पर्याप्त जनसमर्थन मिल रहा है। प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी समितियों के गठन की दिशा में अग्रणी कदम उठाए जा रहे हैं। आशा की जाती है कि वह समय दूर नहीं है जब सम्पूर्ण देश में अपराधों की रोकथाम के साथ-साथ सामाजिक न्याय और संविधान में प्रदत्त किए गए नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण में जनता इन समितियों के माध्यम से पुलिस को सहयोग देते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेगी।

निष्कर्ष : इस प्रकार वर्तमान पुलिस प्रशासन ब्रिटिश सरकार की विरासत है, जिसकी बुनियाद पुलिस अधिनियम 1861 है। आम नागरिकों को गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त हो सके और राष्ट्र जनतांत्रिक मूल्यों, मान्यताओं एवं आदर्शों की राह पर चलकर अपनी एक अलग पहचान बना सके, इस दिशा में पुलिस की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को समुदाय में रहने, साथ-साथ काम करने तथा सामुदायिक सहयोग की भावना विकसित करनी आवश्यक है। इसीलिए पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को उनके विशिष्ट कार्य सम्पादन के लिए **सामुदायिक पोलिसिंग** की अवधारणा को साकार रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। समाजशास्त्रियों का विचार है कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली हर घटना, चाहे वह सामान्य चोरी-डकैती की घटना हो या उपद्रव, आन्दोलन, साम्प्रदायिक संघर्ष या मजदूर असन्तोष की ज्वाला हो, के मूल में आर्थिक-सामाजिक विषमता और असन्तुलन की चिन्गारी विद्यमान रहती है। अतः आवश्यकता है संविधान द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को कार्यान्वित करने की, समाजवादी और लोककल्याणकारी राज्य के आदर्शों के क्रियान्वयन की। जैसे-जैसे संविधान की प्रस्तावना में निहित लक्ष्यों का क्रियान्वयन होता जाएगा और एक बेहतर समाज व्यवस्था बनती जाएगी, वैसे-वैसे यह समस्या भी धीरे-धीरे कम होती चली जाएगी।

❑

धार्मिक प्रथाओं द्वारा महिला शोषण

डा. जयश्री एस.भट्ट

सीनियर रिसर्च एसोसिएट, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग,
डा, हरीसिंग गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

डा. सर्वपल्लि राधाकृष्णन जी ने अपनी किताब 'भारतीय संस्कृति कुछ विचार' में धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि धर्म विश्वास की वह शक्ति है जो आन्तरिक भागों को स्वच्छ करता है इसी कारण सच्चाई ही प्राथमिक, धार्मिक सद्‌गुण है धर्म मनुष्य के अर्न्तजीवन की कला एवं उत्पत्ति है अतएव हर धार्मिक क्रियाओं को पुरुष एवं स्त्री दोनों समान रूप से कर सकते हैं मन में बस श्रद्धा होनी चाहिए चाहे वह माता-पिता का श्राद्ध ही क्यों न हो फिर भी देखा यह गया है कि धार्मिक क्रियाओं को करने हेतु स्त्री-पुरुष के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं एवं धर्म की आड़ लेकर महिलाओं का शोषण भी हो रहा है अतएव ऐसी धार्मिक प्रथाएं जिसमें व्यक्ति विशेष का शोषण एवं उत्पीड़न हो धार्मिक कुप्रथाओं में बदल जाती हैं अतएव इस शोध आलेख में किस तरह धार्मिक प्रथाओं की आड़ लेकर महिलाओं का शोषण हो रहा है उसे संक्षिप्त रूप में बताने का प्रयास किया गया है।

कन्यादान प्रथा

सृष्टि का आरंभ हुआ तब स्त्री और पुरुष के परस्पर एक दूसरे से बंधकर रहने की प्रथा नहीं थी परन्तु संतति के लालन पालन के लिए विवाह संस्था का जन्म हुआ। तब शायद पुरुष प्रधान समाज था तभी विवाह बंधन में बंधने के लिए जो भी सुनियोजित प्रथाएं प्रारम्भ हुई वो महिलाओं के विरुद्ध हुई क्योंकि विवाह में पुत्र दान नहीं कन्यादान प्रथा का जन्म हुआ जिसके बिना कोई विवाह सम्पन्न नहीं होता। हिन्दू परिवारों में कन्यादान की प्रथा नारी का अपने परिवेश से कटकर नये परिवेश में पदार्पण अर्थात पिता के परिवार से कटकर नये परिवेश में पदार्पण अर्थात पिता के परिवार की पूर्ण सदस्यता से वंचित अपनी पुरानी अस्मिता की जड़ों से वंचित हो अजनबी लोगों से रिश्ता जोड़कर उसे गांव या शहर के मुहल्ले में उसका प्रत्यारोपण किया जाता है। इसलिए विवाह के बाद कन्याएं अपने आपको असुरक्षित, पुरुष पर निर्भर व असहाय मानने लगती हैं क्योंकि उसकी दशा युद्ध हारने पर दूसरे देश में पकड़े जाने पर शत्रु सैनिक की स्थिति जैसी होती है। इस प्रकार कन्यादान प्रथा कन्या का मायके ससुराल के मूल अधिकारों से वंचित करता है।

आधुनिक युग में नए तरीके से शोषण की शुरुआत हो गई है जिसमें कन्यापक्ष को ही वरपक्ष के शहर में आकर उनके हैसियत का प्रदर्शन करते हुए रस्म अदाई करनी पड़ती है। जिससे वर पक्ष का रिसेप्शन एवं बारात आने-जाने का खर्चा बच जाता है। परन्तु कन्या पक्ष पर अनेक आर्थिक दबाव बढ़ जाते हैं। वर पक्ष के अनुसार महंगें-रंगीन कार्ड, विशालकाय रोशनी साज-सज्जा, बुफे शैली में गिद्ध भोज, दान-दहेज भेंट विशेष शैली में स्वागत सत्कार ने विवाह की सादगी और पवित्रता की भावना को कम किया है वहीं कालांतर में विवाह संस्था ने बाल-विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा एवं कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को जन्म दिया है वहीं आधुनिकता ने उसे बढ़ावा दिया है।

देवदासी या जोगनियां प्रथा

भारत में जब देव मंदिरों का निर्माण प्रारम्भ हुआ तो उनके वैभव और ऐश्वर्य को प्रभायुक्त करने के लिए अनेक योजनाएं हुईं। लोगों ने यह सोचा कि आराध्य देव के सम्मुख नृत्य और गान करने वाली सुंदरियां हों जो अपने आकर्षण और सुन्दर कार्यक्रम से देवमंदिर को गुंजायमान किए रहें। पूजन और स्तवन के समय सुमधुर

वाणी में देवस्तुति होती रहे जो सुंदरियां देवमंदिर के निमित्त नियुक्त की जाती थीं, वे देवदासी कही गईं। देवदासी प्रथा का उद्‌भव बौद्ध-युग के बाद तीसरी शती ई. पूर्व में किसी समय हुआ। ग्रीक लेखकों ने देवदासी का उल्लेख किया है। उज्जयिनी के महाकाल मंदिर में अनेक देवदासियां नृत्य-गान में व्यस्त रहा करती थीं (मेघदूत, 1.35)। देवमंदिरों का निर्माण पूजा-अर्चना तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए हुआ था न कि काम-वासना और भौतिक सुख के लिए, पर शनैः शनैः ऐसे देवमंदिर कामोद्‌दीपन के सराय बनते गए।

वीमेंसफीचर सर्विस के अनुसार जोगिनी प्रथा 1988 में समाप्त कर दी गई है लेकिन आंध्र प्रदेश में आज भी जोगनियां या देवदासियां वे जो प्रतीकात्मक रूप से देवी के साथ विवाह बंधन में बांध दिए जाने के बाद धर्म के ठेकेदारों द्वारा शोषित होती हैं। अधिकांशतः निचले-तबके से ताल्लुक रखने वाली इन जोगनियों को इस प्रथा के नाम पर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। कर्नाटक-महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित छोटे से गांव कोकातनपुर में आयोजित मेले में येलम्मा देवी की मूर्ति के समक्ष लड़की का विवाह कर पंडित लड़की को कणिका (मुक्ता) की माला देता है जिसे पहनकर लड़की देवदासी की भूमिका निभाने के लिए तैयार होती है। मेले में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो खासकर युवतियों को देवदासी के रूप में हासिल करने के इरादे से आते हैं। वर्ष 2000 तक कोकातनपुर में खुले आम लड़कियों को देवदासी बनाया जाता था। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप और गैर सरकारी संगठनों की मौजूदगी के कारण अब यह खेल बंद दरवाजे के पीछे चलता है। देवदासी बनने वाली करीब-करीब सभी लड़कियां उत्तरी कर्नाटक के चार जिलों—बेलगाम, बगलकोट, बीजापुर और गुलबर्ग से तथा पड़ोसी राज्य आंध्रप्रदेश की होती हैं ये इलाके पहले से ही गरीबी की मार से त्रस्त हैं। यही कारण है कि गरीब परिवारों में जन्मी लड़कियां मनोरंजन का साधन बनती हैं। ये लोग मानते हैं कि भगवान ने उनकी वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए ही उन्हें लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है।

सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयास

देवदासी निरोधक कानून 1976 के प्रारम्भ में ही अस्तित्व में आया लेकिन अनेक खामियों के कारण नाकारा साबित हुई 1988 में वीमेंस फीचर सर्विस के अनुसार जोगिनी प्रथा समाप्त कर दी गई। आश्रय नामक एक गैर सरकारी संगठन ने इस कुरीति के खिलाफ कमर कसी है जो देह व्यापार में धकेल दी गई अबलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था करती है।

हमारे देश में कितनी विडंबना है कि जहां भी कन्याओं का वेश्यावृत्ति द्वारा शोषण कर पैसा कमाया जाता है वहां कन्या का जन्म कितना शुभ माना जाता है लक्ष्मी आ गई कहकर खुशियां मनाई जाती हैं और इनके विपरीत जहां कन्यादान प्रथा द्वारा कन्या को दहेज देकर दान करना पड़ता है वहां कन्या को जन्म से ही पहले मार दिया जाता है।

कुमारी देवी प्रथा

नेपाल अधिराज्य की कुल देवी तेलुगू भवानी मंदिर में प्रतिष्ठित जीवित आदिशक्ति भवानी (दुर्गा) के रूप में कुमारी कन्या की पूजा धार्मिक विश्वास की पराकाष्ठा का ज्वलंत उदाहरण है जीवित दुर्गा 'भवानी के रूप में कुमारी व देवी को पूजा अनुष्ठान की यह परम्परा कब से प्रारम्भ हुई इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता परन्तु मान्यता है कि 17वीं शताब्दी में महाराजा जय प्रकाश मल्ल के शासन काल में इसे राजपर्व घोषित किया गया तब से विशेष धूमधाम और पूजा अनुष्ठान के साथ इसे मनाया जाने लगा। सम्पूर्ण नेपाल में ग्यारह जीवित श्री भवानी (दुर्गा) के अवतारों की मान्यता है जिसे कुमारी देवी कहा जाता है। उन ग्यारह जीवित भवानियों में तीन को विशिष्ट माना जाता है जो श्री 5 महाराजाधीराज के तीन दरबारों काठमांडू, पावन और मलय में प्रतिष्ठित

हैं। इसमें काठमांडू स्थित तेलुगू भवानी मंदिर की जीवित दुर्गा या कुमारी देवी अति विशिष्ट श्रेणी या दसों के ऊपर (सर्वोपरि) है जिसे महाराजा एवं सम्पूर्ण नेपाल की सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री माना जाता है।

परम्परागत मान्यताओं के अनुसार शाक्य जाति की अल्प वयस्क कुमारी कन्याओं में देवी दुर्गा के अवतार की चयन प्रक्रिया कठोर कर्मकांडों पर आधारित है। कर्म कांडों को एक चयन समिति द्वारा बत्तीस मुख्य लक्षण देख-परख जाने के बाद तांत्रिक पद्धति से पूजा अनुष्ठान द्वारा अवतार को अन्तिम रूप दिया जाता है। मुख्यतः यह देखा जाता है कुमारी कन्या की उम्र 5 से 10 वर्ष के बीच हो चेहरे पर कोई निशान न हो वह निर्भीक हंसमुख सुन्दर तथा स्वस्थ हो। उसके बाद चयनित कन्या की जन्म कुण्डली का ज्योतिषियों द्वारा सूक्ष्मता से जांच पड़ताल किया जाता है कि जन्म कुण्डली कहीं महाराजा की कुण्डली से न मिल जाए। फिर कठोर परीक्षाओं से गुजरने का वक्त आता है। आदिशक्ति भवानी देवी की प्रथम पूजा के पूर्व मध्य रात्रि को 108 बकरों 108 भैसों की बलि दी जाती है। इन भैसों-बकरों के कटे मुण्ड पर जलते दीप रखे जाते हैं। चयनित कुमारी कन्याओं को पंक्तिबद्ध रखे मुण्डों पर जल रहे दीपशिखाओं को पार करते हुए मन्दिर में प्रवेश करना होता है। इसी बीच भयानक मुखौटों व आवाजों से उन्हें डराया जाता है। चयन समिति मंदिर में छुपकर सारी प्रक्रिया को सूक्ष्मता से देखती है। इस दौरान इन तमाम बाधाओं को जो कुमारी कन्या पार कर जाती है वहीं जीवित श्री मां भवानी का अवतार घोषित होती है, चयन प्रक्रिया तांत्रिक अनुष्ठानों द्वारा होती है यह बहुत कठिन और भयावह होती है चयन के बाद जीवित भवानी की शोभा यात्रा निकाली जाती है जो स्वर्ण रथ पर सवार होती है जिसे चौबीस पवित्र हिंदू ब्राह्मण खींचते हैं गलियों में देवी पालकी पर जाती है इस दौरान सड़कों-गलियों के किनारे लाखों श्रद्धालु देवी के दर्शन हेतु प्रतीक्षारत रहते हैं। ऐसा मान्यता है कि जीवित भवानी के दर्शन से सारे पाप कट जाते हैं यह शोभायात्रा दशहरे से निकलती है उसके बाद साल भर के लिए जीवित दुर्गा अपने भव्य कुमारी महल में बन्द हो जाती है परन्तु कभी-कभी खास उत्सवों पर वह आम भक्तों के दर्शनार्थ बाहर निकलती है प्रतिदिन दर्शन सिर्फ महाराजा परिवार और विशिष्टजन ही कर पाते हैं।

देवी भवानी के अवतार में देवीगुण तभी तक होने की मान्यता है जब तक वह रजस्वला न हो, रजस्वला होने के तत्काल बाद उसे उसके परिवार को सामान्य लड़की के रूप में लौटा दिया जाता है परन्तु वह सामान्य जिंदगी नहीं जी सकती उससे कोई पुरुष शादी भी नहीं कर सकता। नेपालवासियों की ऐसी मान्यता है कि जीवित भवानी का प्रतिरूप कौमार्य कन्या अवतार काल में रक्त पाती रहती है। इसलिये रक्तपिपासु लड़की से शादी करने का मतलब अपने जीवन की बलि देना। अतः कोई युवक इससे शादी के लिए तैयार भी नहीं होता। इस प्रकार वह जीवन के अंतिम क्षणों तक कुवांरी ही रह जाती है। यह कैसी कुप्रथा है कि जो युवा वर्ग उसके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं वही अपदस्थ होने के बाद उस कौमार्या का दर्शन पाप समझने लगते है (हरीश ओझा 'बागी' 'धार्मिक अंधविश्वास की पराकाष्ठा' तमाल पत्रिका, वर्ष-2, अंक-4, जुलाई-सितम्बर 1987, पृ.-3031।) इस दर्दनाक कुप्रथा से तंग आकर कुमारी देवियों ने आत्महत्या कर ली या रेड लाइट एरिया की रौनक बन गई कुछ गुमनाम अंधेरे में खो गई।

वेंकटासनी प्रथा

डोमारा जनजाति आंध्र प्रदेश के दस जिलों को सहेजे तेलंगाना क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है जहां डोमारा कबीले की आठ हजार नवयुवतियां भगवान वेंकटेशवर की पत्नी या दासी के नाम पर वेश्यावृति के व्यवसाय में धकेली जाती हैं। कानून एवं बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि कबीले के धार्मिक मुखिया को यह

हरगिज गवारा नहीं कि कोई बाहरी आदमी या संगठन उनकी इस धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप करे कबीले के धार्मिक मुखिया (मुतली गुरु) को सारे कबीले पर कानूनी आध्यात्मिक और सामाजिक नियंता के रूप में अधिकार प्राप्त होते हैं और उसे यह हरगिज गवारा नहीं कि कोई संगठन या व्यक्ति उनकी इस धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप करे।

कबीले के परिवारों में सबसे बड़ी लड़की को ही वेंकटासनी के रूप में अभिशप्त होना पड़ता है। जिस दिन सबसे बड़ी लड़की 'ऋतु स्नान' करती है उसी दिन से वह कथित रूप से भगवान को समर्पित मान ली जाती है। परम्परानुसार वेंकटासनी बनने वाली को गुम देवता से विवाह करना पड़ता है तथा उसे मंदिर के रख-रखाव का दायित्व भी सौंपा जाता है। परिवार में बाकायदा धूमधाम से समारोह किया जाता है वेंकटासनी बनने वाली लड़की को स्नानादि से शुद्ध कर दुल्हन के वेश में श्रृंगार करके मंदिर ले जाया जाता है जहां देवता की मूर्ति से गांठ-बांध कर विधिवत वैवाहिक समारोह का आयोजन होता है। इस प्रथा का सर्वाधिक अमानुषिक एवं घृणित पक्ष यह है कि ऐसी लड़कियों के साथ सबसे पहले उनके पिता, भाई, चाचा आदि रक्त संबंधी अथवा मुतली गुरु ही हिंसक बलात्कार करते हैं मन्दिर में लगभग एक सप्ताह तक नई वेंकटासनी मंदिर में ही चौबीसों घंटे रहती है अर्थात इस सप्ताह के दौरान उसके यौन शोषण का सिलसिला चलता है। इसके बाद वेंकटासनी अपने परिवार में वापस आ जाती है और फिर विधिवत वेश्यावृत्ति के व्यवसाय में प्रवृत्त हो जाती है और परिवार की आजीविका का प्रमुख स्रोत बन जाती है। परम्परानुसार 20 वर्ष की आयु पूरी होने पर उसे अलग घर में रहने की अनुमति दे दी जाती है। कबीले की इस अवधारणा के चलते वेंकटासनी बन जाने से किसी लड़की को बाजारू वेश्या की तरह लांछित और अपमानित नहीं होना पड़ता, बल्कि अपने कबीले में उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। जाहिर है इन प्रथाओं एवं भगवान को समर्पित रहने की आड़ में वेश्यावृत्ति का कतिपय संसार फैला हुआ है (विभा वर्मा 'नारी अस्मिता की सुलगती व्यथा डोमारा जनजाति की वेंकटसनी प्रथा' दैनिक भास्कर, मधुरिमा, 19 अप्रैल 2000, पृ-8)। कबीले के पुरुष वर्ग एवं मुखिया की काम पिपासा शांत होती है अतएव वे स्वार्थवश इस परम्परा को बनाए रखते हैं।

महिलाओं के व्रत उपवास की प्रथा

आदिकाल से महिलाओं एवं कन्याओं के लिए व्रत उपवास एवं उसके साथ जुड़ी कथाओं की प्रथाएं चलती आ रही है कभी अच्छा वर पाने तो कभी पति एवं पुत्र के स्वास्थ्य तथा लम्बी आयु के लिए परन्तु इसके विपरीत मां, बेटी एवं पत्नी के अच्छे भाग्य को लेकर पति एवं पुत्र के लिए व्रत एवं कथाएं क्यों नहीं बनी?

सुहागन महिलाएं अपने पति के जीवन रक्षा के लिए समाज द्वारा निर्मित प्रथाओं को करने के लिए सहज तैयार हो जाती हैं कहीं सोलह श्रृंगार करके व्रत तो कहीं श्रृंगार को त्यागकर व्रत करती हैं जैसे गोरखपुर जनपद में एक गांव ऐसा है जहां ताड़ी उतारने वाले लोगों की पत्नियां साल में करीब ढाई महीने कोई साज श्रृंगार नहीं करती यह प्रथा उन्हें विरासत में मिली है वहां के लोगों का कहना है कि पहले तरकुल पर चढ़ने वाले ज्यादा लोग गिरकर मर जाते थे बाद में किसी महात्मा ने कहा कि सीजन में जब ताड़ी उतारने के लिए पुरुष पेड़ पर चढ़े तब उनकी पत्नियां श्रृंगार से परहेज करें इससे उनके पतियों के गिरने की घटनाएं कम होगी। तभी से यह प्रथा शुरू हुई जिसका स्त्रियां आज भी निर्वाह कर रही है (रमेश शुक्ल)। आज जब एक तरफ समानता के अधिकार की बात की जाती है दूसरी तरफ स्वयं औरतें बड़ी उत्साह से सूर्योदय के पूर्व स्नानोपरांत अपने पति की दीर्घायु, समृद्ध, सम्पन्न एवं अच्छे भाग्य की लालसा में भोजन और जल का त्याग कर हरतालिका तीज, वट

सावित्री एवं करवा चौथ सर्वाधिक कठिन व्रत कर रही हैं इसके पीछे कई कारण छिपे हुए हैं जैसे—

व्रत में कथाओं द्वारा भयभीत करना

व्रत एवं कथा का आपस में सह संबंध है क्योंकि कथा के माध्यम से व्रत में कोई भूल चूक न हो इसके लिए भयभीत किया जाता है जैसे हरतालिका तीज व्रत में पानी पीने या थूक गुटकने से अगले जन्म में सांप-बिच्छू बनने का भय बताया गया है तो करवा चौथ में बगैर चन्द्र दर्शन के अपना व्रत तोड़ लेने के कारण सात भाईयों की इकलौती बहन वीरवती के पति की अकाल मृत्यु का दर्दनाक प्रसंग है वहीं आज भी अपने सुहाग के लिए भूखी प्यासी महिलाएं सुहागले करती हैं जिसमें इतनी दर्दनाक कथा सुनाई जाती है कि एक राजा कोई घटित घटना के बाद उसके यहां जितनी भी कन्याएं होती थी उसका वध करवा देता था आज भी इसका वीभत्स रूप सामने आ रहा है कथा में जन्म के बाद वध किया जाता था आज गर्भ में ही कन्या भ्रूण का वध हो रहा है ये कथाएं सुन-सुनकर महिलाएं भी संवेदन हीन हो रही हैं इस प्रकार पूरे देश में अनेक कथाएं कही जाती हैं जिनके पात्र एवं प्रसंग अलग-अलग होते हैं पर अंत में व्रत करने वाली महिलाओं को इतनी शक्तिशाली बताया जाता है कि वह अपने मृतपति को पुनः जीवित करवाने में सफल हो जाती हैं। उदाहरण स्वरूप करवा चौथ के दिन एक पनिहारिन अपने पति के साथ स्नान कर रही थी तो एक मगर ने पति को निगल लिया तो उसने अपने साड़ी से मगर का मुंह बंद कर दिया जब यमराज पति के प्राण हरने आया तो उसने यमराज को कहा मैंने करवाचौथ का व्रत रखा है मेरे पति की जान बचाओं नहीं तो मैं कड़ा शाप दूंगी, यमराज ने घबराकर मगरमच्छ के प्राण हर लिए और उसकी मृत देह को चीरकर उसका पति जीवित निकाल दिया। अर्थात व्रत करने वाली महिलाओं से यमराज भी घबराते हैं तो महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों की जगह पुरुषों एवं यमलोक में यमराज के लिए कानून बनाना चाहिए जिससे व्रत करने वाली महिलाओं की वजह से बिन बोले जानवरों की जान न लेनी पड़े।

विज्ञापन के माध्यम से व्यवसाय

व्रत के पीछे कारण कथाओं में तो छिपा ही है साथ में मीडिया ने कम प्रोत्साहित नहीं किया है विभिन्न टी.वी. सीरियल, मूवी, पत्र-पत्रिका, न्यूज पेपर्स एवं कुछ व्यवसाय वाले का तो धंधा ही इन व्रतों के जरिए चलता है। विज्ञापन के करवा चौथ एवं तीज आदि त्योहार को सोलह श्रृंगार एवं सौंदर्य का पर्व कहकर पत्नियों के सजने संवरने खरीददारी के शौक को बढ़ावा दिया है तो दूसरी तरफ व्रत रिश्तों के भावनात्मक जुड़ाव को आपस में उपहार देने की कला को विकसित कर उनके भावनाओं से खेल रहा है। विज्ञापन महिलाओं के ससुराल, मायके के रिश्तेदारों एवं पति से उपहार पाने की उमंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? जैसी व्यंगात्मक स्थितियों का सामना करवाता है। पति के इससे पत्नी निर्जला व्रत रख रही है यह सोच पति उधार लेकर महंगा से महंगा उपहार देता है कि मेरी पत्नी की स्थिति उसकी सहेलियों के सामने ऊंची रहे। इस प्रकार करवा चौथ व्रत में सास से सरगी, पति से उपहार, बहु का सास या जेठानी को बायना देना, मायके पक्ष से उपहार आना विज्ञापन ने इस पर्व की बढ़चढ़ कर विशेषताएं बताकर जहां धनीवर्ग की स्थिति बहुत विकट कर दी है अब तो नया फैशन शुरू हो गया है पति के साथ शापिंग कर चांद देखकर रेस्तरा में साथ डिनर लेना यही कारण है कि मीडिया द्वारा बढ़ते प्रसार को जनता ने सुहाग पर्व, सौंदर्य पर्व एवं भावनात्मक रिश्ते बनाने का पर्व के रूप में स्वीकार किया है। अर्थात इन सबका निष्कर्ष यही निकलता है कि पुरुष प्रधान देश में जहां महिलाओं को कमजोर समझकर कथाओं से भयभीत कर उनसे निर्जला व्रत करवाएं वही विज्ञापन ने पति एवं रिश्तेदारों की भावनाओं से खेलने एवं मौज मस्ती करने का जरिया

बना दिया इसलिए इन व्रतों का ये सिलसिला और भी उल्लास के साथ मनाया जाने लगा है।

बचपन से लड़के एवं लड़कियां पुरुष प्रधान समाज के वातावरण में रहते हुए इस तरह की शिक्षा ग्रहण करते हैं कि वे मानसिक रूप से इन प्रथाओं को स्वीकार करते हैं बल्कि मीडिया भी इसमें अहम् भूमिका निभाती है, उदाहरण स्वरूप आठवीं कक्षा के छात्र विनय ने टी.वी. चैनल में करवाचौथ का व्रत देखते हुए अपनी मां से कहा कि तुम इस व्रत को क्यों नहीं करती, मां ने कहा मेरी सास एवं सास की सास ने भी यह व्रत नहीं किया, विनय ने तुरंत कहा कि मेरी पत्नी आएगी तो वो भी यही कहेगी, यह सुन उनकी पढ़ी-लिखी माता जी ने व्रत शुरू कर दिया।

सामाजिक व्यवस्था का दोष

हमारे समाज की सामाजिक व्यवस्था ही इस प्रकार की है कि आत्मनिर्भर स्त्रियां तक पुरुष के बिना स्वयं को अकेला एवं असुरक्षित समझती है इसलिए इन प्रथाओं में बंधने के लिए महिलाएं विवश हो जाती हैं एवं अपना कर्तव्य समझकर अपने पति के लिए भूखे रहकर व्रत करना अपना सौभाग्य मानती हैं।

भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम

भारतीय संस्कृति में महिलाएं कहकर नहीं बल्कि पति एवं उसके परिवार के लिए त्याग कर के अपने स्नेह को प्रगट करती है इसलिए व्रत तो महिलाओं की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बन जाता है ज्यादा पढ़ी लिखी एवं नौकरी पेशा वाली महिलाएं कड़े से कड़ा व्रत कर व्रत के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त कर अपने पति के अहम् को भी शान्त करती है।

अर्थात इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि महिलाएं पहले भी व्रत करती थीं एवं आज भी व्रत करती हैं बस तरीके बदल गए हैं पहले महिलाएं बिना पति को अहसास दिलाए तप के समान कठोर व्रत करती थीं आज महिलाएं व्रत करती हैं तो पति को पीडायुक्त अहसास भी होता है एवं वे पूर्णरूप से सहयोग देते हैं जिससे व्रत उनकी पत्नियों को सामान्य एवं आसान लगे।

रजस्वला दशा में प्रथा

ऋग्वेद में कन्या द्वारा यज्ञ करने का वर्णन वेद में प्राप्त होता है। (ऋ 8/91/1) यद्यपि ऋतुमती नारी अपवित्र समझी जाती थी। किन्तु इस अपवित्रता के कारण वह अपने लिए धार्मिक दुनिया में हीनता का अनुभव नहीं करती थी। अल्तेकर के अनुसार नारी धर्म के मार्ग में बाधक नहीं थी। धार्मिक संस्कारों में पत्नी की उपस्थिति एवं सहयोग वंचित था। (The position of women in Hindu Civilization, p.221-232) किन्तु शतपथ ब्राह्मण में एक दो स्थलों का अध्ययन करने पर नारी के धार्मिक-अधिकारों के हनन की सूचना प्राप्त होती है। (श.ब्रा. 14/3/1/35, 1/1/4/13) तैत्ति.सं. में दी गई एक प्राचीन कथा के अनुसार इन्द्र ने देवों के पुरोहित विश्वरूप की ब्रह्म हत्या इस कारण की कि उसने गुप्त रूप से असुरों को यज्ञ में भाग देना स्वीकार किया था। इस ब्रह्महत्या का एक तिहाई पाप स्त्रियों में यह वर लेकर स्वीकार किया कि वे ऋतुकाल में सन्तान प्राप्त करें। अतः यह पाप लेने से उस समय स्त्री मलिन वस्त्रों वाली होती है प्रारम्भ में स्त्रियां केवल रजस्वला दशा में ही अमेध्य समझी जाती होगी, बाद में प्रतिमास इस प्रकार दूषित होने के कारण स्थायी रूप से अमेध्य समझी जाने लगी (तैति.सं.2/5/1-7)। आज भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो ब्राह्मण काल की देन हैं। उदाहरण स्वरूप केरल की एक अभिनेत्री द्वारा भगवान अयप्पा के मन्दिर के गर्भगृह में जाकर प्रतिमा को छूने, केरल में एक ईसाई अभिनेत्री के मंदिर में जाने एवं अजमेर शरीफ में जहां कुछ मौलवी चाहते हैं महिलाएं विशेष मौकों पर होने वाले नमाज पर हिस्सा न लें पर काफी विवाद पैदा हुआ है (दैनिक भास्कर 4 जुलाई 2006 पृ.—4)। रजोस्राव में अपने आप को अपवित्र मानना बचपन से सिखाया जाता है इसलिए यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती

आ रही है अतएव आजकल की शिक्षित महिलाएं भी कोई शुभकार्य या त्यौहार के महीनों में डाक्टर के बिना परामर्श लिए केमिस्ट पर भरोसा कर 'हारमोनल पिल्स' फनी लबायनोची गोली खा लेती हैं जिससे रजोस्राव देर से आए। हार्मोन संबंधी शारीरिक गड़बड़ियों की विशेषज्ञ डाक्टर जयश्री शंवलाकर का कहना है जब शरीर में हार्मोन का स्तर तयशुदा सीमा तक नीचे आता है और गर्भाशय की भीतरी परत टूटती है तो रजोस्राव होता है। दवा लेने की सूरत में हम कृत्रिम रूप से हार्मोन के स्तर को बढ़ाते हैं ताकि गर्भाशय की भीतरी परत को टूटने न दिया जाए। दरअसल यह शरीर की स्वाभाविक लय के साथ छेड़खानी करना है। एक बार जब दवा लेना बंद किया जाता है तो इससे भारी मात्रा में रक्तस्राव होता है। इसके अतिरिक्त इन दवाओं से रक्तचाप और मोटापे जैसी बीमारियां हो सकती है (अपर्णा पल्लवी, सहारा समय, 10 दिसम्बर 2005)। अतएव प्राकृतिक प्रक्रियाओं से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए ये सब भगवान की दी हुई चीज है इसे कुप्रथा की दृष्टि से न देखकर सम्मान की दृष्टि से देखना एवं समझना चाहिए।

अंत्येष्टि की प्रथा

ब्राह्मण काल में ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ जाने से कई आडम्बरों एवं कुप्रथाओं का जन्म हुआ जिससे पुत्री एक विपत्ति एवं पुत्र सर्वोच्च स्वर्ग का प्रकाश है (ऐत. 7/13) इसलिए शतपथ ब्राह्मण में पितृऋण से मुक्ति के लिए पुत्र प्राप्ति आवश्यक माना गया है। (ऋ. 10.85.42.44.46) आज भी यह आम धारणा है कि पुत्र यदि यह कर्म करें तो ही माता-पिता को मोक्ष प्राप्त होगा। इस मान्यता के चलते कई परिवारों में जहां बेटियां हैं बेटा नहीं है वहां यह कर्म ताऊ या चाचा के बेटों से कराया जाता है। जबकि माता सीता ने, राम की अनुपस्थिति में स्वर्गीय राजा दशरथ की आकाशवाणी के अनुसार पिंडदान का यही श्रेष्ठ समय है इसलिए तुरंत ही कर्म कर दिया जाय तो सीता ने ससुर की आज्ञा का पालन करते हुए रेत के पिंड बनाए और अर्पण कर दिए। आज भी भारत की कई ऐसी बेटिया हैं जिनका कहना है कि हमारे माता-पिता ने कभी भेदभाव नहीं किया एक बेटे के जैसे ही परवरिश की बेटे की कमी का कभी दुख व्यक्त नहीं किया एवं हमें अपार प्यार दिया जिसके सामने समाज की प्रथाएं गौण हैं यह मानते हुए कास्टयूम डिजाइनर रेखा हरिचरण अपनी मां बीजी श्रीनिवासन (69) को 15 जून 2005 को भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट पर मुखाग्नि दी। 22 जून 2005 को वंदना ने अपनी ऊषा देवी को बनारस कैंट में मुखाग्नि दी, 21 अगस्त 2005 में शाजापुर में पुत्रवधू मधुबाला एवं पुत्रियों ने अपनी मां (सास) पवित्रा परमार्थी को मुखाग्नि दी, 10 जनवरी 2006 में सुश्री सोनाली ने अपने पिता शारदाराव भोकर ढोले को ग्वालियर में मुखाग्नि दी, इसी तरह 2007 में गोरखपुर के नौसार तहसील के निकट स्थित गांव बगिया टोला में कुछ दिन पहले ही 80 वर्षीय कुमारी देवी का उनकी चार पुत्रियों ने मुखाग्नि दी जबकि 8 साल पहले पिता वंशराज को इन्हीं चार पुत्रियों के मुखाग्नि देने पर इनके परिवार का गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया था जबकि ये बहने बहुत गरीब, अशिक्षित एवं घर के अन्दर रहने वाली इन बहनों ने समाज के उलाहने एवं ताने सुनने के बाद भी पुरानी प्रथाओं को तोड़ने का साहस किया। इसी तरह नारायण नगर निवासी सी.एस. बड़गोती की 96 वर्षीय मां जिजियाबाई को उनकी 18 से 20 वर्ष की पोतियों ने समाज में कई विरोध होने के बाद भी कंधा दिया। पोतियों का कहना था कि जब हमारी दादी ने बेटे-बेटियों में कभी फर्क नहीं समझा सभी को समान प्यार दिया एवं हर छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा किया तो फिर हम उनकी अंतिम यात्रा में क्यों नहीं जा सकते।

बनारस में किसी स्त्री द्वारा मुखाग्नि देने और मृतक का श्राद्धकर्म करने की पहली घटना 11 सितम्बर 1993 में बनारस आकाशवाणी केन्द्र के निदेशक की मृत्यु पर

उनकी पत्नी शशिबाला दुबे (बी.के. एम. डिग्री कालेज) में दर्शन शास्त्र की रीडर (रिटायर) ने काफी विरोध के बाद भी अपने पति को मुखाग्नि दे सकीं थी। इसी तरह बनारस के सफाई कर्मी मुन्ना को उसकी पत्नी विदा देवी ने, जबलपुर में 11 जुलाई 2005 को भास्कर राव दुबे (निःसन्तान) को उनकी पत्नी ने पति से किया वादा पूरा करते हुए मुखाग्नि दी, जबलपुर में 1 फरवरी 2007 को बाबा टोली निवासी 70 वर्षीय होरीलाल चौधरी (जिसका बेटा पहले ही दम तोड़ चुका था) की अंतिम यात्रा में पुरुष कम स्त्रियां ज्यादा थी। उनकी पत्नी 63 वर्षीय शांति बाई ने मुखाग्नि दी। इस तरह पत्नियों ने भी विवाह के सात फेरों के साथ निभाने की कसमें सामाजिक कुप्रथाओं को तोड़ते हुए जीवन के अंतिम यात्रा तक निभाई।

इसी तरह स्वतंत्रलता शर्मा जो आर्य समाज सभा (बेंगलूर) की भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी है। अब तक वे एक हजार से ज्यादा विवाह, नामकरण, मुण्डन, हवन, शांतिपाठ और तीस तक दाहसंस्कार सम्पन्न करा चुकी हैं। सन् 1990 में जब इन्होंने पुरोहित का कम शुरू किया था तब पुरुष पुरोहितों का कोप भाजन बनना पड़ा पंडितों ने आरोप लगाया कि किसी विधवा को धार्मिक संस्कार सम्पन्न कराने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले में दिल्ली स्थित मातृशाखा आर्य प्रतिनिधि सभा का कहना था कि ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी विधवा को धार्मिक संस्कार सम्पन्न कराने से मना करता हो। इसी तरह उनकी विधवा सहेली की बेटी की 1997 में शादी थी। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार किसी विधवा स्त्री को कन्यादान का अधिकार नहीं है। लेकिन मेरी सहेली कन्यादान अपने हाथ से करना चाहती थी जो सनातनी पंडितों को मंजूर नहीं था। ऐसे में यह जिम्मेदारी स्वतंत्रलता शर्मा ने निभायी (नीता लाल)। इसी तरह यदि महिलाएं आगे आएंगी तो वे महिलाओं के रास्ते खोलेगीं एवं उनके विरुद्ध कुप्रथाएं स्वमेव ही समाप्त हो जाएंगी। आज जब महिलाएं अन्त्येष्टि के सारे कर्म जैसे कंधा, मुखाग्नि, पिंडदान, तर्पण से लेकर अहमदाबाद में तो शमशानघाटों में चिता के लिए लकड़ियों के प्रबंध से लेकर उसके जलाने तक की सारी जिम्मेदारी महिलाएं ही निभा रही हैं। भले ही सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यहां पुरुष कर्मचारी कार्यरत हैं लेकिन हकीकत में पत्नी, बेटी या बहन भी अंतिम क्रिया करते दिखती हैं। (भास्कर न्यूज अहमदाबाद)।

बिहार राज्य का छोटा सा शहर गया पिंडदान और तर्पण के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वहां के पिंडदान करने वाले शास्त्रीजी का कहना है कि श्राद्ध सिर्फ कर्म ही नहीं श्रद्धा का प्रतीक भी है, इसलिए स्त्री हो या पुरुष जिसके मन में बड़ों के लिए श्रद्धा हो यह कर्म कर सकता है। जगतगुरु राघवाचार्य ने बताया कोई भी पुत्री यहां आकर अपने परिवार में मृत स्वजनों का श्राद्ध कर सकती है। यदि बेटी विवाहिता है तो भी अपने मायके के सदस्यों का वैसे ही श्राद्ध कर सकती है जैसा अधिकार पुत्र को प्राप्त है। क्योंकि मां की कोख से सभी संतानों ने जन्म लिया है। इसलिए सभी को माता-पिता के कर्म करने का अधिकार है। बेटी-दामाद जोड़े में या विधवा स्त्रियां अकेले भी इन कर्म को कर सकती हैं। (आकांक्षा पारे) श्री काशी विद्वत परिषद के प्रवक्ता प्रोफेसर शिवजी उपाध्याय कहते हैं—'यद्यपि कन्या द्वारा अपने माता-पिता की अत्येंष्टि और श्राद्धकर्म करने का विधान शास्त्रों में विदित नहीं है, फिर भी यदि वे श्रद्धाभाव से ऐसे कार्य करती हैं तो वह शास्त्र विरुद्ध होते हुए भी लोकमत द्वारा स्वीकृत है। समाज में सारे काम शास्त्र के अनुसार ही नहीं होते रहे हैं। कई बार लोक मान्यता के अनुसार भी आचरण किए गए हैं। हमारे यहां यह मान्यता भी रही है कि शास्त्र सम्मत होते हुए भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा आचरण करता है जो लोकमानस के विरुद्ध हो, तो उसे गलत कहां गया है। समाजशास्त्री डा विनोद कुमार पाण्डेय का कहना है कि यह आधुनिक और वैज्ञानिक

शिक्षा का कमाल है जिसने महिलाओं के अंदर सही और गलत निर्णय लेने की क्षमता पैदा की है। मृतक संस्कार किसी भी परिवार का व्यक्तिगत और भावनात्मक मामला है जिसमें लिंगभेद को मान्यता नहीं दी जा सकती।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जहां महिलाओं को अथाह प्यार मिला हो वहां गरीबी-अमीरी, शिक्षा, अशिक्षा, पद प्रतिष्ठा हो या न हो समाज की कठोर पाबन्दिया भी गौण नजर आती हैं। अतएव बेटियों को बचपन से बिना लिंग भेद के इतना प्यार दो कि तमाम-कर्मकाण्डों एवं कुप्रथाओं के अंधकार में स्वयं दीपक बने। इस तरह कन्याओं की कद्र बढ़ेगी एवं कन्या भ्रूण हत्या में लगाम लग जाएगी।

निष्कर्ष

अधिकांशतः व्यक्ति यह सोचते हैं कि उनके पूर्वजों ने धार्मिक प्रथाएं किसी लाभ की भावना से बनाई होगी, इसलिए वह हमारी विरासत का अभौतिक अंग बन जाता है, चाहे इससे किसी व्यक्ति विशेष का शोषण हो या न हो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। हमारा समाज पितृसत्तात्मक है अतएव इन धार्मिक प्रथाओं में अब नए तरीके से शोषण की शुरुआत हो गई है, जैसे कन्यादान प्रथा में कन्या पक्ष पर अनेक आर्थिक दबाव बढ़ गए हैं जिससे बाल-विवाह, दहेज प्रथा, एवं कन्या भ्रूण हत्याओं को बढ़ावा मिल रहा है। देवदासी देव मंदिरों में पूजा अर्चना (गायन-नृत्य) तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए नियुक्त की जाती थीं, पर शनैः शनैः कर्नाटक एवं आन्ध्रप्रदेश के देव मंदिर कामोद्दीपन के सराय बनते गए। नेपाल की कुल देवी मंदिर में प्रतिष्ठित जीवित आदिशक्ति भवानी के रूप में 5-10 वर्ष की कुमारी देवी कन्या को रजस्वला होने के बाद आत्महत्या करने, एवं रेडलाइट एरिया की रौनक बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आंध्रप्रदेश की डोमारा जनजाति की आठ हजार नवयुवतियां भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी या दासी के नाम पर वेश्यावृति के व्यवसाय में धकेली जाती हैं। इसी प्रकार धार्मिक कथाओं में महिलाओं को ही अपने पति एवं पत्र के लिए उपवास रखने को कहा गया है, मां-बेटी एवं पत्नी के लिए क्यों नहीं? आज भी रजस्वला दशा में महिलाओं को पूजा पाठ एवं शादी के धार्मिक कार्यों से दूर रखा जाता है, जबकि ऐसे में नौकरी एवं घर के काम भी करती हैं एवं हार्मोन्स की गोलिया गृहण कर धार्मिक काम भी, जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अंत्येष्टि की प्रथा जिसे सिर्फ पुरुष वर्ग तक सीमित रखा गया है, जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ रही हैं। आज कुछ महिलाएं अंत्येष्टि की प्रथा कर रही है जो बहुत सीमित है। इस तरह धार्मिक प्रथाओं से महिलाओं का शोषण नए रूप में बढ़ता ही जा रहा है, जिसे दूर करने के लिए हमें हमारे अंर्तनिहित शत्रुओं से संघर्ष कर उसे जड़ता से समाप्त कर आन्तरिक मन को स्वच्छ करना होगा।

❑

नारी-विमर्श और पुलिस का दायित्व

प्रो. मृत्युंजय उपाध्याय

वृंदावन, मनोरम नगर, लूबी सर्कुलर रोड,
धनवाद-826001 (झारखंड)

जिसे एक लुटेरा समय के नाम से पुकारा जाने लगा नई अर्थ व्यवस्था की यह नई सामाजिक संरचना है आवारा हिंसक पूंजी की यह एक बिल्कुल नई ताकत है और इसमें जो कुछ भी कहीं लोक प्रिय है वह कोई न कोई अमरीकी ब्रांड है। गुलाम होने और गुलाम बनाने के सारे खेलों में बड़ा पूंजी निवेश पूंजीवादी इस व्यवस्था में अमरीकी ब्रांड का प्रभाव है ही मनुष्य को गुलाम बनाने की साजिश है। महिलाओं को पण्य पदार्थ (कोमाडिटी) बनाया जाना है। उसके अंगप्रत्यंग की नुमाइश होती है उसका मोल तोल होता है उसे पग-पग पर अवमानना, जहालत शोषण का शिकार बनना पड़ता है आज यह सब जगह दिखाई दे रहा है उसकी पीड़ा को पंकज सिंह ने अपनी दृष्टि में इस प्रकार कहा है :-

हथेलियों में थामकर कोहरे में डूबा उसका चेहरा।
देह से आच्छादित कर उसकी देह की धरती कहता है प्रेमी।।
देता हूँ तुम्हें निवास करता है प्रयत्न।
अंत तक कुछ-कुछ प्रेम सा ही दिखे विलास बार-बार सच के आडे आता है।।

देह का, भाषा का, आशा और अभिलाषा का। विन्यास किसी तरह हटा पाओ नकली फूल। विश्लेषण दाग-धब्बे तो दिखना है पीडा का। इलाका उसी बीहड में तय होती है कल की शक्ल उसकी। (स्त्री, संवेद अप्रैल, 2006) यहां स्त्री की स्थिति विलक्षण है। वह समाज के हर समूह में सुविधा संपन्नता के स्थर पर देखा जाए तो लघुत्तम से उच्चतम तक समाजिक समूहों के पैमाने पर सारी देशिक प्रादेशिक भाषिक धार्मिक जातीय सामूहिकताओं की हर इकाई में वंचित की हैसियत से मौजूद है। स्त्रीवादी आंदोलन उसे अन्य सारी अस्मिताओं के आर पार एक विराट वैश्विक समूह में संगठित करने का अभिलाषी है। यह स्त्री बनाम पुरुष का प्रतिपक्ष है। इसलिए स्त्री के पक्ष में कोई भी वक्तव्य पितृ सत्ता और पुरूष वर्चस्व के विरोध से शुरू होता है।

इसी आत्मसजगता के द्वारा वह अपने भीतर अन्याय के प्रतिरोध की आकांक्षा का आविष्कार करती है। वह वस्तुतः पुरूष के नहीं पितृसत्तात्मक मानसिकता के विरूद्ध है। परंतु व्यवहार में वह पुरूष द्वेष बनकर ही परिलक्षित होती है। अभिव्यक्ति का नया नया तेवर अपनाती है। न्याय की पक्षधरना का भाव द्वेष प्रतिरोध और उसे हिंसा के साथ एक स्वयंसिद्ध अभिमान जोड़ देता है। पग-पग पर पुरूष प्रतिकार से उत्पन्न एक जुझारू मानसिकता उसे अहसास कराती है कि शिक्षा रोजगार और आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ विज्ञान और प्रोद्यौगिकी की मदद से वह अपना एक स्वतंत्र स्वायत्र संसार रच सकेगी स्त्रियों का जो विशिष्ट वर्ग इसे मुमकिन कर दिखाता है वह स्त्री समाज के लिए अनुकरणीय आदर्श बन जाता है विडंबना वहां शुरू होती है जब स्वतंत्र स्वायत्ता की इस परिकल्पना में अस्मिता को केवल मैं के रूप में परिभाषित करने का आग्रह स्त्री को केवल देर में बदल देता है फिर पतन का सिलसिला जारी हो जाता है देह जो जाती है पण्य नुमाइश मनुष्य को गुलाम बनाने की साजिश है इस ओर ध्यान जाता भी नहीं और अगर जाता भी है तो गंगा का ढेर सा पानी बंगाल की खाडी में गिर चुका होता है। फिर आपत्तिजनक कुछ भी नहीं रह जाता है। रिश्तों परिवार समाज व्यवस्था ने उसकी अस्मिता के इतने लंबें समय तक कुचला है कि स्वतंत्रता का उल्लास सबसे पहला विद्रोह उसी के हाथों में रह जाता है जो घोर आत्मघाती है। सुरक्षा और आश्वासन की जरूरत जब होती है तब तक काफी देर

हो चुकी होती है पतन की राह बड़ी चिकनी होती है उस पर लोभ के दो चार धक्के लग जाएं तो पाताल नाप लेना सहज हो जाता है।

चमक दमकवाली दुनिया का आकर्षण इतना जबर्दस्त और मायावी है कि सौंदर्य प्रसाधन और फैशन स्त्री की संबेद-धताओं सरोकारों और सपनों के बूते के बाहर बड़ा हिस्सा घेरने जा रहे हैं। सर्वाधिक काम है देह को सजाने का सामना फलतः पतन की और प्रयाणों लालसाओं की तृप्ति के साथ आर्थिक सामर्थ्य का गठबंधन उसे सम्माननीय नामकरण के आच्छादन में सर्वाधिक सहज सुलभ धंधों की और धकेल रहा है।

पतन का अटूट सिलसिला

इस आच्छादन के पार शुरू हो जाता है देह की दुकानदारी कहने, समझाने के लिए अपनी (स्त्री) देह पर अपना दावा हो यह स्वच्छंदता की अभिव्यक्ति के नाम पर व्याख्यायित किया जाता है जिसके पीछे उसकी स्वतंत्र इच्छाशक्ति के दायित्व बोध से प्रेरित चुनाव काम कर रहा है। वस्तुतः ऐसी स्थिति होती नहीं है। स्थितियां परिस्थितियां ये हैं उनके परिणाम भी साथ-साथ निकलते जाते हैं।

(क) चमक दमक के मोहपाश में पड़कर इस खिचाव को ही इच्छाशक्ति की पुकार मान कर स्वीकार करना।

(ख) इससे स्वतंत्रता-सफलता का उल्लास भले ही मिले उसके आत्मविश्वास उसकी मुक्ति उसकी अधिक निर्भरता में भले ही सहायता मिले परंतु वह जीवन के अर्थ समाज के प्रति जबाव देही एक सार्थक आत्मभिव्यक्ति की तलाश का पर्याय नहीं बन सकती।

(ग) इस उपलब्धि की खुशी उसकी आजादी और आजाद व्यक्ति की हैसियत से उसकी भूमिका को एक टुच्ची खुशफहमी में बदल दे रही है।

(घ) उसकी हालत उस पक्षी की तरह हो गई है, जो एक पिंजरे में बंद है। वह छटपटा सकता है। पिंजडे में कूद-फांद तो सकता है, पर उडान नहीं भर सकता है।

(ङ) नारी जो चाहे सो करने के लिए स्वतंत्र है पर जो चाहे सो चाहने के लिए स्वतंत्र नही है। इच्छा शक्ति हो चुकी है परतंत्रता इस हालत में हर लड़ाई शुरू होने से पहले ही हारी हुई है। सारी कोशिश ढाक के तीन पात।

(च) स्त्री के जीवन यह स्वतः प्रत्यक्षित दैनंदिन यर्थाथ है। उसकी जीवन चर्चा देह का उपयोग, प्रयोग और दुरुपयोग स्त्री मुक्ति का प्रत्यय है देह के इस्तेमाल से शक्ति के समीकरण को बदल देने की कोशिश।

(छ) एक लंबे समय तक देह का इस्तेमाल निषेध और वर्जना की सूची में शामिल रहा है।

(ज) आज अचानक उसका ऐसा प्रकट निर्बाध और निर्बल संरचना सुरूचि और परिष्कार की सीमाओं के पार एक फूहड और निर्लज्ज आत्मप्रदर्शन प्रतीत हो रहा है।

(झ) स्त्री की अस्मिता, उसकी निजी पहचान के लिए उसका संघर्ष और नतीजा गौरतलब है। पर नारी की स्वैरिणी (स्वच्छंद) प्रवृति खतरे का कारण बनती है जिससे उबरने के समाज की अहम भूमिका है।

वैश्वीकरण बाजारवाद में नारी की स्थिति

नारी ने घर की चार दिवारी से निकलकर जहां अपनी अस्मिता की लड़ाई शुरू की अपनी पहचान पाने लगी अपना 'स्व' टटोलने लगी वहीं वह अपनी देह के प्रति जागरूक और (पजेसिव) होने लगी उससे खेलने लगी खेल की माध्यम बनाने लगी फलतः वह क्लबों फिल्मों बारों नाचगृहों होटलों कार्पोरेट कंपनियों में अपनी अहमियता का डंका बजाने लगी। यह सब कारण उसके पतन का हुआ यों वह उत्पन्न नहीं हुई है। उसे बनाया गया है जैसे सांचे में खिलौने ढाले जाते हैं। सिमोन दे बडिवा (द सेकेंड सेक्स की लेखिका) ने लिखा है कि नारी जनमती नहीं है उसका निर्माण होता है मनमुताविक उसे ढालों बनाओं सजाओ संवारो और उपयोग दुरुपयोग करो। फिर उपभोग के बाद जूते से मसलकर फेंक दो। उसने विश्व भर की शोषित महिलाओं का सर्वेक्षण कर

यह ग्रंथ लिखा है।

नारी की इस दुर्गति और निराशाजनक स्थिति की गहरी प्रतिक्रिया लेखक की कविता 'निर्मिति की पीडा' में व्यक्त हुई है :

"भ्रूण परिक्षण से ही पता लगाया जाता है। कहीं कन्या तो नहीं है। अन्यथा उसका नाश होता है। कहीं जन्म गई कन्या हो तो चलने लगता है नाना विधि। उसे सेकेंड सेक्स दोयम होने का कराया जाता है बार-बार अहसास कहीं उसका स्व" न जाग जाए। वह समानता पर न डट जाए। खान-पान रहन-सहन में चलता रहता है भेद-भाव। गोया वह कोई जीव नहीं कोई अवांछित कूड कचरा हो। नहीं हुआ है उसका सहज विकास। मां की कोख में वह तो निर्मित है। परिवार समाज की जिसे बनाया जाता है। उसमें वस्तु जीव होता है गौण प्रधान होता है बनाने वाला निर्माण ही।" (काव्यमंदाकिनी 2009 कोलकाता पृष्ठ 210)

नारी की स्थिति और पुलिस का दायित्व :

पुलिस के दायित्व और कर्तव्य पर विचार किया जाए तो उसमें एक भले मनुष्य की कल्पना सहज ही की जा सकती है। आज मनुष्य में इसी सज्जनता पर दुःख कातरता पराई पीर की पहचान घटती जा रही है। मनुष्य बनता जा रहा है एक अदद मशीन का पुर्जा सुख-दुख से नितांत निरपेक्षा पुलिस में समाज देश, नारी के लिए दायित्व बोध हो तो अधिकांश मामले चुटकी में हल हो जाएं। जहां जहां प्रकाश है उजाला है उन्नति है प्रगति है वहां वहां उसके लिए अंतिम मोल चुकाने वाले खड़े दिखाई पड़ते हैं। "जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला।"

रश्मिरथी : दिनकर

"अंतिम मोल चुकाने का अर्थ है प्राणों की पर्वाह किए बिना कूद पडना" कार्य वा साधयामि,

शरीरं वा पातयानि-कार्य सिद्ध करुंगा या शरीर ही नष्ट कर दूंगा। इसे कहिए गांधी जी का नारा "करो या मरो" दूसरी बात महत्वपूर्ण है इससे भी अधिक संवेदन शीलता, सज्जनता किसी के दुःख संकट पर दौड़ पडना आज नारी पर संकट क्यों होता है उस पर फब्ती कसी जा रही है, सीटियां बजाई जा रही हैं अश्लील इशारे किए जा रहे हैं उसके वस्त्र फाड़े जा रहे हैं और इसे मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं। मुख्य बात है हमारा जमीर मर गया है। हमारी सज्जनता दफन हो चुकी है। भला प्रकाश के समक्ष अंधकार टिक सकेगा क्षणभर भी उन बदमाशों को ललकारा जाएगा, वे भाग खड़े होंगे। दिया-सलाई की एक छोटी सी तीली किस प्रकार वर्षों से जमें जड अंधकार को फाड देती है। सत के सामने असत असामाजिक के प्रति आक्रामक हो, उसे दंड देने के लिए प्रतिबद्धता हो यही से उसके क्रिया कलाप प्रारंभ होते हैं। उसके सामाजिक होने का प्रमाण मिलने लगता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाटयशास्त्र में सहृदय संवेदनशील पर दुख कातर को सामाजिक कहा है निजदुःख गिरिसम रज करिजाना मित्र के दुःख रज मेरू समाना। (तुलसीदास)

पुलिस के कर्तव्य

(1) भ्रूण-परीक्षण केंद्रों अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, डाक्टरों के निजी क्लीनिकों पर ध्यान रखना मसले को जड़ से उखाड़ना कि किसी कीमत पर भ्रूण-परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया जाए। परीक्षण होगा, तभी कन्या-भ्रूण की हत्या होगी लोगों को समझाना कि पुरुष के 1000 के अनुपात में लड़कियां 850 रह गई हैं। कन्या-भ्रूण हत्या का सिलसिला कुछ दिन भी चला जो लड़के मारे-मारे फिरेंगे विवाह के लिए संभव है बची खुची लड़कियां स्वयंवर रचाएं और वहीं हो जाए उनके तेज मौर्य पौरूष की परीक्षा।

(2) बाल कन्या हत्या के प्रयास को रोकना। पता चला है कि अवैध, गरीब उपेक्षित, अनेक कन्याओं के पिता भी कन्या को जहां तहां फेंक देतें हैं। भाग्य भरोसे वे बच गई किसी की करुणा के पात्र बन गई या फिर कुत्ते गीदड़

द्वारा आहार बनाई गई। ऐसे संवेदनशील मामले में पुलिस की सक्रियता, तत्परता वांछनीय है। दहेज दानव और पुलिस दहेज की सुरसा ने भी कन्या के पिता को भयभीत बना दिया है। सामाजिक यश प्रतिष्ठा मानक का प्रतीक बन गया है दहेज जितना दहेज उतना सामाजिक माना इसका खामियाजा गरीब ही भुगतते हैं। दहेज अमीरी का पैरा मीटर बन गया है। नतीजा है बाप आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी बेटियां आत्महत्या कर रही हैं पुलिस चाहे तो ऐसे दहेज लोलुपों को खुले आम दस कोडे लगा दे। उसे दंडित करे समाज में अपमानित कराए। दहेज देना और दहेज लेना दोनों संज्ञेय अपराध हैं यह जगजाहिर है। कभी किसी पुलिस अधिकारी या कर्मी ने होने वाले विवाह में दहेज आदि के बारे में जानकारी नहीं रखी यह केवल कागजों तक ही सीमित है

(3) दहेज जन्य हत्याएं उत्पीड़न, शोषण, आग लगना और पुलिस की सक्रियता का सवाल पूरा दहेज नहीं मिलता है, मनमुताबिक नहीं मिलता है, वायदा करके नहीं मिलता है तो भी नारी का शोषण बात-बात पर ताना व्यंग प्रहार, जान से मारने की धमकी फिर मौका पाकर आग में जलाकर और गला दबाकर मारना ऐसे मामलों में पुलिस के प्रति भय पुलिस का दबाव उसकी तत्परता नारी की रक्षा के बड़े हथियार सिद्ध हो सकते हैं। चाहे प्राथमिकी कदम-कदम पर पुलिस के सहयोग की जरूरत है और तदनुसार दंड का प्रावधान किया जाए।

(4) वृद्ध विवाह, बाल विवाह, अनमेल विवाह और पुलिस उपर्युक्त विवाह नारी के शोषण के नाना हथकंडे बनते हैं। कहीं पत्नी के जवान होते पति मर जाता है और स्त्री को आजीवन वैधव्य भौगना पड़ता है तो कहीं जीवन भर उसे दासी की तरह खटना-खपना पड़ता है। विशेषकर बेटी बेचना बेटी को बेचकर वर पक्ष से मोटी रकम मिल जाती है वह बेटी के सुख-दुख की परवाह किए बिना उसे दुहेजू (दो विवाह करने वाले) विकलांग बूढ़े रोगी के हाथ ऊंची कीमत पर बेच देता है समाज प्रबुद्ध नागरिक और पुलिस का कर्तव्य है
कि ऐसे विवाह को तत्काल रोक दे और विवाह करने वाले को दंड दे। मैं जब पांचवी कक्षा का छात्र था एक परिवार में गर्भस्थ कन्या का ही विक्रय होता था पुत्र चाहते हैं पर कन्या होने की पूरी गारंटी है ऐसे वर दहेज उम्रदार और रोगी होते थे पर उनकी कामनाओं और घोर प्रतीक्षा का जितना वर्णन किया जाए कम है पुलिस यह रोक सकती है।

(5) उच्चवर्गीय और बाजारवाद के आकर्षण में फंसी स्त्रियां और पुलिस की भूमिका ऐसा देखने में आया है जो स्त्री ऊंचे वर्ग से आती है अर्थपिशाच हैं सौंदर्य नजाकत हाव-भाव से बाजार में खपना चाहती हैं, बिकना चाहती हैं, बिछ-बिछ जाना चाहती अपने हैं, उसकी भारी कीमत वसूलना चाहती है उसे भी पुलिस दिशा दे सकती है। पतन के गर्भ में जाने से बचा सकती है उभयपक्ष का रास्ते पर ला सकती है। शेली ने लिखा है "Conviction are not enough one should also have convictions" विश्वासों का होना ही पर्याप्त नही है विश्वास होना भी चाहिए। पुलिस के प्रति हमारा विश्वास है कि वह विषम विपरीत परिस्थितियों में न्याय नैतिकता और मानवीयता को श्रेय देगी उसके खातिर डरेगी जूझेगी।
वार क्लबों, नाचगृहों पंचसितारा होटलों में ग्राहकों के मनोरंजन की वार वालाएं, नृत्यांगनाएं, सुंदरियां नियुक्त की जाती हैं। दैहिक-नैतिक शोषण जबर्दस्ती न हो उनकी अस्मिता से खिलवाड न हो-इसका ध्यान पुलिस को रखना है।

(6) कदम-कदम पर स्त्रियों को मुश्किल और धर्म संकटों से बचाने वाली पुलिस की तत्परता का प्रश्न-न्यायशस्त्र में न्याय को न्याय की तरह लगने और प्रतीत होने पर बल दिया गया है, "Justic should appear as justice" झरिया की एक कॉवेंट में वर्ग पांच में पढने वाली लड़की ने अपने मुहल्ले में जमे कूड़े के बड़े ढेर के निष्पादन

संबंधी एक पोस्ट कार्ड तत्कालीन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रंगनाथन को लिख था। माननीय न्यायाधीश ने तत्काल उसका संज्ञान लिया और उस लड़की को न्याय मिला इसका निहितार्थ यह है कि पुलिस जितनी ही औपचारिकता साक्ष्य जुटाने और अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करने और उनसे निर्देश लेने में समय लगाएगी उतना ही विलंब एवं उसे धैर्यपूर्वक विवेकसमरूप तत्काल निर्णय लेना होगा अपने कर्तव्य को दूसरे पर टालना और समस्या से पलायन करना वीरता नहीं है। हरिजन सेवक में महात्मा गांधी ने लिखा है :

तुम दुनिया के उद्धार का उत्तरदायित्व अपने सर पर मत लो। तुम्हें अपनी जवाबदेही का पालन ईमानदारी से करो इसी से दुनिया का उद्धार होगा। सभी पुलिस कर्मी/अधिकारी अपने-अपने दायित्व का निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे, स्त्री जाति के प्रति उदार सहिष्णु सहयोगी रहेंगे तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा और स्त्रियों को उनका 'स्व' और अधिकार मिलेगा। वे दोयम नहीं पुरुष के साथ कदम में कदम मिलाकर चलेंगी और न होगा उनका शोषण कहीं।

❑